खण्ड-281, अंक-5
शनिवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(21 मार्च, 1970 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय–सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | ४११–४१५ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | ४१६–४२३ |
| वित्त (लेखा परीक्षत था बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियों के शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखे गये) .. .. .. | ४२३–४२४ |
| वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गई ) .. .. .. | ४२४ |
| उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक , १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. | ४२४ |
| उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. | ४२४ |
| उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चलू रखा जाना) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. | ४२४ |
| उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. | ४२४ |
| उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. | ४२५ |
| उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम, १९५८ में संशोधनार्थ याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) .. .. | ४२५–४२८ |
| मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के संबंध में सूचना (जारी) .. | ४२९ |
| श्री अशफाक अहमद के विरुद्ध उपस्थिति रजिस्टर पर दूसरे सदस्य के हस्ताक्षर करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में सूचना | ४२९ |
| मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के संबंध में सूचना .. | ४२९–४३६ |
| ३० जुलाई, १९६९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर का शोधन .. | ४३६ |
| बांदा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा दी गई छूट में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | ४३६–४३७ |
| मथुरा में रिक्शा, तांगा, एक्का चालकों की हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | ४३७–४३८ |
| काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | ४३८–४४० |
| बिलपुर रेलवे स्टेशन पर सशस्त्र डकैती के संबध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य | ४४० |

| विषय | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|
| वनस्पति की कमी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य | .. | .. | ४४०–४४१ |
| मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत) .. | | .. | ४४१–४८६ |
| उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (पारित) | .. | .. | ४८७–४९२ |
| श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न पर निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | | | ४९२–५०१ |
| सदन के आगामी कार्यक्रम के बारे में सूचना | .. | .. | ५०१ |
| विभिन्न दलों की सदस्य संख्या के संबंध में सूचना | .. | .. | ५०१–५०२ |
| नत्थी | .. | .. | ५०३–५०४ |


विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ मार्च, १९७०

---

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—४१८

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री

केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती,
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्र भान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंग बहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री

नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंश गोपाल शुक्ल, श्री
वंशीधर, श्री
वंशीधर पांडेय, श्री
वंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री

रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री

शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

# प्रश्नोत्तर

## शनिवार, २१ मार्च, १९७०

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### इन्टरनेशनल डेवलपमेंट ऐसोसियेशन कार्य के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग में नये खण्ड

**१--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) --

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ९ फरवरी, १९७० से १२ नये खंड विश्व बैंक के कार्य कें लिए खोले गये हैं, और क्या यह भी सही है कि अभी तक इनमें से किसी भी स्थान पर अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह) --

आई० डी० ए० कार्य के सम्बन्ध में १२ नये खंड खोलने के शासन ने जनवरी, १९७० में आदेश पारित किये थे और मुख्य अभियन्ता ने इन्हें फरवरी, १९७० में खोल दिया। इनमें से चार खंडों में अधिशासी अभियन्ताओं की तैनाती के आदेश पारित कर दिये गये हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष का अन्त था अतः कार्य को छिन्न-भिन्न (dislocate) न होने देने के अभिप्राय से और मितव्ययता तथा प्रशासकीय दृष्टिकोण से, कार्य चलाने के लिए वर्तमान अधिशासी अभियन्ताओं में से कुछ को अन्य आठ खंडों के कार्य को अपने कार्य के अतिरिक्त करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय मन्त्री जी ने इस साल की बात तो बता दी है, परन्तु अगले साल के लिए वे क्या करने जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--

कुछ स्टाफ इस वक्त तक नियुक्त किया गया है। उस स्टाफ को बढ़ा कर उस योजना के अन्तर्गत सर्वे इत्यादि का कार्य आरम्भ होगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मन्त्री जी ने कहा कि ८ खंडों का काम दूसरे अभियन्ताओं के जिम्मे कर दिया गया है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अगले वर्ष उन ८ खंडों में अभियंताओं की नियुक्ति अलग से हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह--

जी हां, फिलहाल विचार है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो खंड खोले जा रहे हैं उनकी उपादेयता क्या है ? क्या ये खंड पूर्वी जिलों के विकास के लिए भी खोले जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह--

इस आई० डी० ए० योजना के अन्तर्गत नेशनल हाईवे पर सड़क को चौड़ा करना है और वहां पर जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करना है। जहां पर पुलिया बनाना आवश्यक है वहां

पर पुलिया बनायी जायेंगी । आई० डी० ए० के अन्तर्गत इस तरह की योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे ४ खंड कौन से हैं जहां अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्ति हो गयी है और वे ८ कौन से हैं जिन को दूसरे अधिशासी अभियन्ताओं के अन्डर में रख दिया गया है ? क्या इन ८ खंडों में अगले वर्ष नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री धर्मसिंह--

जिन ४ खंडों में नियुक्तियां कर दी गयी हैं वे इस प्रकार हैं--

१--इलाहाबाद,

२--लखनऊ माइनर ब्रिज डिजाइन डिवीजन,

३--कन्वर्ट डिजाइन, लखनऊ

४--फाउन्डेशन इनवेस्टिगेशन डिवीजन, लखनऊ ।

अगले वित्तीय वर्ष में और नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पूर्वी जिले अविकसित क्षेत्र हैं और वहां इन खंडों की उपादेयता है और इस दृष्टि से पूर्वी जिलों में कितने खंड खोलने जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--

बारह डिवीजन खोलने की योजना है । एक गलतफहमी यह हो रही है कि कहीं दूसरे जिले में काम नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है । जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं उसके चार खंड हैं (१) आगरा से इटावा, (२) इटावा से कानपुर, (३) कानपुर से इलाहाबाद और (४) इलाहाबाद से बनारस । इसका मकसद राष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा करना, मजबूत करना और जहां पुल बनने हैं उनका डिजाइन बनाना है । फिलहाल सर्वे हो रहा है ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

आपने बतलाया कि आठ अभियन्ता नहीं रखे गये हैं । इस समय अभियन्ताओं में बेरोजगारी है । ये जो नये बेरोजगार अभियन्ता हैं, इनमें से क्यों नहीं रख लिये जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अधिशासी अभियन्ता का सवाल है । आप प्रश्न फिर सोच लें ।

श्री मंजूर अहमद--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिशासी अभियन्ता की कमी की वजह से नियुक्ति नहीं की गयी ?

श्री धर्मसिंह--

यह बात नहीं है । जैसा निवेदन किया सर्वे में शुरू में बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होती । काम तो वहां हो ही रहा है । मार्च का आखिरी महीना था । लोकली लोगों को काम दिया गया है । शीघ्र ही और निर्णय भी लेंगे ।

श्री मंजूर अहमद--

मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आपके यहां कितने अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिला ?

श्री धर्मसिंह--

यह तमाम सूबे के बारे में पूछ रहे हैं। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

## मुजफ्फरनगर जिले में सलेक चन्द की हत्या

**२--श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मध्यावधि चुनाव के दौरान जिला मुजफ्फरनगर में जो सलेक चन्द हत्याकाण्ड हुआ था उससे सम्बन्धित मुकदमें को वापस लेने के लिये शासन के सम्मुख दरख्वास्त गुजरी है? यदि हां, तो क्या सरकार उस हत्याकाण्ड के मुकदमें को अदालत से वापस लेने पर विचार कर रही है?

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

श्री सलेक चन्द की हत्या से संबंधित मुकदमें की वापसी के लिये शासन के पास प्रार्थना-पत्र आया है जो शासन के विचाराधीन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि शामली कस्बे, जिला मुजफ्फरनगर की राजनीति दो धड़ों में विभाजित थी। इनमें एक के अगुवा सलेक चन्द मृतक थे और दूसरे के अगुवा माननीय वीरेन्द्र वर्मा, जो कि अब मंत्री हैं, थे और क्या सलेक-चन्द पिछले चुनाव में प्रत्यासी भी थे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे कैसे सम्बन्धित है?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसका सम्बन्ध इसलिये है कि इसी केस को क्यों वापस लेने के लिये ऐसा हो रहा है?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

कांग्रेस के वहां दो ग्रुप थे या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी मैं उसे भूल गया। हां, कांग्रेस प्रत्यासी थे शामली में जिसका इलेक्शन ५ तारीख को हुआ। लेकिन यह वाकेया दूसरे क्षेत्र में ६ तारीख को हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह दरख्वास्त जो गुजरी है तो क्या माननीय मंत्री जी के भाई, सगे भाई, सुरेन्द्र वर्मा भी मुल्जिम हैं और क्या इस दरख्वास्त को देने वालों में कुछ बी० के० डी० के विधायक भी हैं?

श्री चरण सिंह--

मैंने नाम तो देखे नहीं। लेकिन मालूम हुआ है कि आपके भाई भी उनमें हैं एक एक्यूज्ड।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कमोबेश जानकारी है कि सलेक चन्द हत्याकांड से समस्त मुजफ्फरनगर जिले में आतंक छा गया था और उसका असर आज तक बाकी है?

श्री चरण सिंह--

यह राय का सवाल है, इसकी बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो केस अदालत में चल रहा है वह इस समय किस स्टेज पर है और क्या सरकार ने आदलतों को इस प्रकार का संकेत दिया है कि इस पर कार्यवाही कुछ स्थगित रखी जाय?

श्री चरण सिंह--

यह ए० डी० एम० (जे०) के यहां केस चल रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह केस रुका हुआ है क्योंकि एक फरीक सुप्रीम कोर्ट में गये हुये हैं कि यह मुकदमा इस स्टेट से बाहर ट्राई किया जाय तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मृतक ने इस घटना के पूर्व और चुनाव में मतदान की तारीखों के पहले स्थानीय पुलिस को और चूंकि उस वक्त राष्ट्रपति शासन यहां था तो स्थानीय सरकार के गृह विभाग को दरख्वास्तों और रिपोर्ट के जरिये यह अवगत कराया था कि उनकी जान खतरे में है ?

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, इसका मुझको ज्ञान नहीं है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)--

जिन व्यक्तियों ने यह दरख्वास्त दी है कि यह मुकदमा वापस ले लिया जाय वह कौन हैं ? कहां के रहने वाले हैं और किस पार्टी से संबंधित हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

एक एप्लीकेशन १९-२-७० को आयी है और उस पर इनके हस्ताक्षर हैं--सर्वश्री जालिम सिंह, चन्दन सिंह, भूतपूर्व एम०एल०ए०, धर्मवीर सिंह, एम०एल०ए०, नैनसिंह, एम०एल०ए०, तथा अजब सिंह, एम०एल०ए०, इत्यादि ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

जो दरख्वास्त आयी है वह जब मुख्य मंत्री जी ने पद सम्भाल लिया उसके बाद आयी है या उससे पहले आयी थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा मैंने निवेदन किया १९-२-७० को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मुख्य मंत्री जी को इसमें क्या आपत्ति है कि प्रार्थना-पत्र पर यह कह दिया जाय कि वह अदालत से अपना निर्णय करायें, सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी ?

श्री चरण सिंह--

माननीय जायसवालजी ने बहुत ठीक कहा, आमतौर पर मुकदमें वापस नहीं लिये जाते हैं और मैं व्यक्तिगत बात कहता हूं कि जब मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, जस्टिस था या और भी कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी रही हो तो मैं इसके खिलाफ रहा हूं और अब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मुकदमें के सिलसिले में क्या फैसला होगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुकदमों में जब कोई मैलिस वगैरह इन्वाल्व्ड न हो और बहुत लोग दोनों तरफ से इन्वाल्व्ड हों तो माननीय पंतजी की बराबर यह नीति रही थी कि ऐसे मुकदमें वापस ले लेने चाहिये। मसलन कोई रायट हो जाय और ५० आदमी इधर हों और ५० उधर हों तो ऐसे मुकदमें उन्होंने वापस लिये थे लेकिन इस मामले में अभी सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और यह सारा मामला विचाराधीन है ।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक सलेक चन्द हिस्ट्रीशीटर थे और उनकी हिस्ट्री किस साल में खुली थी ?

श्री चरण सिंह---

यह बात ठीक है कि उनको कई बार सजा हुई थी लेकन वह बाद में छूट गये थे और उनकी हिष्ट्रीशीट भी दर्ज हो गई थी ।

## अध्यक्ष, जिला परिषद् झांसी के विरुद्ध जांच

**३---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों मे सी० आई० डी० जांच की जा रही थी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त जांच कार्यवाही को रुकवा दिया गया ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या थे और जांच के रोक दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

जी हां । सी० आई० डी० द्वारा जांच समाप्त हो जाने के उपरान्त आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी, को कुछ आरोपों की जांच जिला मैजिस्ट्रेट, झांसी से कराने के आदेश दिये जा चुके हैं, आरोपों की सूची संलग्न है । उपर्युक्त परिस्थिति में जांच को रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०३-५०४ पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इन आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० की जांच कराने के बाद बजाय इसके कि उस मामले को कोर्ट मे भेज देते वह कौन से कारण आ गये कि उसमें फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी कराई गई ?

श्री शिवराज सिंह---

सी० आई०डी० की जांच चूंकि पूरी नहीं हो सकी थी कुछ कारणों से और इसलिये जांच को पूरा कराना जरूरी था कोई कार्यवाही करने से पहले ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वे कौन से कारण थे कि सी० आई० डी० की जांच नहीं पूरी कराई जा सकी ?

श्री शिवराज सिंह---

सम्बन्धित कागजात और अभिलेख आदि सी० आई० डी० को उपलब्ध नहीं हुये और इसलिये कुछ आरोपों की जांच वह नहीं कर सकी ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभिलेख उपलब्ध थे उनसे क्या-क्या आरोप सी० आई० डी० ने पुष्ट माने ?

श्री शिवराज सिंह---

क्योंकि उत्तर में आरोपों की सूची संलग्न है इसलिये मैं आरोप संख्या बताकर उत्तर दिये देता हूं कि २-३-४ और ६ व ७ का कुछ भाग तो भवन कार्यों के सम्बन्ध में था और संख्या ९, १० व १२ प्रमाणित पाये गाये ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

यह जो प्रमाणित आरोप हैं उनमें क्या यह आरोप भी है कि उन्होंने सैकड़ों फोन निजी कार्य के लिये किये थे और जिला परिषद् के कोष से पैसा दिलाया गया ?

श्री शिवराज सिंह---

संलग्न सूची देख लीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जब सी० आई० डी० ने कहा कि हमें आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं हो रहें हैं वह उपलब्ध कराये जायं, लेकिन क्या यह सही है कि सरकार ने सी० आई० डी० को कागजात उपलब्ध न कराके दूसरे अधिकारियों से जांच कराई ?

श्री शिवराज सिंह---

सी० आई० डी० को यह अभिलेख और कागजात प्राप्त न हो सके तो वहां के कमिश्नर को यह जांच सौंपी गई है, वह जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से और जिला विद्यालय निरीक्षक, संबंधित अधिकारी और शिक्षा निदेशक आदि जिन्हें भी वह जांच के लिये उपयुक्त समझें उनके द्वारा वह शीघ्र ही जांच पूरी करायें।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

यह दूसरे अधिकारियों को जांच के आदेश प्रसारित किये गये वे किस तारीख को किये गये ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, आयुक्त को यह आदेश ८-१२-६९ को जारी किये गये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वही कागज जब अब कलेक्टर, जिला विद्यालय निरीक्षक और शिक्षा निदेशक को उपलब्ध हो रहे हैं तो वे सी० आई० डी० को क्यों नहीं प्राप्त हुये थे ?

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि सी० आई० डी० को कागजात उपलब्ध नहीं हुये इसलिये सी० आई० डी० कोई कार्यवाही करने में असमर्थ रही। कमिश्नर और कलेक्टर का ओहदा बड़ा होता है और अधिनियम में भी उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वे उनको इस्तेमाल करके अभिलेखों को प्राप्त कर लेंगे।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने पर आरोप सिद्ध हो जाते लेकिन कमिश्नर और कलेक्टर द्वारा जांच कराने में वे आरोप छिप सकते हैं, क्या इसीलिये सी० आई० डी० द्वारा जांच कराना समाप्त कर दिया गया है ?

श्री शिवराज सिंह---

जांच के सम्बन्ध में बयान कर चुका हूं। उनमें यह कारण नहीं है।

## इलाहाबाद से प्रकाशित "भारत" की तालाबन्दी का मामला

**४---श्री रामगोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले एक सप्ताह से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय दैनिक समाचार-पत्र "भारत" जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता है उसके प्रबन्धकों ने तालाबन्दी कर दी है जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों कर्मचारी तथा सम्पादकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है ? क्या सरकार श्रमिकों की उचित मांग पूरी कराने तथा समाचार-पत्र पुनः प्रकाशित कराने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)---

समाचार पत्र "भारत" के सेवायोजकों द्वारा कोई तालाबन्दी नहीं की गई। सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के मध्य विवाद के दौरान १४-३-७० को १०२ गैर पत्रकार कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक हड़ताल करने पर १९ पत्रकार कर्मचारियों को १४ मार्च, १९७० की बैठकी कर दिया गया था। आपसी वार्ता के फलस्वरूप १५-३-७० को गैर पत्रकार कर्मचारी पुन: काम पर वापस आ गये और सेवायोजकों ने १९ पत्रकार कर्मचारियों की बैठकी समाप्त कर दी। श्रम विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेवायोजकों तथा कर्मचारियों की समस्यायें पारस्परिक वार्ता द्वारा सुलझाने की चेष्टा की जा रही है। समाचार-पत्र पूर्ववत् प्रकाशित हो रहा है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विवाद क्या था और किन कारणों से १९ पत्रकारों को नोटिस दे दिया गया बैठकी का लेकिन चूंकि दूसरे दिन फैसला होने के कारण कुछ को वापस ले लिया लेकिन कुछ को वापस न लेने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र वर्मा)---

वेज बोर्ड ने सन् १९६३ में एक रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर पिछले १-२ साल से इस प्रकार का झगड़ा चलता रहा। उसके बाद फैसला भी हुआ कि उन लोगों के वेतन में १० प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। उसके बाद फिर झगड़ा हुआ तो १४-१/२ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी और उन्हीं मामलों को लेकर वेतन बोर्ड की सिफारिशे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १९६७ नवम्बर में एक्सेप्ट कर लीं लेकिन प्रबन्धक उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर यह ७० प्रतिशत हुयी लेकिन प्रबन्धकों ने वह भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस प्रकार के झगड़े थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेज बोर्ड की सिफारिशों को मान लिया गया है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी नहीं।

श्री रामगोपाल संड---

मेरा प्रश्न था कि जब एक दिन की तालाबन्दी के बाद दफ्तर खुले तो कुछ एडिटर्स को तो ले लिया और कुछ को नोटिस दे दी गयी कि आप को वापस नहीं लिया जायगा। तो क्या सरकार उनके नोटिस वापस लिवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

एक दिन का ले आफ किया गया था। बैठक की गयी। सिर्फ १९ पत्रकार-कर्मचारी १५ तारीख से काम पर आ गये और फैसले की बात चल रही है।

श्री रामगोपाल संड---

इस पत्र की स्थापना स्व० मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वहां पर एक और अंग्रेजी अखबार लीडर निकलता था उसे बिरला बन्धुओं ने बन्द कर दिया। तो क्या सरकार इसका प्रन्बन्ध करेंगी कि इसके प्रबन्धक 'भारत' अखबार को भी न बन्द कर सकें?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह तो प्रयास सरकार का निरन्तर जारी रहेगा कि "भारत" अखबार बन्द न हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या श्रम मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि वे प्रबन्धकों पर श्रम कार्यालय का दबाव डालेंगे कि वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं, वे स्वीकार हो जायं और जो वहां के कर्मचारी हैं, उनका विक्टिमाइजेशन न हो ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह मामला १९ अक्तूबर, १९६८ को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को गया था इसलिए इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वैसे चूंकि ११/२ साल हो गया है तो मैंने कहा है कि इस पर इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को स्मरण कराया जाय कि वह शीघ्र निर्णय दे दे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी को विदित है कि "भारत" को बन्द करने की योजना बनायी जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मेरी जानकारी में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रामगोपाल संड--

इस सम्बन्ध में यू० पी० जर्नलिस्ट एसोशिएशन के कुछ पदाधिकारी माननीय मंत्री जी से मिले थे और कुछ निवेदन किया था ? यदि हां, तो वह क्या निवेदन था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जरूर मिले थे और यही निवेदन किया था कि इस मामले को निपटाया जाय और ले आफ नहीं होना चाहिये जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और उसी दिन हमने असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर को टेलीफोन भी किया था और उसी दिन इसको उनके सिपुर्द कर दिया।

श्री गोविन्द सिह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इस बात को देखते हुए कि आमतौर पर सेवायोजक वेज बोर्ड की सिफारिशों को नहीं मानते हैं, कोई ऐसा विधेयक सदन में लायेंगे जिससे कि सेवायोजक वेज बोर्ड की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य हो सकें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जब मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सुपुर्द हो जाता है तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर जब सेवायोजक काम नहीं करते तभी सरकार बीच में आती है।

## वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियों के शुद्धि-पत्र†

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिह)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की दिनांक १ जुलाई, १९६९ की--

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० -३६०९/दस-९००(२१)-६९,

(२) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३६१०/दस-९००(२१)-६९

(३) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३६१३/दस-९००(२१)-६९,

---

†छापे नहीं गये।

[श्री बलबीर सिंह]

(४) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३६१५/दस-९००(२१)-६९ के शुद्धि-पत्र संख्या एस० टी०-३५३४/दस-९०० (२१)-६९ दिनांक १९ जुलाई, १९६९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उप धारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

## वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना

श्री बलवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग कि अधिसूचना संख्या एस० टी०-१८०४-१०-९००(७१) ६९ दिनांक १० मार्च, १९७० को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा-३ क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ९ मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हू कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ९ मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ९ मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ११ मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज ( संशोधन तथा वैधीकरण ) विधेयक, १९७० जो विधान सभा द्वारा ११ मार्च, १९७० को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम, १९५८ में संशोधनार्थ याचिका

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम—१९५८ में संशोधन की प्रार्थना से संबंधित श्री रामसुन्दर शास्त्री द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता। यह इस प्रकार है.....

श्री उपाध्यक्ष—

याचिका को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, पढ़ने दें ताकि हम लोगों को भी जानकारी हो जाय।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

हम लोगों को भी तो जानना चाहिये कि उसमें क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में नियम २४२ है कि "याचिका उपस्थित करने वाले सदस्य अपने को निम्नरुप के कथन तक ही सीमित रखेंगे।"

"मैं———के सम्बन्ध में याचिका देने वाले (लोगों) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।" यह नियम है। संदिग्ध नियम की अवस्था में कोई आग्रह चल सकता है, किन्तु जहां नियम असंदिग्ध है, स्पष्ट है इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, हम लोग कैसे जाने कि इसमें क्या है। हमेशा पढ़ने का अवसर उसे मिला है, जिसने उपस्थित किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पढ़ा गया—"निर्माण कार्यों का विनियमन" अब याचिका समिति में जायेगा, उसके बाद आपके सामने आयेगा। नियम जो है उनके अनुसार हमें आपको चलना होगा।

श्री मैनेजर सिंह—

आप व्यवहारिक दृष्टि से देख कर सदन का काम नहीं चलाते हैं। जब जैसे नियस की आवश्यकता होती है, वैसा ही आपको सचिव महोदय दे देते हैं। यह हमेशा अवश्य पढ़ा जाता रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में नियम बिलकुल साफ है। जहां यह लिखा है—"मैं————के सम्बन्ध में याचिका देने वाले (लों) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।" उसके बाद उसी में यह भी दिया है—"और इस कथन पर किसी वादविवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।"

श्री मैनेजर सिंह—

अब तक की परम्परा रही है याचिका पढ़ कर सुना देने की कि आखिर याचिका है किस बात की। जैसी स्थिति हो, वैसी आप को रूलिंग सचिव दे देते है और बिना समझें उसको मान कर उस पर अड़ जाते है। यह बात ठीक नहीं है। जितना समय लगा, उतने में आप तो पढ़वा सकते थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जैसे सचिव के बारे में है कि अमुक चीज की सचिव सूचना देंगे। यदि वही मन्तव्य यहां पर होता तो यहां पर भी यही होता है कि याचिका देने की सूचना देंगे, किन्तु यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर यह है कि याचिका प्रस्तुत की जायगी। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ी जायगी और सारे सदस्य इसको सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कोष्ठक के अन्दर लिखा हुआ है—'मैं इसे उपस्थित करता हूं।'

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शब्द आया है कि अनुज्ञा मांगेंगे या आप उनको अनुमति देंगे या उपस्थित करेंगे। मान्यवर, जिस नियम का हवाला आप दे रहे है उसमें यह निहित है कि जब किसी शिकायत या याचिका को प्रस्तुत करेंगे तो यदि यह नहीं मालूम होगा कि याचिका क्या है तब कैसे होगा। जब यहां पर श्री गिरधारी लाल, नेता विरोधी दल ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था तो उसमें भी यह था कि अनुज्ञा प्राप्त करेंगे तो उस समय भी अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रस्ताव पढ़ कर सुनायेंगे। उन्होंने प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया तब उन्होंन अनुज्ञा मांगी और फिर उन्होंने अनुज्ञा दी थी। इसी तरह का यह भी केस है। किसी याचिका के प्रस्तुत करने का क्या मतलब है, जब तक कि उसके कान्टेन्ट (विषय) माननीय सदस्य को मालूम न हों। बिना इसके लोग मतलब इसका क्या समझेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं, इसे पूरा पढ़े देता हूं, यदि आप इसे पूरी गम्भीरता के साथ सुनेंगे तो मैं आपको सन्तुष्ट करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जो मैनेजर सिंह ने कहा है उनके किन्हीं विचारों के अधीन मैने यह निर्णय नहीं किया है। क्योंकि नियम २४३ में साफ लिखा हुआ है—"प्रत्येक याचिका नियमों के अधीन उपस्थित किये जाने के उपरान्त समिति को निर्दिष्ट की जायगी।" प्रस्तुतकर्त्ता कोई रिपोर्ट नहीं रख रहे है, इत्तला भी नहीं मांग रहे हैं। आपने याचिका रखी। यह याचिका, याचिका समिति में जायगी। समिति अध्यक्ष को यह सिफारिश कर सकेगी कि याचिका अस्वीकार कर दी जाय यदि वह नियमों के अनुकूल न हो, और ऐसी दशा में अध्यक्ष उसे अस्वीकार करेंगे, या वह निदेश दे सकेगी कि याचिका सविस्तार अथ वा संक्षिप्त रुप में परिचालित की जाय। आप को कुछ कहने की आवश्यकता बिलकुल एकदम नहीं है।

(कई सदस्य खड़े हुए)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

इस सम्बन्ध में नियम २३५ की व्याख्या करने की कृपा करें।

श्री मैनेजर सिंह---

आप सोच कर व्यवस्था दें। आप बाद में व्यवस्था दे दें।

श्री कृष्णानन्द राय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे आपने एक बात कही है उसको हमारे लिये यह भी कहना मुश्किल होगा कि वह बात ठीक नहीं और नियम का भी आपने हवाला दिया। जैसा माननीय शास्त्री जी आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप नियम २३५ की ओर ध्यान दें। उसमें लिखा है---"प्रत्येक याचिका सदन को सम्बोधित की जायगी और जिस विषय से उसका सम्बन्ध हो उसके बारे में याचिका देने वाले की निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी।" उसके बाद नियम २३६ में दिया है कि किन प्रश्नों पर याचिकायें दी जायेंगी। नियम २३५ और २३६ से स्पष्ट है कि सदन के समक्ष याचिका देने वाला सदस्य सदन को सम्बोधित करेगा और याचिका का उद्देश्य बतायेगा। कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता कि याचिका सदन के समक्ष पढ़ी जायगी और सदस्य विचार दे सकेंगे कि याचिका नियमित है या अनियमित है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नहीं है। अभी यह स्थिति है कि याचिका रख दी गयी। याचिका स्वीकार की जाय या न की जाय, समिति को वह निर्दिष्ट की जायगी। उसके बाद अध्यक्ष अपनी राय देंगे और फिर आपके सामने आयेगी या नहीं आयेगी। इस लिये इस स्टेज पर जितना हुआ है उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अनुकूल भी है और आप ठंडे दिल से पूरा पढ़ लीजियेगा, इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

(कई सदस्य खड़े हुए)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं रूल २३६ की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा....

कृषि मंत्री (श्री शिवराजसिंह)---

व्यवस्था का प्रश्न है। आप अवलोकन करें नियमावली के पृष्ठ ६४ पर नियम २४२ और उसकी अंतिम पंक्ति पढ़े। वह इस प्रकार है---"और इस कथन पर किसी वादविवाद की अनुज्ञा नहीं होगी" (व्यवधान) नियमों के अनुसार, श्रीमन्, सदन को अधिकार नहीं है कि जिस कथन का इसमें जिक्र है उस कथन पर किसी प्रकार का विवाद करे। कथन क्या है? कथन का प्रारूप दिया हुआ है, जिस प्रारूप में कथन को प्रस्तुत करना है और वह कथन आ गया सदन के समक्ष। उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद करना मना है इस नियम के अन्तर्गत इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अनुज्ञा न दें कि इस कथन पर किसी प्रकार का विवाद हो।

श्री रियासत हुसैन---

२३६ के आधार पर इस सदन में याचिका प्रस्तुत की जाती है। उसके आधार पर ही वह एजेन्डे के नम्बर ६ पर याचिका समिति में जाने के लिये रखी है। उसकी आखिरी पंक्ति में लिखा है कि 'याचिका प्रस्तुत करेंगे"। इसका मतलब यह है कि जो याचिका है वह उपस्थित करने के लिये एजेन्डे पर आ गई। अब इसके बाद २३५ जिसका हवाला माननीय कृष्णानन्द राय ने दिया, कि वह याचिका सदन को सम्बोधित की जायगी। आपने अपने कक्ष में इसको प्रस्तुत करने की

[श्री रियासत हुसन]
आज्ञा दे दी और वह ऐजेन्डे पर आ गई। ऐजेन्डे पर साफ लिखा है कि याचिका वह प्रस्तुत करेंगे। इसका मतलब यह है कि वह २३५ के अनुसार सदन के सामने उस याचिका को उपस्थित करेंगे। उसको आप याचिका समिति के सिपुर्द करेंगे तो २३५ के अनुसार आप को उन्हें उपस्थित करने की इजाजत देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य के तर्क से सहमत नहीं हूं। यह याचिका सदन के सन्मुख आ गई है इस अनुज्ञा इसको नहीं मिली है। अब यह समिति को निर्दिष्ट होगी। उसके पश्चात् समिति इ पर विचार करेगी और अपनी राय देगी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

कृपया मुझको भी सुनने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मजबूर हूं जैसा मैं भाष्य कर सकता हूं, जैसी ईमान्दारी से मैं समझता हूं वह मैंने बता दिया। इस पर अब मैं बहस नहीं चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय——

मैं यह कहना चाहता हूं.....

श्री रियासत हुसैन—

आप नियम २३६ को देख लें ....

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी जो बुद्धि है उसके अनुसार सदन के काम की व्यवस्था करता हूं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हूं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया मुझे सुनें। ....

श्री मैनेजर सिंह —

आप कृपया शान्ति के साथ अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने को बहुत योग्य समझते हैं, लेकिन जब मैं खड़ा हूं, उपाध्यक्ष खड़ा है तो आपको नहीं बोलना चाहिये। आप तर्क दीजिये। नियम में संशोधन कीजिये .....

श्री मैनेजर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। आप खड़ें रहेंगे तो क्या हम बैठे बैठे बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

इतनी कृपा करेंगे सदन पर तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा।

श्री रियासत हुसैन—

उपाध्यक्ष महोदय, नियमावली से आप भी बंधे हुए हैं। हम भी बंधे हुए हैं। २४० का जो हवाला दिया कि माननीय सदस्य अपनी ओर से याचिका प्रस्तुत नहीं करेंगे तो मैं इससे सहमत नहीं हूं।

## मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

आज अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस २ बजे समाप्त हो जायगी और २ बजे से नेता विरोधी दल विवाद का उत्तर देंगे। १५ मिनट साधारणतया उनको उत्तर के लिये दिये जायंगे। तत्पश्चात माननीय मुख्य मंत्री बोलेंगे, उनके लिये समय की बाध्यता तो नहीं है, किन्तु ४ बजे इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो जायगी और उस पर मतदान होगा।

## श्री अशफाक अहमद के विरुद्ध उपस्थिति रजिस्टर पर दूसरे सदस्य के हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे श्री अशफाक अहमद तथा श्री अहमद लूत खां से मिल कर कथित हस्ताक्षरों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अपना निर्णय देंगे और सदन के सम्मुख उसे प्रस्तुत करेंगे। किन्तु श्री अशफाक अहमद अभी तक माननीय अध्यक्ष से नहीं मिल सके। यदि वे माननीय अध्यक्ष से नहीं मिलेंगे तो अध्यक्ष महोदय उस विषय पर राइटिंग एक्सपर्ट से राय ले कर आगे की कार्यवाही करेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राजितराम पाण्डेय को अनधिकृत रूप से बोलने की अनुमति न देने पर श्री राजितराम पाण्डेय ने ५ मिनट के लिये सदन का परित्याग किया।)

## मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद के सम्बन्ध में सूचना (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में निवेदन करना है कि श्रीमन्, आप जरा यह बतला दें कि हम लोग किस तरह से सदन का कार्य करें। बहुत ही आवश्यक विषयों पर आप खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर एक निर्णय दे देते हैं। जिस समय तक आप खड़े रहेंगे उस समयपतक हमें अधिकार नहीं है कि हम लोग बीच में खड़े होकर अनुनय-विनय कर सकें। आप बैठेंगे उस समय तक सारी बात कह चुके होंगे और निर्णय दे चुके होंगे तो हमें यह बताइये कि किस तरह से हम अपनी प्रार्थना आप तक पहुंचा सकें।

श्रीमन्, आप जो उस कुर्सी पर बैठे हैं और हम यहां बैठे हैं तो इसमें थोड़ा सा अन्तर है। आपको इतना अधिकार प्राप्त है कि यदि हम कोई अनियमित काम कर रहे हों तो आप हमको बाहर निकलवा कर फिकवा सकते हैं। इसलिये आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। आप हम लोगों की बात सुनें। फिर जो आप निर्णय देंगे वह तो हमें मान्य होगा ही।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो आपकी शिक्षा है (व्यवधान)। आप बात नहीं कह रहे है शिक्षा दे रहे हैं। आप कृपा करके बैठिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) आप इस तरह से गला नहीं घोंट सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आप हमारी प्रार्थना सुन लें । आपने व्यवस्था दी है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर दो बजे बहस समाप्त हो जायेगी । इसके बाद नेता विरोधी दल बोलेंगे और मुख्य मंत्री आखिर में बोलेंगे । हमारी प्रार्थना थी कि इस व्यवस्था को देने से पहले आपको चाहिये था, हमारी ऐसी फीलिंग है कि आप नेता विरोधी दल और नेता सदन को बुला लेते और किस तरह से इस पर बहस हो इस पर विचार कर लेते । लेकिन आपने बिना विचार किये ही अपनी व्यवस्था दे दी और यदि हम कुछ कहते हैं तो आप कहते है कि चुप रहिये बैठ जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने सदन में स्वच्छन्द वाणी की इजाजत दी है । न केवल सही बल्कि गलत बात भी बोलने की इजाजत दी है । जैसे आपने मेरे निर्णय को चुनौती दी है, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी जज के जरिये सब्स्टैंशियेट करा सकें कि यह गलत है (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

हम किसी जज के पास नहीं जा सकते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह गलत परम्परा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले सुन लीजिये । कृपा करके बैठ जाइये । आपको भ्रम हो गया है। यह मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, वह तो अध्यक्ष महोदय का आदेश था जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाया । मैंने अपना कोई निर्णय नहीं दिया, जो आप मेरे ऊपर आक्षेप करते हैं । मैंने निर्णय दिया याचिका के संबंध में और माननीय जायसवाल जी उससे संतुष्ट हो गये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

याचिका तो मेरी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

याचिका कुछ लोगों की थी, जिसको आपने उपस्थित किया था ।

*श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह आपने ठीक कर दिया कि आपने बता दिया कि वह निर्णय अध्यक्ष जी का था । उसके बारे में मैंने आपसे जो शब्द कहे, मैं उनको वापस लेता हूं । इसमें आपकी कोई गलती नहीं है । लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी तक अपनी यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस समय चर्चा हो रही है, जिस पर हम आज निर्णय लेने जा रहे हैं । बिना अपोजीशन को कान्फीडेंस में लिये यह निर्णय देना कि २ बजे तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होगी, फिर माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे, फिर नेता सदन बोलेंगे । पहले माननीय नेता सदन को बोलना चाहिये जिससे वह यह बतायें कि नीतियों के संबंध में जो अपोजीशन के प्रस्ताव में कही गयी है, उनका क्या विचार है । अगर माननीय नेता सदन नीतियों के संबंध में कुछ प्रकाश डाल देते हैं तो हो सकत. है हम इस अविश्व.स के प्रस्ताव को वापस ले लें । अगर वे हमारी नीतियों को मान लेते है तो हो सकता है हम उस प्रस्ताव को प्रेस ही न करना चाहें । (व्यवधान) इसलिये आप नेता सदन से पहले बोलने के लिये कहें । अभी तक जो बहस हो चुकी है उसमें माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ नीतियों की चर्चा की । उन नीतियों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी के क्या विचार हैं, उनको जानकर यह सदन कुछ निर्णय ले सकता है, उस पर विचार कर सकता है इसलिये आप कृपया माननीय नेता सदन को बीच में इन्टर वीन करने दें । माननीय नेता विरोधी दल जब तक उनको न सुन लें और क्या कहेंगे, उनको जो कुछ कहना था कह ही दिय. । इसलिये अ.प से करबद्ध प्रार्थना है कि पहले माननीय नेता इन्टरविन करें, सरकार की पालिसीज को बतायें, उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल बोलें । मेरी इस प्रार्थना पर कृपया आप नाराज न हों ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)--

माननीय कृष्णनन्द राय जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं । मैं जो कुछ कहना चाहता था, वह तो कह ही चुका हूं । सरकार की तरफ अब पहले यह मालूम हो जाय कि उस सिल-सिले में क्या विचार हैं, तभी मैं कुछ और कह सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या मैं यह समझूं कि जो कुछ कृष्णानन्द राय जी ने कहा उसका सार यही है कि वे नेता विरोधी दल से पहले नेता सदन को बुलवाना चाहते हैं । वे स्वयं भी मंत्री रह चुके हैं । वे जानते हैं कि इस हाउस की क्या परम्परा है, मैं कोई नयी परम्परा नहीं डाल रहा हूं, अब वह गलत हो या सही हो । आपकी जो परम्परा है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं । माननीय कृष्णानन्दराय जी ने सदन का इतना समय लेकर केवल एक बात कही कि पहले नेता सदन को बुलवाया जाय और बाद में नेता विरोधीदल को । अगर वे खुद नाराज न हों तो वे इस बात को स्वयं ही समझ जायेंगे । बात सिर्फ इतनी सी है, जिस पर वे नाराज थे ।

[***]

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

माननीय मैनेजर सिंह लगातार चेअर पर आक्षेप कर रहे हैं, यह अनुचित है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो जिस धरातल का है उसके ऊपर नहीं उठ सकता है । कुछ लोग यह नहीं जानते कि क्या वह कह रहे हैं । अपमान करते हुये भी वह यह नहीं जानते कि अपमान कर रहे हैं, इसलिये नादानी क्षम्य है । (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं बड़े आश्चर्य में हूं कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि कब आप सीरिअस हैं और कब आप नान सीरिअस हैं । जब आप सीरियस होते हैं तो पता लगता है कि किसी ने कुछ अनुचित कह दिया है । जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है और आप उस बीच में खड़े हो जाते हैं तो उसके अर्थ हैं कि वह बैठ जाय । लेकिन इससे उसको उस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है और ऐसा आभास होने लगता है कि व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहें हैं और इसलिये खड़े हो गये कि वह बैठ जाय ।

---

[***] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष --

आप निश्चित बात कीजिये । आप केवल मूल बतलाइये, यह न कहिये कि यह गलती की और वह गलती की । मैं परम्परा चाहता हूं । श्री स्वामी ने जो कुछ कहने की कोशिश की उस बुद्धि की तस्वीर मैं नहीं हूं । मैं जब कुछ कहता हूं तो आपके ४२६ सदस्यों की समवेत बुद्धि का जो निर्णय है वह मैं कहता हूं । मैंने याचिका के सम्बन्ध में कहा कि यह समिति में जाय । दूसरी बात कुछ लोग चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया जाय या नेता सदन को बोलने दिया जाय । तो इन बातों पर गरमी की क्या जरुरत है, नियम बने हुये हैं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

इस सदन में कुछ परम्परायें रही हैं । जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह एक प्रस्ताव है और इसके प्रस्तावक नेता विरोधी दल हैं । जो बहस होगी उसका उत्तर केवल नेता सदन देंगे । उसके बाद नेता विरोधी दल उसके ऊपर बोलेंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक गरमागरमी सदन में हो गई । मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि जैसा माननीय नेगी जी ने कहा है वह ठीक है और वह नितान्त आवश्यक है । जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और हमने सरकार के ऊपर आरोप लगाये हैं जिनका उत्तर सरकार दे और अन्त में उसको वाइन्ड अप करें माननीय नेता सदन । अविश्वास का प्रस्ताव तो हमने प्रस्तुत किया है और यहां पर जो डिवेट होगी उसका उत्तर सरकारी पक्ष की ओर से रखा जायगा । इस प्रकार की परम्परा रही है । माननीय कृष्णानन्द राय ने जो तकरीर यहां पर दी और उसका भाष्य भी किया उसमें एक चीज और जोड़ दें कि हम सभी सदस्यों की तकरीरें सुनकर तभी आप खड़े हों ।

(व्यवधान)

मैं इस बात को बड़े संकोच के साथ कह रहा हूं । आपके खड़े हो जाने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी डिबेट को समाप्त करके उसका समापन हो जायगा । आप उसको स्वीकार करेंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)

मान्यवर, जहां तक कि मुझको याद है अविश्वास के सम्बन्ध में यही परम्परा रही है जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषित किया है । अनेक बार सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं । नेता विरोधी दल अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं । वह अपना भाषण देते हैं और उस पर दोनों ओर से वादविवाद होता है । उसके बाद नेता विरोधी दल को अवसर मिलता है । इस बीच में मंत्रिमंडल के कोई माननीय सदस्य चाहें तो वह भी बीच में सरकार की तरफ से विचार प्रकट कर सकते हैं । माननीय शिवराज सिंह जी ने सरकार की ओर से विचार व्यक्त किये थे । दोनों तरफ की बात सुनने के बाद माननीय नेता विरोधी दल अथवा प्रस्तावक अपने विचार प्रकट करते हैं । उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते है । यदि माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रस्तावक महोदय सन्तुष्ट हैं तो उस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और यदि वह सन्तुष्ट नहीं हैं तो मतदान की मांग करेंगे । यह बड़ी स्पष्ट परम्परा है । इस समय सचिवालय का साहित्य मेरे पास नहीं है और यदि होता तो मैं उसको पढ़ कर इसको बता देता ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य --

माननीय महीलाल जी को सम्भवत: यह ख्याल नहीं है कि नेता विरोधी दल के बोलने के बाद कदाचित् वे आरोप सत्य हुये तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपना त्याग पत्र दे दें और यदि वह नहीं दें तो उसको वोट के लिये रखा जायगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) --

पिछले सन् १९६२ से लेकर सन् ६७ तक यह रहा है कि हर ६ महीने के बाद नो कान्फीडेंस का मोशन डिस्कस होता रहा है। यह परम्परा यहीं की नहीं बल्कि पार्लियामेंट में चाहे हाउस आफ कामन्स हो या पार्लियामेंट हो चलती रही है। जो मूवर होगा उसका मोशन डिस्कस होता है और चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो उसके डिवेट का पार्ट होता है। उस मोशन के बारे में चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो को उत्तर देना है और अन्त में वह सारे डिबेट को धन्यबाद के साथ क्लोज करता है। इसलिए आपसे मेरा यह निवेदन है कि इस सदन का यही कंवंशन और ट्रेडिशन रहा है। जब कभी नो कांफिडेन्स मोशन डिस्कस हुआ है तो हमेशा चीफ मिनिस्टर उस डिबेड का पार्ट बन कर उस डिबेट का जवाब देता है और अन्त में जिसने मूव किया है, चाहे विरोधी दल के नेता ने मूव किया है, चाहे किसी अन्य आनरेबिल मेम्बर ने मूव किया है उसी ने हमेशा धन्यवाद के साथ बाद में डिबेट को क्लोज किया। इसलिये आप से मेरा निवेदन है कि उसी प्रक्रिया को कायम रखें और इस सदन को चलने दे।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय आचार्य जी ने और माननीय रियासत हुसेन साहब ने फरमाया है, वह केवल एक ही माने में सही है कि और सभी प्रस्ताव, नो कांफिडेन्स प्रस्ताव के अलावा जो होता है उसमें प्रस्तावक को यह अधिकार है कि बाद में वह जवाब दें, सबसे बाद में, लेकिन नो कांफिडेन्स मोशन के लिए यह नियम लागू नही होता। यह हमारे यहां का कंवेन्शन रहा है। इसमें फैक्ट कहां तक है इसको आप अपने आफिस से मालूम कर सकते हैं। इसलिए उसी कंवेन्शन पर अमल किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

आपको आफिस ने क्या बतलाया है, यही बतला दीजिए।

श्री चरण सिंह—

मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से आखिरी जवाब नो कांफिडेंस मोशन मे होता है और मोशन और प्रस्ताव में प्रस्तावक की तरफ से आखिरी जवाब होता है। हो सकता है कि मेरी यह राय गलत हो। वहां से इसकी तस्दीक की जा सकती है। बीच में नो कांफिडेंस मोशन के प्रस्ताव पर चीफ निनिस्टर या और मिनिस्टर इंटरवीन करते हैं लेकिन आखिरी जवाब गवर्नमेन्ट की तरफ से ही होता है। ऐसा मेरा ख्याल है लेकिन इसमें कोई गलती हो तो उसे आप ठीक कर देंगे। ऐसे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि पहले मैं बोल लूं और चौधरी साहब बाद मे बोल लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो उस डिबेट को ही खतम कर दिया और यह स्वीकार कर लिया कि वे पहले बोलेंगे और बाद में नेता विरोधी दल बोलेंगे। श्रीमन्, नियम ५१,४९ या ५२ के अन्तर्गत जितने लोक महत्व के प्रश्न यहां पर चर्चा के लिए आते हैं उनमें मूवर को बाद में उत्तर देने का अधिकार है और सम्बन्धित मंत्री डिबेट का समापन करते हैं यह साधारण नियम है। लेकिन जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध है, शायद आप नियम २९२ का हवाला दें और सचिव आपको यह बतला रहे हैं। नियम २९२ में आप देखेंगे—उसमें आया है कि किसी विशेष विभाग के वह मंत्री हों लेकिन नो कांफिडेंस प्रस्ताव में यह लागू नहीं होगा। जैसी कि हमेशा यहां की परम्परा रही है और लोक सभा में भी यही परम्परा रही है और चौधरी साहब भी उससे अपनी सहमति प्रकट कर चुके हैं तो उसी नियम को रखा जाय। परम्परा यहां की यही बनती रही है कि पहले मुख्य प्रस्तावक महोदय बोलें और उसके बाद मूवर को अधिकार हो। कि वे उसकी रिप्लाई दें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही विवाद चलता रहा तो न नेता सदन बोल पायेंगे और न नेता विरोधी दल ही बोल पायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं और यही यहां की परम्परा भी रही है इसलिये अब इस विवाद को बन्द किया जाय क्योंकि अगर यही बहस जारी रही तो किसी को बोलने का समय नहीं मिल पायेगा। क्योंकि २ बजे आप विवाद बन्द कर देंगे, इसलिए अब माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं पहले अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। अध्यक्ष ने एक निर्णय किया है उसकी सूचना मैंने आप को दी। इसके ऊपर मर्यादा के हिसाब से मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहता क्योंकि वे स्वयं आवेंगे। यह अध्यक्ष का निर्णय है इसलिए इस पर वे स्वयं या उस वक्त जो पीठासीन अधिकारी होगा, निर्णय लेगा, इसमें जल्दी निर्णय लिये जाने की कोई बात नहीं है। अब यहां पर जितना समय लगा, और तमाम बातें जिस ढंग से कही गयीं—लेकिन जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने गंभीर और न गंभीर होने का सवाल उठा दिया, मैं तो हमेशा हंसता रहता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब कोई दूसरा हंसता है तो उसके चेहरे से तो पता चल जाता है कि वह हंस रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ने कहा कि मैं कब गंभीर होता हूं और कब गम्भीर नहीं होता हूं। मैं तो सदा एक सा रहने की कोशिश करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अगर मेरा निवेदन स्वीकार करें तो इस समय को बचा लें और डिबेट शुरू करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप डिबेट का समय बचाना चाहते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप कोई निर्णय भी नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई छुई-मुई नहीं हूं। आप कृपा करके बैठ जाइये। मैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हुये जो धरालत इस देश की जनता का है, जो धरातल इस देश के विधायकों का है, उससे अलग नहीं रहना चाहता हूं। मान-अपमान के बहुत से सवाल आप उठाते हैं। जब आप कोई सवाल उठाते हैं तो कभी-कभी मैं निर्णय पढ़ने लगता हूं। मैं तो न इधर जा सकता हूं और न उधर जा सकता हूं। आपको तो इधर से उधर जाने का मौका मिला हुआ है। इस सम्बन्ध में आपके दिमाग में कुछ भिन्नता हो सकती है और कई दफा आप लोग सीधे कुछ कह देते हैं। ये दो प्रश्न उठाये जा सकते थे।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, आप फिर नाराज हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नाराज नहीं हूं। माननीय अनन्तराम जायसवाल ने प्रमुखता देने के अधिकार के बारे में नियम पढ़ा और यह कहा कि आप निर्णय नहीं दे रहे हैं। इसके विषय में जो धारायें हैं, उन्हें आप पढ़ें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसको क्लोज ही कर लें। मान्यवर, आप बीच में न रहें, आप निष्पक्ष ही रहें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस नियम को आप देख लीजियेगा। माननीय अध्यक्ष आयेंगे और इस पर वे व्यवस्था देंगे। नियम २९२(३) इस प्रकार है:—

"कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिये किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव किया हो, उत्तर के रूप में, पुनः भाषण कर सकेंगे, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का सम्बन्ध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो, या न किया हो।"

इस नियम को आप देख लें और फिर परम्पराओं को भी देख लें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आप डिबेट शुरू करवा दें।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो नियम मैंने पढ़ा है उसका वे घोर चिन्तन करें और जब माननीय अध्यक्ष आयेंगे तो वे निर्णय ले लेंगे। १९६६-६७, १९६३ और १९६२ में तो यही क्रम रहा है। १९६५ में यह क्रम नहीं रहा।

श्री मैनेजर सिंह—

यह बड़ा ही सुन्दर है। आपको बहस में भी हंसते रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अवस्था बतलायी। इसके बारे में निर्णय अध्यक्ष ने लिया है। नियम ८ के अन्तर्गत मैंने सूचना सुना दी।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

सन् ६७ में भी अविश्वास का प्रस्ताव आया था। उस वक्त क्या प्रक्रिया रही?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उसको देख लूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं प्रार्थना करता हूं कि समय बहुत आवश्यक है। चर्चा शुरू करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये मैं थोड़े ही जिम्मेदार हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा आपसे निवेदन है कि सन् ६७ को भी आप देख लें। सन् ६७ में नेता विरोधी दल बाद में बोले थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा, उसको देख लूंगा।

## ३० जुलाई, १९६९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर का शोधन

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ३० जुलाई, १९६९ को विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के १ले बुधवार के लिये निर्धारित श्री हरिवंश सहाय के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में तत्कालीन राजस्व मन्त्री द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि "देवरिया जिले में सीलिंग के अन्तर्गत ४,२६३ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है"।

२—वास्तव में स्थिति इससे भिन्न है जिसका बाद में पता चला।

३—सही उत्तर इस प्रकार है "देवरिया जिले में सीलिंग के अन्तर्गत ७,१८२.३६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है"।

४—मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्न है :

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| ३४—क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में सीलिंग ऐक्ट से कितने एकड़ जमीन निकली है तथा क्या उसे भूमिहीनों में वितरण करने का कोई नियम बन रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? | ३४—देवरिया जिले में सीलिंग के अन्तर्गत ४,२६३ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है। शासन के आदेश पहले ही से हैं कि अतिरिक्त घोषित भूमि गांव के भूमिहीन कृषक मजदूरों को पट्टे पर उठाई जाय। अतः कोई नियम बनाने का प्रश्न नही उठता। |

## बांदा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा दी गई छूट में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई एवं विद्युत् उप मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

बांदा जिले में गत धान की फसल १३७७ फसली में कुछ रोग लग जाने के कारण फसल को क्षति हुई है इसका पता माह अक्तूबर, १९६९ में लगा और तुरंत ही अधिशासी अभियन्ता ने फसल को हुई हानि की जांच हेतु खेतवार ब्योरा बनाने के आदेश दिये। क्षतिग्रस्त फसल का मौके पर खेतवार निरीक्षण तथा इन सूचियों की जांच जिलेदारों ने स्वयं जाकर अक्तूबर और नवम्बर में की। अधिशासी अभियन्ता ने इन सूचियों को अन्तिम परीक्षण हेतु डी० आर० ओ० तथा सहायक अभियन्ताओं को दे दी उन्होंने इनका परीक्षण १६-११-१९६९ से १२-१२-१९६९ तक किया। इस प्रकार पूर्ण जांच के बाद नियमानुसार २,६०,००० रुपया की छूट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई। नियमानुसार कृषकों को फसल काटने के १५ दिन पहले अपने खेतों में हुई हानि की सूचना विभागीय अधिकारियों को दे देनी चाहिये। फसल कट जाने के बाद हानि का अनुमान नहीं किया जा सकता। जांच के समय जो शिकायतें कृषकों ने दीं उन पर पूर्ण सहानुभूति से विचार करके नियमानुकूल छूटें दे दी गयीं थी। फसल कटने के करीब डेढ़ माह बाद जनवरी तथा फरवरी में तहसील नरैनी तथा बबेरू के कृषकों से जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उन पर नियमानुसार छूट देना सम्भव नहीं है।

नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

अष्टाचार सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर विभागीय अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।

## मथुरा में रिक्शा, तांगा, एक्का चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

आवागमन की सुविधा का समुचित प्रबन्ध करने के लिये राज्य सरकार ने १९६८ में यह निश्चय किया कि एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आवश्यकतानुसार संभागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा टैम्पो टैक्सियों के परमिट दिये जायें । इनकी उपयोगिता देख कर अन्य शहरों में भी टैम्पो गाड़ियों के परमिट दिये जाने के आदेश १९६९ मे दिये गये । सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी, आगरा ने मुख्य शहर के लिये २२ टैम्पो टैक्सियों के अस्थायी परमिट दिये हैं । इन टैम्पो टैक्सियों के चलाये जाने के विरुद्ध आम जनता की ओर से कोई शिकायत नहीं है ।

२—रिक्शा, तांगा चालकों द्वारा टैम्पो टैक्सियों के चलाये जाने की अनुमति दिये जाने के विरोध में दिसम्बर, १९६९ के प्रथम सप्ताह में मथुरा में आन्दोलन शुरू किया गया । उक्त आन्दोलन का संचालन रिक्शा, तांगा चालकों के यूनियन द्वारा किया गया । दिनांक ८ दिसम्बर, १९६९ को लगभग २०० व्यक्तियों ने एक जुलूस निकाला जो कलेक्टरी के सामने जाकर प्रदर्शन एवं सभा में परिणत हो गया । सभा के उपरान्त जुलूस जिलाधीश के निवास स्थान पर गया और उन्हे एक मांग पत्र दिया जिसमें टैम्पो टैक्सियों का चलना बन्द करने की मांग की गई । उस दिन रिक्शा तथा तांगा चालकों ने आंशिक हड़ताल की ।

३—दिनांक ११ जनवरी , १९७० को रिक्शा तांगा चालक यूनियम ने टैम्पो टैक्सियों के चलने के विरोध में जत्थों में २४ घंटे के क्रम में आवर्तन अनशन प्रारम्भ किया जो २५ जनवरी, १९७० तक चलता रहा ।

४—दिनांक ३ मार्च, १९७० से रिक्शा तांगा यूनियन ने अपना आन्दोलन पुनः आरम्भ कर दिया और उस दिन टैम्पो टैक्सियों के समक्ष धरना दिया जिसके कारण ९ व्यक्ति धारा १०७ ११७ १५१ दन्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । दिनांक ४ मार्च, १९७० को टैम्पो टैक्सियों के चलने में रुकावट उत्पन्न करने के कारण १२ व्यक्ति धारा ३४२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये । दिनांक ५ मार्च, १९७० को टैम्पो टैक्सियों के आगे धरना देने के कारण १९ व्यक्ति धारा १०७/११७ १५१ दन्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये । दिनांक ६ मार्च, १९७० को रिक्शा तांगा चालकों नें पूर्ण हड़ताल कर दी और अतिरिक्त जिलाधीश को एक ज्ञापन पत्र दिया जिसमें यह कहा गया है कि टेम्पो टैक्सियों को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय, और यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो उन्हे मथुरा शहर के बीस किलो-मीटर के इर्द गिर्द चलाये जाने की अनुमति न दी जाय और १५ से अधिक टैम्पो टैक्सियों के चलाये जाने के लिये परमिट न दिये जांय ।

५—दिनांक ८ दिसम्बर, १९६९ को आंशिक हड़ताल तथा ६ मार्च, १९७० को एक दिन की पूर्ण हड़ताल के अलावा रिक्शा तांगा चालको द्वारा काम जारी रहा है । यह सही नहीं है कि शहर में रिक्शा तांगा चालकों की सेवाये ठप्प हो गयीं हैं । शान्ति और कानून व्यवस्था बराबर बनी हुई है । इस सम्बन्ध में इस बात का भी उल्लेख करना उचित होगा कि साधारणतया टैम्पो टैक्सियों म्यूनिसिपल लिमिट के अन्दर सवारियां नहीं ले जाती हैं । बल्कि मथुरा शहर से नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित स्थानों को ही सवारियां लाती ले जाती हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अन्य कार्य क्रम नहीं लिये जायेंगे और इस लिये उन्होंने यह बन्दिश लगा दी थी कि आज यह

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

सारे कार्य रोक दिये गये हैं और इनमें कोई कार्य अविलम्बनीय भी नही है। मैं समझता हूं कि आपके सचिवालय ने जान-बूझ कर अध्यक्ष की व्यवस्था के विपरीत इन कागजों को डलवा दिया है ताकि बहस के लिये बहुत कम समय मिले।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसका उत्तर मैं क्या दूं चूंकि माननीय सदस्यों ने आग्रह करके रखवाया था इसलिये वह लिये जा रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक सूचना और दे दीजिये। कुछ माननीय सदस्यों ने आग्रह करके रखवा दिया। लेकिन क्या यह भी कह दिया कि चर्चा के बीच में रख दिये जांय ?

श्री उपाध्यक्ष—

इतना समय आप लोग इसमें ले रहे हैं नहीं तो दो, तीन मिनट में हो जाता।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह आपकी ढिलाई की वजह से समय जा रहा है, मैं नहीं समय ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री।

## काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

गत १५ मार्च को लगभग ९.१५ बजे प्रात: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मल्टी पर्पज हाल के निकट एक भूतपूर्व छात्र श्री अंजनी कुमार सिन्हा ने श्री भुवनेश्वर सिंह नामक छात्र द्वारा एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उन्हे दो चांटे मारे थे। सूचना पाते ही विश्वविद्यालय के चीफ प्राक्टर घटनास्थल पर पहुंच गये और उन्होंने श्री सिन्हा को विश्वविद्यालय प्रांगण तुरन्त छोड़ने के लिये कहा और छात्राओं को महिला कालेज के चौराहा तक पहुंचाने के लिये कुछ व्यक्तियों को तैनात किया। श्री सिन्हा, विश्वविद्यालय प्रांगण को छोड़ने के बजाय, महिला छात्रावास को ओर चले गये और इसी बीच श्री भुवनेश्वर सिंह १५-२० छात्रों को साथ लेकर श्री सिन्हा का पीछा करने के लिये महिला छात्रावास की ओर गये। श्री सिन्हा छात्रावास के एक गुसलखाने में छिप गये थे परन्तु भुवनेश्वर सिंह तथा उनके साथियों ने उन पर आक्रमण करके उन्हे चाकुओं से बुरी तरह घायल कर दिया और स्वयं भाग गये। श्री सिन्हा को विश्वविद्यालय के अस्पताल में पहुंचा दिया गया जहां उन्होंने चीफ प्राक्टर को बताया कि आक्रमणकारियों में मुख्यत: सर्वश्री सुभाष सिंह तथा वीरेन्द्र सिंह ने चाकुओं से उन्हें घायल किया था।

इधर श्री भुवनेश्वर सिंह ने चीफ प्राक्टर के कार्यालय को भेजी गई अपनी शिकायत में यह कहा कि श्री सिन्हा ने उनसे १४ मार्च को २०० रु० मांगे थे और धमकी दी, थी तथा १५ मार्च को श्री सिन्हा उनसे फिर रुपया मांगने आये थे और पैसा देने से इन्कार करने पर श्री सिन्हा और उनके बीच हाथापाई हो गई थी जिसके दौरान श्री सिन्हा ने अपना रिवाल्वर निकाल कर धमकी दी थी और घड़ी छीनने की भी कोशिश की थी तथा इसी हाथापाई में श्री भुवनेश्वर सिंह को चोटें भी आई थी।

इस घटना की पुलिस को सूचना तब मिली जब लगभग साढ़े चार बजे दोपहर में विश्वविद्यालय के अस्पताल में घायल व्यक्ति भर्ती होने का एक ज्ञापन थाना भेलूपूर में अस्पताल से प्राप्त हुआ। इस पर धारा ३०७ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और पुलिस उप अधीक्षक (नगर) तथा भेलूपुर के थाना के इंचार्ज तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने श्री सिन्हा को अस्पताल में बेहोश अवस्था में देखा। चीफ प्राक्टर की सहायता से उन्होंने जांच शुरू की और जब वे महिला छात्रावास की छात्राओं से पूछताछ कर रहे थे तो कु० कृष्णा जोखानी नामक एक छात्रा ने .३२ बोर का भरा हुआ एक अंग्रेजी रिवाल्वर पुलिस को दिया और यह कहा कि यह उन्हें श्री सिन्हा ने घायल होने के तुरन्त पश्चात् दिया था। इससे पहले कु० प्रतिभा बजाज नामक छात्रा ने अपनी वार्डन को २,३८१ रूपये नकद, एक सोने की जंजीर, एक सोने का कंगन, एक अंगूठी तथा एक घड़ी दी और यह कहा कि ये वस्तुयें श्री सिन्हा ने घायल होने के बाद उन्हें आकर दी थीं। पुलिस ने कु० जोखानी को बिना लाइसेन्स के रिवाल्वर रखने के अपराध में धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया और जमानत पर छोड़ दिया। इसी दौरान लगभग ५.३० बजे अपरान्ह में चीफ प्राक्टर ने श्री भुवनेश्वर सिंह की उक्त शिकायत थाना भेलूपुर को भिजवाई जिसके आधार पर भारतीय दन्ड विधान की धारा ३९४/३२४ के अन्तर्गत एक और मुकदमा कायम किया गया।

विश्वविद्यालय प्रांगण में हुई उक्त घटना पर विचार करने के लिये उप कुलपति ने सभी डीन्स तथा प्रोफेसरों की एक मीटिंग २.३० बजे दोपहर में बुलायी थी जिसमें यह निश्चय किया गया कि गुन्डा तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। तदनुसार सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह तथा सुभाष सिंह के निलंबन के आदेश जारी किये गये और श्री भुवनेश्वर सिंह को शो काज नोटिस दिया गया। उप कुलपति के उक्त आदेशों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कई छात्र रात को ९.१५ बजे के लगभग उप कुलपति के निवास के सामने एकत्रित हुये और यह मांग की कि उपकुलपति अपने आदेशों को वापस लें। छात्र रात को २.३० बजे तक प्रदर्शन करते रहे और जब उन्हें यह बताया गया कि उक्त आदेश वापस नहीं लिये जायेंगे तो वे उग्र हो उठे और उन्होंने उप कुलपति के निवास पर पथराव किया और दरवाजों तथा फूल के गमलों को हानि पहुंचाई। छात्रों ने चीफ प्राक्टर को जान से मारने की भी धमकी दी। रात को ४.०० बजे के करीब थानाध्यक्ष भेलूपुर को उपकुलपति का एक पत्र दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि छात्रों के हिंसा पर उतारू हो जाने पर स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई है जिसके फलस्वरूप जान तथा माल को क्षति पहुंचने का भय है इसलिये पुलिस पर्याप्त संख्या में तुरन्त विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश करके आवश्यक कार्यवाही करे। यह पत्र प्राप्त होते ही जिलाधीश तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पी० ए० सी० की ४ कम्पनियों के साथ विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश किया जिसको देखकर प्रदर्शनकारी छात्र उप कुलपति के निवास से तुरन्त भाग गये। चीफ प्राक्टर की रिपोर्ट पर भारतीय दंड विधान की धारा १४७/३३६/४२६ के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें ११ छात्रों के नाम निर्दिष्ट किये गये थे जो कि उक्त प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाग ले रहे थे।

१६ मार्च को विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द करने तथा छात्रावासों को २४ घंटे के अन्दर खाली करने के आदेश दिये जिससे छात्र उत्तेजित हो उठे। २५–३० छात्रों ने उप कुलपति के निवास पर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय को पुनः खोलने की मांग की। छात्रों के अन्य कई प्रतिनिधि मंडल उप कुलपति से मिले और विश्वविद्यालय को पुनः खोलने तथा छात्रावासों को खाली करने के आदेश को वापस लेने के लिये अनुरोध किया। उप कुलपति ने विश्वविद्यालय पुनः खोलने से इन्कार कर दिया परन्तु छात्रावासों को खाली करने के आदेश में कुछ संशोधन करने के लिये सहमत हो गये और आदेश दिया कि जिन छात्रों को छात्रावासों में रहने के लिये वार्डन सिफारिश करेंगे उन्हें रहने दिया जायेगा।

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

इसके पश्चात् किसी अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामलों में तफतीश जारी है। अभी तक उक्त घटना से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और वे लापता हो गये हैं। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय में स्थिति नियंत्रण में है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय भारत सरकार के नियंत्रण में है। जहां तक विश्वविद्यालय के पुनः खोले जाने का प्रश्न है उसका निर्णय स्वयं उप कुलपति ही लेंगे और इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

## बिलपुर रेलवे स्टेशन पर सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार पता चला है कि १३-१४ मार्च, १९७० की रात में लगभग पौने २ बजे थाना जी० आर० पी०, बरेली जंकशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन बिलपुर को लूटा जा रहा है तथा २९ अप गाड़ी रुकी हुई है। थानाध्यक्ष तथा रेलवे अधिकारी मौके पर गए। बरेली नगर का उड़ाका दस्ता उनसे पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गया था। पूछ-ताछ करने पर सहायक स्टेशन मास्टर, बिलपुर रेलवे स्टेशन ने बताया कि २ बदमाश जिनमें से एक के पास चाकू तथा दूसरे के पास पिस्तौल था उसके कार्यालय में घुस आये तथा एक बदमाश दरवाजे पर खड़ा रहा और दो बाहर घूम रहे थे। अन्दर घुसे दोनों बदमाशों ने धमका कर तिजोरी की चाबी ले ली तथा कुल २,४८२ रुपये ३० पैसे लूट कर ले गए।

इस अपराध की विवेचना की जा रही है परन्तु अभी तक की विवेचना से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि घटना वास्तविक है या नहीं क्योंकि तथा कथित घटना के समय आस-पास जो सवारियां या अन्य कर्मचारी उपस्थित थे उनमें से किसी ने भी घटना को देखना नहीं बताया है।

जहां तक २९ अप गाड़ी के रुके रहने का प्रश्न है, यह गाड़ी पहले पूर्वी बाहरी सिगनल पर लगभग ११ मिनट सिगनल के खराब होने के कारण रुकी थी। तत्पश्चात् रेलवे स्टेशन बिलपुर पर रन-थ्रू सिगनल के अचानक उठ जाने के कारण यह गाड़ी एक घंटा १८ मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही। ट्रेन के रुकने का कोई सीधा सम्बन्ध इस घटना से नहीं प्रतीत होता।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, अब हम लोगों की बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मान्यवर, इस सदन में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत है और आप विपक्ष के माननीय सदस्यों का समय नष्ट करवा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन्हें बन्द करवायें। बड़े दुःख की बात है कि आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं और इस प्रकार आपके सामने सदन का समय नष्ट होता रहे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

## वनस्पति की कमी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद उपमंत्री (श्री राम किंकर)—

जैसा खाद्य मंत्री जी ने ११ मार्च, १९७० को सदन में वनस्पति की कमी की समस्या पर वक्तव्य देते हुए कहा था कि वनस्पति की एकाएक कमी का मूल कारण है वनस्पति मिलों एवं भारत सरकार के बीच चल रही वनस्पति के मूल्य निर्धारण पर विवाद। इस विवाद के

फलस्वरूप वनस्पति मिलों ने यह कहते हुए कि वनस्पति के उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल का भाव इतना बढ़ गया है कि वनस्पति का उत्पादन व उसकी सप्लाई भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर करना सरासर घाटा उठाना है, अत: मिलों ने उत्पादन क्रमश: कम कर दिया तथा इस प्रदेश में स्थित दो वनस्पत मिलों ने मार्च के पहले सप्ताह के अन्त से उत्पादन बिलकुल बंद कर दिया। इनमें से एक मिल सर्वश्री अमृत वनस्पति, गाजियाबाद ने सर्वोच्च न्यायालय में मूल्य निर्धारण सम्बन्धी एक याचिका भी दायर कर दी।

राज्य सरकार ने भारत सरकार से इस मूल्य निर्धारण के विवाद को उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए शीघ्र समाप्त करने हेतु बार-बार आग्रह किया ताकि वनस्पति मिलें अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगें और जनता को वनस्पति सुगमता से मिल सके। इसी बीच सरकार ने समस्त जिलाधीशों को यह निदेश दे दिये कि जो भी माल जिलों में उपलब्ध हो उसकी वितरण व्यवस्था में ऐंसा नियंत्रण रक्खा जाय कि जनता के हर एक वर्ग को वनस्पति कुछ न कुछ प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि उन व्यापारियों के विरुद्ध जो मुनाफाखोरी एवं जखीरेबाजी करते पकड़े जायं सख्त न्यायोचित कार्यवाही की जाय।

यह संतोष का विषय है कि भारत सरकार ने गत १८ मार्च, १९७० से इस समस्या के समाधान हेतु वनस्पति के मूल्यों में कुछ वृद्धि की घोषणा की है। राज्य सरकार को यह सूचना मिली है कि इस वृद्धि के फलस्वरूप उन दो मिलों ने जिन्होंने उत्पादन बन्द कर दिया था पुन: पूर्ण क्षमता से उत्पादन आरम्भ कर दिया है एवं अन्य वनस्पति मिलों ने भी मूल्य के विवाद की समाप्ति के पश्चात् उत्पादन क्रमश: बढ़ा दिया है। यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही वनस्पति पर्याप्त मात्रा में बाजारों में सप्लाई होने लगेगी। उदाहरणत: लखनऊ शहर में भी पिछले दो दिन में माल के आमद में काफी वृद्धि हुई है, और जिलाधीश, लखनऊ ने सारे माल को शहर के हर क्षेत्र में सारी जनता को राशनकार्ड दिखलाने पर एक किलोग्राम की मात्रा में वितरण कराने की व्यवस्था की है। प्रदेश के अन्य जिलाधीशों को भी पहले ही यह आदेश दिये जा चुके हैं कि उपलब्ध माल को जनता में वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था कर दी जाय ताकि त्योहार के अवसर पर सबको वनस्पति मिल सके।

आशा की जाती है शीघ्र ही वनस्पति की उपलब्धता बढ़ जाने से वर्तमान कमी की समस्या कुछ हद तक हल हो जायेगी। शासन इस ओर जागरूक है कि जितना भी माल उपलब्ध होता है वह ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिल सके।

## मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

नोमानी साहब बोलेंगे। आप को ५ मिनट का समय मिलेगा।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कल इस मसले पर चर्चा कर रहा था कि सन् १९४७ के बाद से लेकर १७ फरवरी, १९७० के बीच, केवल दो वर्षों को छोड़ कर इस प्रदेश के ऊपर गुप्ता जी का राज्य बना रहा। इसलिये इस प्रदेश की जो भी समस्यायें हैं वह उस राज्य की देन हैं, गुप्ता जी की देन हैं। चाहे पिछड़ेपन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे हरिजनों का सवाल हो, चाहे और कोई सवाल हो, वे सभी उन की देन हैं। हरिजनों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय नेता विरोधी दल ने हरिजनों के बारे में बहुत कुछ कहा है, हरिजनों के ही नाम पर वे अपनी कुर्सी पर बने रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमेशा

---

†१० मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीबुर्रहमान]

उन्होंने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखा, पी० डब्लू० डी० के वे मिनिस्टर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों के साथ कितना न्याय किया, अपने विभाग में कितनों को नौकरियां दीं? क्या उन्होंने उनका जो हक था वह पूरी तरह से अदा किया है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो अभी चन्द दिनों की सरकार है, उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाना या इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। मैं बड़े अदब से माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा अगर उनको मेरी बात सही लगती है, और यकीनन लगती होगी, तो हिम्मत करके वे अपने अविश्वास के प्रस्ताव को वापस ले लें।

इस अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। किसी ने भारतीयकरण की बड़ी चर्चा की। मान्यवर, इस मुल्क में जब अंग्रेजों को निकालने के लिये बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय इस मुल्क में आजादी के सेनानी सब एक साथ थे, कुछ लोग मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, आज वही लोग हमको सबक देते हैं मुल्क की मुहब्बत का और प्रेम का। (व्यवधान) इस मुल्क के अ दर दो लड़ाइयां हुई हैं एक पाकिस्तान से और दूसरी चीन से। इस लड़ाई में किन लोगों ने आदर्श कायम किया है? कश्मीर के अन्दर जो आज भारतीय झंडा लहलहा रहा है वह किसकी देन है? वह माननीय रफीअहमद किदवई की देन है। (व्यवधान) ब्रिगेडियर उस्मान जैसे बहादुरों की देन है.....

एक सदस्य--

यह पाकिस्तान किसकी देन है?

श्री हबीबुर्रहमान---

हम पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, हमने उसकी बराबर मुखालिफत की है। पाकिस्तान बनाने वाले आप लोग हैं। (व्यवधान) तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की लड़ाई में हवलदार अब्दुल हमीद ने जिस बहादुरी का परिचय दिया उसे कौन नहीं जानता? उसकी मिसाल कहीं दूसरी नहीं मिलेगी। वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं सारी बातों पर कहूं। जो लोग इस प्रकार भारतीयकरण की बात करते हैं, वे अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें और फिर समझें इस बात को कि वे क्या कह रहे हैं? तो मैं यह कह रहा था कि आज मुसलमान की बात भी की जाती है, उर्दू की बात की जाती है, लेकिन मैं चौधरी गिरधारी लाल से पूछना चाहता हूं आप ने पिछले ८-१० महीने में उर्दू के लिये क्या किया, और उसका आप ने जिस प्रकार से गला घोटा है, जिस प्रकार से दमन किया है वह हम सभी को पता है। जब आप कुर्सी से उतरे हैं तो आपके पेट में मरोड़ पैदा हुआ है और उर्दू का दर्द पैदा हुआ है। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं संविद सरकार के समय में जब उर्दू का एजीटेशन चल रहा था आप के पक्ष के बनारसीदास उर्दू के पक्ष में आंसू बहाते थे, हिमायत किया करते थे। लेकिन जब सन् १९६९ में आप कुर्सी पर बैठे तो आप ने उर्दू के लिये क्या किया? आज प्रदेश की जनता इन सब भुलावों में नहीं आ सकती। आज वह वास्तविकता को देखती है। अब किसान का बेटा जिस दिन से कुर्सी पर बैठा, मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठा है, सारे प्रदेश के अन्दर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। थाने के अन्दर गरीब जाते डरता नहीं है, आज थानेदार की हिम्मत नहीं है कि वह किसी को गरीब की निगाह से देखे। आज कचहरियों में हाकिम समय पर आते हैं, बेईमान अफसरों को रात में नींद नहीं आती है।

इन सारी बातों पर आप खुले दिल से विचार करें, तो अच्छा हो। आप जो इस बात का प्रस्ताव लाये हैं इससे आप की तस्वीर जनता के बीच में अच्छी नहीं बनी है और इसका फल आप को भविष्य के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। मैं अपने जायसवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप कीचड़ में कहां फंस गये हैं। आप को चाहिए कि जो सरकार जनता की है, जो सरकार मजदूरों, गरीबों और किसानों की है, उसका आप को समर्थन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जितने दल यहां पर विरोधी दल के हैं, सभी के करीब करीब एक-दो सदस्य बोल चुके हैं, किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के किसी भी सदस्य को मौका नहीं मिला है, जब कि इसके लिए दो बजे तक का ही अवसर है और यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इसका ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठें, मुझे ध्यान है।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह अविश्वास का प्रस्ताव जो सदन के सामने प्रस्तुत है, जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं और जिसे विरोधीदल के नेता ने प्रस्तुत किया है, उसकी ताईद में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं बिना किसी को गुस्सा दिलाए हुए मुख्य मन्त्री जी से आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनके राज्य ने, उनकी सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने-दोनों ने मिलकर इतनी जबरदस्त मंहगाई इस प्रदेश को सिर्फ एक महीने के अन्दर दी है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। मान्यवर, जहां तक आवश्यक चीजों के दामों का प्रश्न है, आप जरा इस तस्वीर की तरफ देखें। जो गेहूं ८५ पैसे और एक रुपया किलो पहले था, आज उसका दाम सवा रुपया और डेढ़ रुपया किलो हो गया है। चीनी जो पहले १ रुपया ६२ पैसे और एक रुपया ८५ पैसे फी किलो के बीच थी, आज वह दो रुपये से सवा दो रुपये के बीच पहुंच गई है। चाय का दाम, छोटे पैकेट का दाम जो पहले ८५ पैसे था अब १ रुपया १५ पैसे का हो गया है। डालडा, जिसका भाव पहले ५.३० के आस पास था, आज उसका भाव ६ और सवा ६ के बीच में घूम रहा है। इतना ही नहीं, मिलना ही दुर्लभ हो गया है। सरसों का तेल जिसका मिलों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो पहले ४.४० और ४.५० प्रति किलो की दर से बिकता था और आज उसका दाम भी ५ रुपया के आस-पास पहुंच गया है। और किसान, मजदूरों और गरीबों के घर में जितना पहले अंधेरा था उससे और ज्यादा अंधेरा हो गया है, इसलिए कि मिट्टी के तेल का दाम भी बढ़ गया है, ६५ पैसे से ६८-६९ पैसे तक हो गया है। यह दामों का प्रश्न है। जिस तरह से यहां पर बहस मुबाहसे चलते हैं, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उनसे इस तरह का हल कभी निकल नहीं सकता, इसकी तह में जाने की कोशिश नहीं की गयी। इसको अगर थोड़ी गहराई से देखें तो किसान ने अपना गेहूं ७० से ८० पैसे के बीच में बेचा। वही गेहूं बिक रहा है डेढ़ रुपये किलो। डेढ़ रुपये और ८५ पैसे में दूने का फर्क हो गया। यह किसी तरह से व्यापार नहीं माना जा सकता है। अगर देश के उपभोक्ता संगठित होते तो दिल्ली और लखनऊ की सरकार एक दिन भी देश में नहीं रह सकती थी। दामों के हेरफेर में किसान के भाव और व्यापारी के भाव में दूने का फर्क हो जाय, इस तरह से दाम नाचें तो आखिर सोचना चाहिए कि क्या मर्ज है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

कुछ लोगों का खयाल हो सकता है कि किसान की हालत सुधर रही है क्योंकि उसके अनाज का दाम बढ गया लेकिन गांव में एक दो बडे किसानों को छोड़ कर जो छोटे किसान है उन्होंने फसल कटते कटते अपना गेहूं बेच दिया। आज उनको महंगाई से क्या फायदा मिल रहा है? आज सारा फायदा पहुंच रहा है बड़े लोगों को। इसमें सरकार भी शामिल है। अरबों की लूट है। इसमें अगर सरकार शामिल न हो तो मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई व्यापारी चल नहीं सकता। यह अरबों रुपयों का डाका किसान और उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है। (व्यवधान) बेगम साहिबा ने कुछ फरमाया। कभी कभी वह मेरा नाम याद कर लेती है। मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप सोचे। अगर इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बेगम साहिबा बडे-बड़े रईस रऊसा जो बैठे है और बड़े-बड़े उद्योगपति टाटा बिड़ला जो हैं या फौज के के जो बड़े अफसर हैं, इन लोगों को भी इस मंहगाई की थोड़ी तकलीफ हो जाती तो मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मंहगाई को हम नहीं पाते। (व्यवधान) जो हमारे अध्यापक, सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर इस मंहगाई की चक्की मे पिस रहे हैं उनको आज यह दिक्कतें बरदास्त न करनी पड़ती। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश के जो मालिक लोग हैं, उनके हाथ में बागडोर है या जिन के सहारे यह सरकार टिकी है उनके हाथ में बागडोर है। क्या यह सरकार देश के टाटा बिड़ला लोगों पर निर्भर नहीं है? क्या इस सरकार के पीछे वह तकाते नहीं है? मैं इस पर पूरे डिटेल के साथ बहस करना चाहूंगा लेकिन आप हम को समय नहीं देंगे। आज चूंकि उनके सहारे यह सरकार टिकी हुई है इसलिए इस प्रदेश के चाहे मुख्य मंत्री हों या इंदिरा की सरकार हो, मंहगाई का इलाज निकाल नहीं सकते। इन बड़े लोगों की आमदनी पर सीमा बांध कर अहसास करवा दिया जाय कि मंहगाई की मुसीबत क्या होती है तब जा कर इसका हल निकलेगा। मुख्य मंत्री या इंदिरा जी दोनों इस हालत में नहीं हैं कि महंगाई को हल कर सकें। इसी एक बात पर यह सरकार नहीं रहनी चाहिय

जो प्रदेश की हालत है कानून और व्यवस्था की, जो सवाल इस सदन में उठाये गये हैं, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरठ, मुजफ्फरनगर में अगर गलती हो तो माननीय मुख्य मन्त्री सुधार लेंगे, जहां दोनों में तीन सौ,चार सौ या ढाई सौ मुकदमें हैं और वह प्रिवेंटिव और सब्सटैंटिव दोनों आफेंसेज हैं ये अदालत के आज विचाराधीन हैं। मान्यवर, क्यों ऐसी नौबत आई? यदि उस तरफ हमारे प्रदेश या देश का ध्यान नहीं गया तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तो एक पाकिस्तान बना है लेकिन इसके बाद में अपने देश का गांव-गांव बंट जायगा और एक इतनी जबरदस्त खूंरेजी होगी जिस दिन हिन्दुस्तान की अलग-अलग जातियों के अन्दर यह घृणा फैलेगी, अगर यह जातियों के अन्दर घृणा इसी तरह से बढ़ती रही तो ऐसी नौबत आयेगी और उस हालत को यह देश पहुंचेगा कि मैं कहता हूं दुनियां की कोई ताकत हिन्दुस्तान को बचा नहीं सकेगी। अगर इस भावना को रोका नहीं गया तो यह नतीजा होगा। मुख्य मन्त्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते नहीं हैं। १९६२ और १९६७ के बाद से वह नहीं गये लेकिन उसके पीछे तारीख है.....

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

मेरे ऊपर पर्सनल अटैक बराबर वह कर रहे हैं, छीटाकशी हो रही है। इस गवर्नमेंट ने क्या काम किया, मतलब केवल इस बात से है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेरी हिस्ट्री क्या है और एलेक्शन में क्या हुआ यह सब बातें गैर मुताल्लिक हैं। अगर आप ने इस तरह की बात कहने की इजाजत देना शुरू किया तो फिर यहां हाउस में शान्ति के साथ डिस्कशन नहीं हो सकता। माननीय सदस्य को अपनी बात वहीं तक कहनी चाहिये कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया। जो सरकार ने १५ दिन के अन्दर किया वहीं तक आप को महदूद रहना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं अपना प्वाइन्ट जो डिस्कशन के लिये उठा रहा हूं उसमें चिढ़ने से काम नहीं चलेगा। मुख्य मन्त्री जी जम्हूरियत के मन्त्री हैं, वह तानाशाह नहीं हैं। इसलिये मैं उन से बिलकुल

करूंगा कि वह मेरी बात को कम से कम ठंडे दिल से सुनें। अगर तथ्य आप के सामने आ जायंगे तो उनका इलाज भी निकल आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि विजयपाल सिंह इनके खिलाफ खड़े थे। वहां पर प्रीतम सिंह नाम का एक हरिजन था.....

श्री चरणसिंह--

मैं फिर एतराज करता हूं कि यह झूठी बात है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

यह सरकार दमन पर उतारू है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो दबे हुये लोग हैं उनमें हिम्मतवाला और जागरूक यदि कोई व्यक्ति था तो यह कार्यकर्ता था जिसने हरिजनों को संगठित किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

दमन पर उतारू सरकार ने इस बीच में क्या किया वहीं तक आप को अपने को सीमित रखना चाहिये। सम्बन्धित प्रस्ताव में सरकार की जिन नीतियों की चर्चा है, उनसे ही आप अपने को सीमित रखें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरी पूरी बात सुनकर अगर आप को यह बात लगे कि मैं असंगत बोल रहा हूं तो जो यह रिकार्ड तैयार हो रहा है उससे आप इसको निकाल सकते हैं। मैं तो केवल संकेत करना चाहता हूं कि हरिजनों से यह गुस्ताखी हो गई कि वह मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ चले गये....

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है और उस अविश्वास के प्रस्ताव में जिन विषयों की चर्चा की गई है उन तक ही माननीय सदस्य का विवाद सीमित रहेगा यह आपने अभी व्यवस्था दी। वह विवाद सरकारी नीतियों से ही सम्बन्धित रहेगा। माननीय नेता, समाजवादी दल लगातार व्यक्तिगत आक्षेप करते चले जा रहे हैं यह कहां तक न्यायसंगत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह दुःख की बात है जिस चीज के लिये तर्क देना चाहिये, तर्क न देकर माननीय सदस्य गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार की दमन नीति पर ही आप बोलिये।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

लोग यही तो सुनना चाहते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं निवेदन कर रहा था कि उस प्रीतम सिंह को अपनी जान देनी पड़ी लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। नतीजा यह निकला कि पिछली दफा मध्यावधि चुनाव के मौके पर श्रीमती इन्दिरा गांधी, जगजीवन राम तथा चौहान साहब जब उस इलाके में गये तो उनकी मीटिंग्स नहीं हो पाईं। सरकार की बहुत कोशिशों के बावजूद यह बीमारी मेरठ, मुजफ्फर• नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा तथा बिजनौर आदि जिलों में फैली।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप असम्बद्ध बातें कह रहे हैं। आप अविश्वास के प्रस्ताव पर ही सीमित रहिये।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

आप को बुरा नहीं लगना चाहिये। पता नहीं आज आप को क्यों बुरा लग रहा है? (व्यवधान) जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यह है कि मुख्य मन्त्री ने एक जाति विशेष में वह भावना पैदा कर दी कि जो आजाद विचार के हैं, वे उसे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह अभी तक चीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है लेकिन पूर्व में भी यह आग फैल सकती है। जब केन्द्र के बड़े-बड़े ताकतवर नेता अपनी सभा नहीं कर पाये तो आप को भी अपनी सभा करने की जरूरत पड़ सकती है, मुझे जरूरत पड़ सकती है। तब क्या होगा? मैं कहता हूं कि इस प्रकार प्रदेश में जनतंत्र का हनन हो रहा है, और उन वाक्यात से सम्बन्धित मुकदमें वापस लेने की बात मुख्य मंत्री सोच रहे हैं। कोई भी अन्य मुख्य मन्त्री होता तो उस दरख्वास्त को अपने रहते गुजरने नहीं देता और कहता चूंकि मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिये वहीं इंसाफ कराओ, कोई दखल उसमें सरकार नहीं दे सकती लेकिन वह दरख्वास्त इस सरकार के विचाराधीन है। १७ तारीख को यहां पर मुख्य मन्त्री ने शपथ ली और एक दिन के बाद वह दरख्वास्त यहां गुजरी और उसमें बी० के० डी० के सम्मानित विधायकों के हस्ताक्षर हैं। अब आप सोचिये कि अगर फैसला यह हुआ कि ये मुकदमें वापस ले लिये जायं तो शान्ति व्यवस्था की हालत क्या होगी? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार मुख्य मंत्री के ही आदमी जीतेंगे, दूसरा जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार क्या प्रदेश में जनतंत्र चल सकेगा, शान्ति व्यवस्था कायम रह सकेगी? हिटलरिज्म अगर प्रदेश में फैल गयी तो इतना वैमनस्य बढ़ेगा कि जिसकी वजह से शान्तिपूर्ण लोग नहीं रह सकेंगे। जितनी कत्ल और डकैतियां बढ़ गई हैं अगर इसको गहराई से सोचें तो मालूम होगा कि यह जाति उनके पीछे काम कर रही है। आज दो जाति के लोग गांव में एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। इसकी तरफ मै माननीय मुख्य मन्त्री तथा आदरणीय सदन के समस्त माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर यही स्थिति हमारे यहां रही तो हमारा प्रदेश मिटे बिना नहीं रह सकता है। जब जब हम उदार बने हैं तब तब हम ऊपर गये हैं और जहां हम में कट्टरता आ गई है हम नीचे गिरे हैं। अगर इतिहास को देखा जाये तो मालूम होगा और वह इशारा करता है कि सन्त ज्ञानेश्वर ने जो हमारे यहां दुंदुभी बजाई तथा शिवा जी और बाजीराश ने जो कर दिखाया लेकिन पेशवाओं की कट्टरता के कारण वह पूरा नहीं हो सका। इसी तरह से पंजाब को देखिये कि जब जब कट्टरता ने सिर उठाया है तब तब देश नीचे गिरा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ये लोग इतिहास से सबक लेना नहीं चाहते हैं। वह लोग बैठे हैं, कभी-कभी उनके मुंह से निकल जाता है कि शूद्र और चमार सब बराबर हैं।

मान्यवर, जो उस तरफ बैठे हैं कांग्रेसी लोग, जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर सिंडीकेट का नाम नहीं है। वहां पर इंडीकेट ही है। जब से मुकदमों की वापसी की बात आई है उन्होंने एजीटेशन शुरू कर दिये हैं, यूनियन गवर्नमेन्ट से रिप्रेजेंटेशन करने शुरू कर दिये हैं। आप देख लीजिये कि आप कहां रहे? जब इस देश और प्रदेश का सवाल आता है तो यह व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तियों की इच्छायें और आकांक्षायें पूरी की जायेंगी या देश और समाज की ओर देखा जायगा? जब हमारा देश और समाज ही ओझल हो जायेंगे तो फिर क्या बचेगा?

मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं। आज हमारे मुख्य मन्त्री जी स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा है, सदन के बाहर और यहां भी निवेदन किया है कि मुख्य मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन का मतलब नहीं समझते हैं। आज हमारे यहां स्वच्छ प्रशासन क्यों नहीं है? हमने जनतंत्र में विकेन्द्रीयकरण का नाम लिया है। लेकिन क्या विकेन्द्रीयकरण

को केन्द्रीयकरण में ढाला है। आज केन्द्रीकरण हमारे यहां इतना घर कर गया है कि हर आदमी दिल्ली की तरफ देखता है। यहां कोई फैसला नहीं हो सकता है। जहां तक जिले का सवाल है इससे अच्छी ठोस शक्ल समाज में विकेन्द्रीयकरण की और क्या हो सकती है। क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जिस हद तक बात कही गई हम आगे नहीं जा पाये। हमने अपने संविधान में पंचायतों को मान्यता दी है, हमने संविधान में अपने सदन को मान्यता दी है। जहां तक जिला पंचायतों का सवाल हैं, गांव पंचायतों का सवाल है, आज कांस्टीटचूशनली एन्टाइटी नहीं है। आज प्रजातन्त्र में कलेक्टर का कोई स्थान नहीं रहना चाहिये। सारे अधिकार उसके पास केन्द्रित नहीं हो जाने चाहिये। जहां तक हो सके चुनी हुई गांव पंचायतों के माध्यम से ही सारा काम चलना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप गौर करें कि माननीय चौधरी साहब १९४६ से निश्चित रूप से इसी व्यवस्था से जुड़े हुये हैं जो १९६७ तक कायम रही है, इसलिये वे नहीं कह सकते हैं कि हमारा हाथ नहीं है। वह सफेद नहीं हैं कि उनको पेंट करने की कोशिश की गई है। कलेक्टिर आज भी यहां बने हुये हैं और सारे अधिकार उनके पास हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब जिला पंचायतों के तोड़ने का वक्त आया है तो हम लोग सदन में बैठकर खुश होते हैं। हमारे जनतंत्र के क्रिया कलापों को मिटाने के लिये जब कोई कदम उठाया जाता है तो हम लोग खुश होते हैं। सचमुच में यहां अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है। प्राइमरी एजूतेशन तक को चौपट कर दिया गया है। इस पर हमें खुशी होती है और कहां तक खुशी होती है? इस जनता द्वारा चुनी हुई सभा में उस पर खुशी मनायी जाती है और बाहर भी इसी प्रकार की बात होती है। एक फौज के साबिक जनरल साहब बोले कि यहां जनतंत्र नहीं रहना चाहिये, फौजी शासन होना चाहिये। इन दोनों बातों में जो रिश्ता है, वह क्या है? क्यों अपने देश को आप मिटा देना चाहते हैं? क्या यह बताता है कि हम इस चुनी हुई सभा में जब पंचायतों को तोड़ने का फैसला लेते हैं तो लोग खुशी मनाते हैं। अंग्रेजों ने जो शासनतंत्र आपको दिया था, वह आपने इनटैक्ट रखा था, उस में आपने सुधार नहीं किया।

अगर आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो उन नीतियों में भी आपको सुधार करना होगा, जिनके कारण से भ्रष्टाचार होता है, लोगों को लालच होता है। आपके यहां दो प्रकार के स्कूल हैं। एक में राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं और एक प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनको म्युनिसिपैलिटी और जिला परिषद् चलाते हैं। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा देरादून, रुड़की या बाम्बे में न जाय। चौधरी साहब की तरह से अपने बच्चे को सब लोग अमेरिका तो भेज नहीं सकते लेकिन देहरादून भेजने के बारे में बहुत लोग सोच सकते हैं। वहां पर ४–५ सौ रुपया प्रतिमास खर्च होता है। अगर उसको वह खर्च नहीं कर पाता तो वह भ्रष्टाचार का सहारा लेने की बात सोचता है। अगर आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो आपको समता को अपनाना होगा।

दूसरी तरफ बड़े-बड़े आफिसरों के हाथ में आपने बड़ी भारी ताकत छोड़ रखी है, उनके खर्चे पर आपको कोई सीमा अवश्य ही बांधनी होगी। आपको आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकरण करना होगा। इन सब के अलग-अलग उपाय हैं। हमारे नेता ने सन् ६७ में ही घोषणा की थी कि एक स्थायी आयोग का गठन किया जाय जो बड़े से बड़े मंत्री और नौकरशाही के खिलाफ जांच कर सके, अगर कहीं उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और उसके द्वारा उसने धन इकट्ठा किया है। अगर यह साबित हो जाय कि उसने सत्ता के दुरुपयोग से धन इकट्ठा किया है तो उसका सारा धन जब्त कर लिया जाय। यह निर्णय कहां तक जायगा? यह किसी नौकरशाही अथवा मंत्री के रिश्तेदार या संबंधित व्यापारी तक जायगा। जिस तरह से चौधरी साहब राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, उसमें दूर तक राष्ट्रीयकरण नजर नहीं आता है। एक कमेटी जरूर बनायी गयी है जिसमें माननीय उद्योग मंत्री, गेंदासिंह जी और श्री पृथ्वीनाथ सेठ हैं। ये लोग कहां के ऐक्सपर्ट हैं? जिला परिषद् वाली कमेटी में भी पृथ्वीनाथ सेठ हैं। सेठ साहब जगह-जगह बैठ जायेंगे तो उनके माध्यम से कैसे समाजवाद आयेगा और कैसे विकेन्द्रीयकरण होगा।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

जिला परिषद से कोई भी सरकार हो, नाजायज फायदा उठाना चाहती है, पिछली सरकार ने भी यही किया और आप भी वही करने जा रहे हैं। सन् ६७ में ही हमने इस बात को रखा था कि इनको फौरन तोड़ दो। उस वक्त जो मुख्य मंत्री जी थ, उनको लालच आ गया कि इसके द्वारा हम अपनी पार्टी को ताकतवर बना लगे। उन्होंने उनको नहीं तोड़ा और जब आज उनको तोड़ा जा रहा है तो जो काम कांग्रेस ने उस वक्त किया, वही आप भी करने जा रहे हैं। उसमें जहर छिपा हुआ है। जिला मैजिस्ट्रेट अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है। जहां आज कांग्रेस बैठी है उसका पूरा फायदा यह बी० के० डी० को देना चाहते हैं। इन्होंने जो एक महीने में काम किये हैं उनको देखा जाय तो क्या ऐसा आदमी स्वच्छ प्रशासन दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलते हुये २७ मिनट हो गये हैं। दो मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा समय बीच में बहुत लिया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सलेख चन्द के कत्ल के बाद आई० जी० को चपरासी की तरह कान पकड़कर निकाल दिया गया और एडीशनल आई० जी० को सुपरसीड कर दिया गया कि कहीं वह आई० जी० न बन जावें। इस सदन में मैंने एक सवाल किया था कि रेवेन्यू विभाग में एक सिंह साहब हैं वह उप सचिव थे परन्तु उनको स्वायत्त शासन विभाग का सचिव बना दिया गया। वह केवल पी० सी० एस० हैं जबकि सचिवालय की डायरेक्टरी में बहुत आई० ए० एस० आफिसर पड़े हुये हैं। तो जो सीनियर आफिसर्स थे उनका खयाल न करके उनको सचिव बना दिया गया और जब मैंने सवाल किया तो बोहरा साहब कमिश्नर की रैंक के आदमी को चार्ज दिया गया है। ऐसी हालत में स्वच्छ प्रशासन कैसे रहेगा ? हमारी ब्योरोक्रेसी उस मुख्य मंत्री से डरेगी जो अगर खुश हो जावे तो उस सचिव को सचिव बना दे और खफा हो जावे तो आई० जी० को चपरासी की तरह कान पकड़कर निकाल दे ? इस तरह से स्वच्छ प्रशासन नहीं आ सकता है।

अन्त में मैं अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपील करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में पूरी जनता की आकांक्षायें छिपी हुई हैं, इसको आप देखें। इसमें लिखा है: "क्योंकि इस मंत्रिपरिषद् ने ६। एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से लगान खत्म करने की नीति को अस्वीकार किया है, वृत्ति कर (प्रोफेशन टैक्स) को दोबारा प्रदेश पर लादा है, सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिये जाने की जिम्मेदारी लेने से इन्कार किया है, हरिजनों की सरकारी नौकरियों में उनके संरक्षण कोटे की पूर्ति के समय तक के लिये ४५ प्रतिशत भर्ती की नीति को ठुकरा दिया है, आबपाशी की दरों को नहीं घटाया है, सरकारी काम-काज व अदालतों में अंग्रेजी हटाकर हिन्दी को लागू करने तथा उर्दू के उचित विकास की नीति नहीं अपनाई है तथा दमन पर उतारू हैं।"

मान्यवर, यह इसमें मुद्दे हैं। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको यह छूते नहीं हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वह संगठित होकर मुख्य मंत्री जी पर दबाव डालें कि वह अपनी घोषित नीतियों से हट न जावें और उसके लिये यहां जो गरीब नुमायदे हैं उनका फर्ज है कि एक होकर इस सरकार को हटा दे, जो कि कायदे-कानूनों का पालन नहीं करना चाहती है और मनमाने ढंग से कार्य कर रही है।

श्री बेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

समय निश्चित कर दिया जाय।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। नेता संसोपा ने नेता सदन पर जातिवाद का आरोप लगाया है। मान्यवर, यह प्रदेश और समस्त देश इस बात को जानता है कि नेता सदन ने आज तक कभी अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया लेकिन माननीय अनन्तराम जायसवाल का नाम क्या जातिसूचक नहीं है ? क्या यह जायसवाल शब्द किसी मेहतर की जाति का द्योतक है ? नेता संसोपा ने भध्यावधि चुनाव में बयान देते समय कहा कि भारतीय क्रान्ति दल जातिवाद बरतती है। बी० के० डी० के सदस्यों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका इसी आधार को लेकर की गई, परन्तु बी० के० डी० के खिलाफ हाई कोर्ट में एक भी चुनाव याचिका में एक भी पिटीशनर यह साबित नहीं कर सका कि किसी स्थान पर भी बी० के० डी० ने जाति विशेष के नाम पर वोट मांगा हो। उच्च न्यायालय का फैसला इस बात का सबूत है कि नेता सदन और उनका दल जातीयता से कितना ऊंचा उठ कर काम करते हैं और मान्यवर · · ·

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना तो कुछ और ही चाहता था लेकिन मुझे इस बात को कहने के लिये मजबूर कर दिया गया कि वे और उनके नेता केवल जाति विशेष के नारे के अलावा नेता सदन पर और कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। यह ऐसी निराधार बात है जिसको स्वयं उच्च न्यायालय ने निराधार साबित कर दिया है। वे इस बात का विश्वास रखें कि प्रदेश की जनता जागरूक है और वह उनके इस सस्ते नारे में आने वाली नहीं है। जातीयता हमारे समाज के लिये घातक है, राष्ट्र के लिये हानिकारक है। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि यदि जातीयता का सब से पहले विरोध करना शुरू किया है तो नेता सदन ने किया। सन् १९५४ में नेता सदन ने हरिद्वार में कहा था कि मैं यह चाहता हूं कि स्वस्थ समाज की रचना के लिये अन्तर्जातीय विवाह शुरू किये जायं। राजकीय सेवाओं में उन्हीं नवयुवकों को वरीयता दी जाय जो अन्तर्जातीय विवाह करें।

एक सदस्य—

आई० जी० को हटा कर दूसरा आई० जी० बनाया · · ·

श्री महीलाल—

अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय हरिजन नेता हैं और हरिजनों के नाम पर ही एक लम्बे समय तक मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ एक छोटे सहायक के रूप में काम करने का। मैं प्रस्तावक महोदय से विनम्र निवेदन करूं कि उनका हरिजन प्रेम और सहानुभूति कहां थी जिस वक्त उस मंत्रिमंडल में जिसमें वह शामिल थे, सीलिंग का बिल पास किया गया था ? जब हदबन्दी का कानून बना उस समय चौधरी साहब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। (व्यवधान) यह पढ़ी लिखी बात हैं, पढ़ी लिखी बात को आप झुठला नहीं सकते। नेता सदन, चौधरी साहब उस समय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। नेता विरोधी दल उस समय मंत्रिमंडल के मुख्य सदस्य थे जबकि सीलिंग का कानून बना। माननीय नेता विरोधी दल जवाब दें कि क्या उस विधेयक या अधिनियम के बनने के बाद वे हरिजनों को कहीं भी जमीन दिला सके हैं ? नहीं दिला सके हैं। वे मेरे बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण करने की धृष्टता मैं नहीं करना चाहता लेकिन मुझे खेद है कि आज वे सिंडिकेट के हाई कमांड के मेम्बर हैं लेकिन वे विधान परिषद् व राज्य सभा की कोई सीट किसी हरिजन को दिला सके हैं, उत्तर प्रदेश में दिला सके हैं ? नहीं दिला सके हैं। वे इसका जवाब दें कि आखिर इस प्रदेश के हरिजन उनको कैसे अपना हितैषी मान लें, कैसे अपना नेता मान लें ? मैं किसी के थोथे नारे में नहीं जाता। मैंने यह कल की बात आपसे कही।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मही लाल]

इसके अलावा प्रस्तावक महोदय ने यह आरोप लगाया कि नेता सदन बड़े काश्तकारों के हमदर्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कि माननीय नेता विरोधी दल के विचारों के समर्थक हैं कि साढ़े १२ एकड़ की हदबन्दी हो यानी साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन किसान नहीं खरीद सके, मैं जानना चाहता हूं कि इसका प्रस्तावक कौन था ? किस रेवेन्यू मिनिस्टर के जमाने में वह साढ़े १२ एकड़ की हदबन्दी का कानून पास हुआ ? वह माननीय चौधरी चरण सिंह थे जिनके बारे में यह कहा जाता है ।

दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूं कि उनकी लिखी हुई किताब में इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस बात की वकालत की है कि इस देश और प्रदेश के लिये छोटी छोटी जोतें हितकर हो सकती हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि यह निराधार आक्षेप केवल इसलिये है कि कुछ लोगों को आप बहका कर, फुसला कर. . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें दो रायों का कोई सवाल नहीं है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों जब कि हम थ्योरी में गरीबों और निर्धनों की बात कहते हैं, निर्धनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कहते हैं लेकिन जब हम व्यवहार में देखें, अमल में देखें और अमल के ऊपर विचार करें, विवेचना करें तो आपका क्या अमल रहा है। एक तरफ इस तरह के लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने गरीबों के नाम पर जमीनें लेकर बड़े बड़े फार्म बनाये, इस तरह के लोगों की कमी नहीं है जो गरीबी के नारे देकर और गरीबों के नाम पर राजनीतिक शोषण करते हैं। सवा ६ एकड़ लगान माफ करने की बात कही गयी और अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये उसे एक मुख्य आधार बनाया गया है। पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नारा संसोपा के अलावा न तो माननीय नेता जनसंघ का यह नारा रहा है और न माननीय नेता विरोधी दल का नारा रहा है। माननीय नेता विरोधी दल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनको सवा ६ एकड़ वाली बात याद आयी उस वक्त जब पं० कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में १० मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उस वक्त इन्हें कुछ पता नहीं था। कोई ज्ञान नहीं था कि ६ १/४ एकड़ जोत वाला गरीब है या अमीर। तो यह बात बड़ी अच्छी है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपको इनका सपोर्ट मिल गया है और आप सवा ६ एकड़ का नारा लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसका श्रेय श्री अनन्तराम जायसवाल जी को जाता है, लेकिन मैं तो इनकी बात कहता हूं। आप इनके घोषणा-पत्र उठाकर देखें, इनका व्यवहार देखें, इनका अमल देखें और इनके कृत्य देखें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय, मोहब्बत का बड़ा अच्छा असर पड़ता है, मगर उसके बाद फिर बिगड़ जाते हैं।

श्री महीलाल—

सिन्डीकेट के नेता ने एक दिन भी उसको स्वीकार नहीं किया। मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूं। किसानों पर आबपाशी का टैक्स बढ़ा दिया। उस वक्त भी यह फैसला नहीं किया कि सवा ६ एकड़ से कम जोत वाले किसानों पर आबपाशी का टैक्स नहीं बढ़ेगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर माननीय अध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि यहां पर कांग्रेस में दो गुट हैं—एक गुट तो कांग्रेस संगठन का है और दूसरा शासकीय कांग्रेस का। तो फिर सिन्डीकेट शब्द का प्रयोग यहां पर कैसे होता है ?

श्री महीलाल—

सिन्डीकेट शब्द से आपत्ति है तो मैं इसे वापस लेता हूं। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये किसान की तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं। यदि ध्यान देने वाले होते तो

जब खाद पर बिक्री-कर लगने जा रहा था उस वक्त कम जोत वालों को सहायता दिला सकते थे। कभी भी यह फैसला नहीं किया कि सवा ६ एकड़ तक जोत वालों को खाद पर बिक्री-कर नहीं देना पड़ेगा। मान्यवर, मैं कहां तक ऐसी बातों को गिनाऊं। गुप्ता जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले लोगों के आज तक के अमल को देखने से एक भी सबूत नहीं मिलता है कि उनके दिल में गरीबों के लिए ज्यादा जगह है और अमीरों के लिए कम। अब मैं हरिजनों और गरीबों के विषय में कहता हूं। १९४५ में रिजर्वेशन की बात कही गयी। माननीय नेता विरोधी दल मंत्रिमंडल में रहते हुए और हजारों बार कहने पर भी एक हरिजन को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मेम्बर नहीं करा पाये। उन्हें इतना भी साहस नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते। त्यागपत्र दे कर बाहर आ जाते और कहते कि मेरी बात नहीं मानी जा रही हैं, तो हम उनका हरिजन प्रेम मानते। दूसरी ओर नेता सदन का यह चरित्र रहा है कि मंत्रिमंडल में रहते हुये जब कभी उनकी बात नहीं मानी गयी उन्होंने इस्तीफा दिया और ५ बार त्यागपत्र दे कर बाहर आये। तो श्रीमन्, क्या मुकाबला है इनका उनसे। इन्होंने तो एक बार भी त्यागपत्र नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने कुछ कहा है। मैं सम्पूर्णानन्द जी के समय की बात बताता हूं। जब सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मन्त्री थे तो चौधरी चरण सिंह ने कैसे इस्तीफा दिया।

श्री महीलाल––

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहता हूं। इन्होंने हरिजन जाति में भेद-भाव पैदा किया। इन्होंने जाति और उप जाति के नाम पर भेद-भाव किया। तो श्रीमन्, हरिजनों में भी विभेद कर दिया। एक समिति मंत्रिमंडल के स्तर पर बनी थी और नेता विरोधी दल उसके एक सदस्य थे।

(व्यवधान)

जरा मुझे कहने दीजिये। हरिजनों का हित करने के लिए हरिजनों का बटवारा करते हैं। जाति और उप जाति के नाम पर ये हरिजनों में भेद भाव करते हैं।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और केवल एक ही मिसाल इनके हरिजन प्रेम की देता हूं। मुझे संविद सरकार के समय में हरिजनों की सेवा करने का मौका मिला था।

श्री मोतीलाल देहलवी––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कोई मंत्री मौजूद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

व्यवस्था का प्रश्न है। आप देख लें कि सरकारी बेंचेज पर एक भी मंत्री नहीं है। बल्कि कोई नकली मंत्री आकर बैठ गये हैं। इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। जब तक कोई मंत्री न आ जायं तब तक आप कार्यवाही रोक दें। इस वक्त किसी मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रियों को सजग रहना चाहिये। किसी एक को सदन में जरूर रहना चाहिए।

श्री महीलाल---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय नेता विरोधी दल बहुत लम्बे समय तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री रहे हैं जिसमें सड़क कूटने का काम ज्यादा हरिजन लोग ही करते हैं। १२-१२ साल और १५-१५ साल तक के लोग अस्थायी रहे। कभी स्थायी नहीं किया गया। संविद की सरकार में मौका मिला तो, मैं नम्बर नहीं दे सकता, करीब दस या बारह हजार मजदूरों को स्थायी किया। लेकिन हरिजनों के नेता, हरिजनों के लिए दर्द रखने वाले को कभी स्वप्न दिखाई नहीं दिया कि उनको स्थायी कर दें।

अब मैं सवा छः एकड़ की बात कहता हूं। सवा छः एकड़ के किसानों की संख्या १ करोड़ २ लाख है और ३.१/८ एकड़ के किसानों की संख्या ८२ लाख है। इस प्रकार सवा छः एकड़ के किसानों की संख्या के आधे से ज्यादा लोगों को मालगुजारी से माफ कर दिया गया है। धन्यवाद देना चाहिए जायसवाल जी को। इसी तरह कुल मालगुजारी का ५५ प्रतिशत माफ कर दिया गया। यह शासन गरीबों, निर्धनों और मेहनतकशों को अधिकारी समझता है और अगर स्वच्छ प्रशासन, निष्पक्ष प्रशासन होगा तो गरीब आदमियों को राहत मिल सकती है और यह स्वच्छ प्रशासन, निष्पक्ष प्रासन, ईमानदार शासक ही ला सकता है। चौधरी साहब जैसा कोई ईमानदार है नहीं।

(व्यवधान)

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इसपर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, इस समय जो चर्चा चल रही है मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है वह अभी नहीं पेश होना चाहिये था। यह बात सत्य है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन इसी के साथ-साथ मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जितने साथियों ने दोनों तरफ से इस प्रस्ताव पर बहस की है, चाहे कांग्रेस संगठन के लोग हों, चाहे सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के लोग हों और चाहे भारतीय क्रान्ति दल के लोग हों, सभी ने बराबर इस बात की सफाई देने की कोशिश की है कि पिछले २२ वर्षों के अन्दर जो गुनाह हुये या जो प्रदेश का पिछड़ापन है या जो प्रदेश में अष्टाचार है, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन पर है जो आज विरोधी दल में बैठ गयी है। मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। मेरी यह निश्चित राय है कि जो आज प्रदेश का पिछड़ापन है, जो भ्रष्टाचार है, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन, कांग्रेस सत्तारूढ़ दल और माननीय चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर है। आज स्वच्छ प्रशासन की बड़ी दुहाई दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से भाई महीलाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त संविद की सरकार बनी थी उस समय क्या गरीबों का कोई कार्यक्रम बना ? जब कार्यक्रम की बात आती थी तो चौधरी साहब के लोग बराबर इन्कार करते थे, यह कार्यक्रम हमारा नहीं है, यह तो आप लोगों का है। महज चौधरी साहब मुख्य मंत्री पद पर बने रहें इसलिये उन्होंने इस काम को किया है। उनका कोई एहसान नहीं है। अगर एहसान है तो संसोपा, जनसंघ और दूसरी पार्टियों को है।

मैं एक बात और आप के माध्यम से कहना चाहता हूं। स्वच्छ प्रशासन की बात बहुत लम्बी और ऊंची कही जा रही है, काफी सदस्य इस पर कह रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन दे कौन सकता है ? स्वच्छ प्रशासन देने की क्षमता उसी व्यक्ति में होगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो स्वत: स्वच्छ हो। माननीय चौधरी चरण सिंह जी जिन कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ लगातार संघर्ष अपने कांग्रेस आर्गनाइजेशन में करते रहे, उससे ऊब कर जब वह बाहर आये और संविद का संगठन हुआ और सरकार बनी तो यह बात जरूर है कि सारे प्रदेश में एक हवा ऐसी बनी और कुछ ऐसा आतंक का वातावरण बना कि शायद जो नये बदलाव की सरकार बनी है उससे प्रदेश का कुछ भला होगा, संभवत: प्रशासन भी स्वच्छ होगा। लेकिन मान्यवर, मैं आप के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि जो हाल १९६७ में संविद के बनने पर हुआ ठीक उसका उल्टा असर आज हुआ है। इसका कारण क्या है? कारण एक है कि जिन तत्वों से माननीय चौधरी चरण सिंह जी अलग हुये थे तेली के बैल की तरह से घूम कर फिर उन्हीं तत्वों के बीच में पहुंच गये हैं। और यह बात सही है कि सम्भवत: कोई कार्यक्रम उनके सामने नहीं था और यह भी सही है कि उनको ऐसा अवसर मिला कि वह अपने मन का मंत्रिमंडल बना लें और अपनी कुछ नीतियों को यहां लागू करें। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब के दिमांग में जो बात थीं उन के आधार पर गवर्नर भाषण में केवल २–३ बातों का जिक्र कर दिया लेकिन उसमें जो उन्होंने जिक्र किया है और जिन बातों को उसमें रखा गया है, उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन उस बात के करने में जो वादाखिलाफी की है, अपनी बातों की एक दिन कहने के बाद जो उनसे अलग हुये हैं, यही मुख्य कारण है कि उनके प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया है। उदाहरण के लिये यह ३० एकड़ तक की सीलिंग की बात है, मैंने उस दिन भी कहा था मैं तो एक ऐसी जमात में हूं कि जिसको ३० एकड़ की सीलिंग से संतोष नहीं है लेकिन उनका कहना था कि कुछ बाग उसमें शामिल होंगे, उसके कारण एक बड़ी बेचैनी और घबराहट हुई और कुर्सी जो किसी तरह से मिली थी उसको समझा कि कुछ खतरा है तो कहा जाने लगा कि यह मामला अभी विचाराधीन है, अभी उस पर राय मशवरा करेंगे और निर्णय लिया जायगा। सम्भवत: इतने से उनके भाइयों में सन्तोष हो लेकिन मैं ईमानदारी से कहूंगा कि यदि चौधरी साहब में कोई नैतिकता, ईमानदारी, और नेकनियती बाकी है तो मैं कहता हूं कि उनके दोस्त जो उधर बैठे हैं वह उन्हें सलाह दें कि उनकी नैतिकता का परिचय यही होगा कि जो जबान से उनके द्वारा कहा गया था उसका पालन किया जाय। यदि वह नहीं करते किसी कारण से भी, दबाव से या किसी भी कारण से तो सम्भवत: उस जमात के प्रति और उनके प्रति विश्वास कैसे रह सकता है और उस सरकार के प्रति भी फिर विश्वास कैसे रह सकता है? वैसे तो मैंने आरम्भ में ही कहा था कि यह समय इस अविश्वास प्रस्ताव के लिये ठीक नहीं था लेकिन उसके वजूहात बने और वह यह कि जब मुख्य मन्त्री और उनकी मंत्रिपरिषद् अपने फैसलों को अपनी जबान को आये दिन घंटे घंटे भर में बदलेंगे तो विश्वास के प्रस्ताव के लिये ६ मास का इंतजार नहीं होगा बल्कि वह उसी वक्त लिया जायगा जब वह आयेगा। यह आज की स्थिति है।

मैं कहूंगा कि जो स्वच्छ प्रशासन की बात कही गई उसके बारे में मैं कोई व्यक्तिगत राय नहीं रखता, सब उस पर कह चुके हैं, टीका टिप्पणी हो चुकी है, मैं इस ओर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछली सरकार ने जो कुछ किया, जो अध्यादेश निकाले, प्रोफेशन टैक्स हटाने के लिये या सवा ६ एकड़ का लगान हटाने के लिये, वह समाजवादी दल का प्रोग्राम था और यह नहीं भूलना चाहिये कि कांग्रेस से हमारा दल उसी वक्त हिन्दुस्तान में अलग हुआ जब उन्होंने यह फसला किया कि हमारा रास्ता समाजवाद का नहीं है और उसी वक्त श्री जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी और आचार्य नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में समाजवादी कार्यक्रम को लागू करने के लिये वह जमात अलग हो गई। जो समाजवाद रातो रात में आ गया हो और उस समाजवाद की नई मसीहा इन्दिरा जी पैदा हो गई हों और उसके आधार पर कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये हों, उस की बात मैं नहीं करता लेकिन यह सत्य है कि यह चाहे सवा ६ एकड़ की बात हो या ३ १/८ एकड़ तक की माफी की बात हो, यह समाजवाद के मूल्यों की और मूवमेंट की ही जीत है, इसके लिये चाहे श्री चन्द्रभानु गुप्त रिएक्शनरी जमात के, या श्री कमलापति रिएक्शनरी जमात के समाजवादी कहे जायं इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन समाजवाद का जो कार्यक्रम है, जो सिद्धान्त हैं और जो उसके उसूल हैं उन को मानकर जो कार्य

[श्री रामकरन (गोरखपुर)]

होंगे उन का हम स्वागत करेंगे और वह हमने किया भी है। सवा ६ एकड़ की बात जब हुई तो उस को पी० एस० पी० ने सर्पोट किया कि वह माना जाय और वह माफ होना चाहिये। यह जो ३ १/८ एकड़ तक की माफी बात है उस का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिन चीजों का अध्यादेश के द्वारा इशारा पिछली सरकार ने किया था उन से आज वह मुकर रहे हैं। ३ १/८ एकड़ के लगान माफी की घोषणा हुयी है। इन्हें सोचना चाहिए। यह उसूल का झगड़ा है। हम सवा छः एकड़ के अलाभकर को जनहित मानते हैं। अगर आप के फाइनेन्सेज केवल ३ १/८ एकड़ तक की जोतों को माफ करने के हैं तो इतना तो कर लीजिए लेकिन सवा छः एकड़ के सिद्धान्त को तो आप को कबूल करना चाहिए। इसीलिए श्रीमन्, आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं उनके बारे में बात आनी चाहिए और उन को कुछ न कुछ करना चाहिए।

मान्यवर, पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग की बात की थी। यहां पर रोज बरोज उनके बारे में सवालात पूछे गये और सरकार की ओर से कहा गया कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। अभी माननीय जायसवाल जी ने मंहगाई की बात कही है और सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है। मान्यवर, वेतन बढ़ाने और अंतरिम भत्ते की बात क्यों पैदा होती है? यह इसलिए पैदा होती है कि जन जीवन की सामग्री बाजार में मंहगी मिलने लगती है और गुजारां होना मुश्किल हो जाता है। तो उसी अनुपात से कर्मचारियों की मंहगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए। इसलिए यह बात उठायी गयी और वेतन आयोग का गठन हुआ था कि वह बाजार के भावों को देख कर वेतन में वृद्धि करने की सिफारिश करें।

पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड के जिलों के बारे में यह कहा गया कि एक आयोग ऐसा बनना चाहिए कि जो पूर्वी और बुन्देलखंड के जिलों के विकास की बात करे। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक कार्पोरेशन का शब्द लगा दिया। कार्पोरेशन और आयोग में फर्क होता है। आयोग का मतलब क्या है और कार्पोरेशन का मतलब क्या है? आप फानेन्स के द्वारा पैसा देकर उपाय करें। आयोग का मतलब ही दूसरा है। पूर्वी जिलों के विकास के लिए अशोक मेहता कमीशन ने और पटेल आयोग ने बहुत छानबीन करके कहा कि हिन्दुस्तान में सब से पिछड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सब से पिछड़ा इलाका पूर्वी जिले हैं। मैं इसी क्षेत्र से आता हूं। अगर आज की सरकार पूर्वी जिलों को पश्चिमी तथा मध्य के जिलों के बराबर लाना चाहती हैं और इस पूर्व और पश्चिम के भेद को मिटाना चाहती हैं तो आवश्यक है कि आप को उसके लिए कुछ धन केन्द्रीय सरकार से लाना पड़ेगा और इसके लिए अच्छा खर्चा करना पड़ेगा। अगर ऐसा न किया गया तो पूर्व और पश्चिम का अन्तर बराबर बना रहेगा।

अध्यापकों के बारे में जो विचार आये हैं, मैं उनसे सहमत हूं लेकिन ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मन्त्री जी से, उन्हें मैं ने एक पत्र भी लिखा है, गोरखपुर जिले में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन किसी भी थाने पर कत्ल, डाकेजनी, राहजनी और चोरी की शिकायतें दर्ज न हों। रोजाना अखबारों में छपा रहता है कि गोरखपुर में यह हुआ, वह हुआ। ला एंड आर्डर की जो सिचुएशन है, उस पर भी आप देखें। पिछली सरकार ने कुछ सड़कों आदि के निर्माण के लिये अनुदान स्वीकार किया था। बस्ती जिले में एक सड़क पर कार्य भी आरम्भ हो गया था लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे भी बन्द करवा दिया है। यह बात मुझे मेरी पार्टी के श्री सुखपाल जी ने बतायी थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कार्य जनहित के लिए हो रहे हैं, या चालू किये गये हैं, उनके धन को काट कर दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं अविश्वास प्रस्ताव में दिये गये तथ्यों पर कुछ कहूं, संसोपा नेता, माननीय जायसवाल जी ने जो गलत तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं मैं उनके बारे में कहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि उन की सूचना उनके द्वारा संकलित की हुई है जो किसी भी तथ्यों पर आधारित नहीं है और राजनीति विरोधी है। मैं उन को बताना चाहता हूं कि मेरठ जिले में हरिजनों का जितना सामाजिक और राजनीतिक उत्थान चौधरी चरण सिंह जी ने किया है उतना किसी ने अपने यहां नहीं किया है। आप को मालूम होना चाहिये कि सन् १९३२ में चौधरी चरण सिंह जी के परिवार में एक हरिजन खानसामा था। उस पर लोगों ने आपत्ति की कि यदि आप इस हरिजन को अपने घर में रखेंगे तो आप वकालत नहीं कर पायेंगे, मगर चौधरी साहब ने उत्तर दिया कि भले ही मैं वकालत न कर पाऊं, मगर वह उनके यहां रहेगा, मैं जातपात में भेदभाव को नहीं मानता। (व्यवधान) वह हरिजन उनके यहां सर्वेसर्वा बना हुआ था। जितना कार्य हरिजनों के लिये मेरठ जिले में हुआ है उतना कहीं भी नहीं हुआ है। यह मेरठ के हरिजन लोग भली भांति जानते हैं।

सरदार प्रीतम सिंह की बात कही गयी। हरिजनों के वोट माननीय चौधरी साहब को न मिल सकें इसलिये ऐसी बात कही गयी। वह आप की एक चाल थी, मगर मैं आप को बताना चाहता हूं कि सरदार प्रीतम सिंह की मृत्यु आपसी झगड़े के कारण हुई थी। वह किन परिस्थितियों में हुई थी, वह आप को मालूम होना चाहिये। उसने हरिजनों के कुंवों आदि पर कब्जा कर रखा था और जबरदस्ती उन पर अधिकार किये थे। इसी पर उनका हरिजनों से झगड़ा हुआ और सरदार प्रीतम सिंह को उसी बिरादरी के लोगों ने मार डाला। इसलिये गलत बातों को सदन में कह कर सदन को गुमराह नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा नेता विरोधी दल बड़ा नारा लगाते हैं हरिजनों का। वे सन् १९३७ से मंत्रिमंडल में रहे हैं। वे बतायें कि उन्होंने हरिजनों के लिये कौन से कार्य अब तक किये हैं? एक भी कार्य उन्होंने उनके लिये नहीं किया। बल्कि उस वर्ग में आपस में वैमनस्य पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। (व्यवधान) २४ साल तक उन्होंने हरिजनों के हितों पर कुठारघात किया है। इस पर वे हरिजनों की दुहाई देते हैं और मुख्य मन्त्री बनना चाहते हैं। बी० के० डी० में २३ हरिजन जीत कर आये हैं। इनमें १६ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपने नाना प्रकार के प्रलोभन देकर उनको तोड़ने की कोशिश की, मगर उनका विश्वास जो चरण सिंह जी में था वह आप तोड़ नहीं पाये। उनका विश्वास अब भी चरण सिंह जी में है।

(व्यवधान)

आपने इलेक्शन की बात कही। अगर इलेक्शन में मथुरा में हमने जातिपांति आदि का नारा लगाया होता तो लक्ष्मीरमण जी जीत कर नहीं आते।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

चूंकि मेरा नाम लिया गया, इसलिये मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि क्या उनको मथुरा का हाल मालूम है?

श्री आशाराम इन्दु—

वहां पर केवल ८ परसेंट जाट थे फिर भी हमारे आदमी चुने गये। वहां पर तो आपका इलेक्शन कमीशन था, आपने पी० ए० सी० पूरी लगा रखी थी, फिर भी सिन्डीकेट का एक आदमी आया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

वहां पर कितने प्रतिशत जाट हैं? आप इसे फिर से स्पष्ट बताइये।

श्री आशाराम इन्दु—

मुझे अपना भाषण देने दीजिये। डिस्टर्ब न कीजिए। (श्री सिंह द्वारा ज्यादा जोर देने पर) ८ परसेंट से १९ परसेन्ट मथुरा में सब से ज्यादा हैं।

(व्यवधान)

हरिजनों की भलाई का जो काम किया गया वह चौधरी चरण सिंह द्वारा ही किया गया। सब से पहले, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार संशोधन विधेयक पास हुआ, उसमें ३२ लाख एकड़ जमीन गांव पंचायतों की बची थी, उसके बारे में यह किया कि सब से पहले भूमि हरिजनों को दी जाएगी। उसके बाद चकबन्दी कानून आया, चकबन्दी कानून में प्रत्यक्ष है—जो बचत की जमीन होगी वह हरिजनों को आबादी के लिए दी जाएगी और उसके उपरान्त उन्हें खेती के लिए दी जाएगी। चौधरी गिरधारी लाल ने कोई सवाल उठाया कि सीलिंग २५ एकड़ या ३० एकड़ कर दी जाए। फिर जब नेता सदन सत्ता में आते हैं, सत्ता में आते ही उन्होंने सीलिंग को कम करने का विचार किया। उससे किसका लाभ होगा? हरिजनों का ही लाभ होगा, भूमि-हीनों, गरीबों का लाभ होगा।

इतना ही नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में चौधरी चरण सिंह की सरकार के पूर्व कोई मेम्बर नहीं था। और जब जब इसकी मांग उठाई गई, तो उनकी तरफ से जवाब दिया जाता था कि क्या करें कोई काबिल हरिजन मिलता नहीं है। किन्तु चौधरी चरणसिंह ने आते ही यह काम किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन सदस्य भेजा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

ऐसा जवाब कभी नहीं दिया गया, आप असत्य भाषण करते हैं।

(इस समय २ बज कर १ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये।)

श्री आशाराम इन्दु—

अब मैं अनएकोनामिक होल्डिंग्स पर आता हूं। उधर से कहा जाता है कि सवा छः एकड़ की जोत अलाभकर है। किन्तु वह कब थी? बहुत समय पहले थी आज नहीं। आज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया है, हरित क्रान्ति का जमाना चल रहा है, इंटेंसिव खेती की ओर हम जा रहे हैं, उन्नत बीज और उन्नत फर्टलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। इस सब के होते पैदावार बढ़ रही है, किन्तु आप अब भी वही सवा छः एकड़ की रट लगाये चले जा रहे हैं। समय की ओर नहीं देख रहे हैं कि तब से अब कितना परिवर्तन हो गया है। आज कृषि विशेषज्ञों की यह राय है कि ३ १/८ एकड़ के नीचे की जोत ही अलाभकर है, ऊपर की नहीं। तो जो विशेषज्ञों की राय है, उसी के अनुसार किसानों को पूरी राहत दी गई है। यह सन् ३० की रट जो सन् ७० में लगाई जा रही है, यह बात कतई ठीक नहीं है, केवल इसमें आपका स्वार्थ छिपा है।

राष्ट्रीय इलेक्शन में जो नेता यह कहते थे कि राष्ट्रपति पद के लिये श्री गिरि को वोट देने से देश में कम्युनिज्म आ जाएगा, वही नेता जब सवा छः एकड़ की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं, इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय सदस्य ने कहा कि चौधरी साहब ने सत्ता में आते ही सीलिंग की तादाद कम कर दी है, तो आदरणीय नेता सदन में उपस्थित हैं, क्या वह सीलिंग के विषय में अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

वह बाद में बोलेंगे ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये---शोर)

श्री अध्यक्ष---

नेता विरोधी दल । (शोर)

चौधरी गिरधारीलाल (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं.....

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन थे तो इस सदन में प्रश्न उठा था कि डिबेट पर कौन जवाब देगा, माननीय मुख्य मंत्री देंगे या विरोधी दल के नेता देंगे । सदन के सामने जो प्रस्ताव है, माननीय विरोधी दल के नेता का प्रस्ताव है। उस पर बहस हो रही है । उस बहस का उत्तर देने का एकमात्र अधिकार प्रस्तावक महोदय का है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले मुख्य मंत्री को बोलने का मौका दें । इसके बाद उत्तर देने के लिये नेता विरोधी दल को कहें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं सुनना नहीं चाहता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

इस तरह से सदन का गला घोटने का प्रयास न कीजिये । (व्यवधान) आप मुख्य मंत्री होकर जरा सा चुप रहिए, शान्त रहिए । (शोर) माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रातः कल आप नहीं थे, यहां पर उपाध्यक्ष ने आप का आदेश या निर्देश जो था वह इस सदन को सुनाया कि शुरू में माननीय विरोधी दल के नेता डिबेट का रिप्लाई करेंगे, फिर बाद में नेता सदन बोलेंगे । इस पर माननीय नेगी, मैंने और सभी विरोधी दल के लोगों ने, उपाध्यक्ष जी से, जो पीठासन थे, निवेदन किया कि यह बिलकुल गलत परम्परा होगी । अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल के नेता का प्रस्ताव है । पहले नेता सदन को अपनी गवर्नमेंन्ट की पालिसी के सम्बन्ध में पूर्णरूप से विचार प्रकट करने दिया जाय, उसके बाद नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े होंगे । उस पर उन्होंने मुख्य मंत्री जी से जानना चाहा । उन्होंने कहा कि मुझे इस पर आपत्ति नहीं होगी, परम्परा वगैरह देख ली जाय । (व्यवधान) हम तो जानते हैं कि निर्णय आपके पक्ष में देंगे । तब भी हमें अपनी बात कहनी है ।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

माननीय कृष्णानन्द ने कहा कि हम जानते हैं अध्यक्ष जी निर्णय आपके पक्ष में देंगे । यह आक्षेप है ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि अगर आपके पक्ष में देंगे तो भी हमें माननीय है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

उस समय जबकि सुबह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, तो माननीय नेता सदन ने कहा था कि हम को आपत्ति नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि माननीय अध्यक्ष का निर्देश

[श्री कृष्णानन्द राय]--
है इसलिए मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। इसलिये उसको छोड़ दिया, और कहा कि दो बजे इस प्रश्न को सुनेंगे। आप आये और तुरन्त निर्णय दे दिया। यह अविश्वास का प्रस्ताव नीतियों के सम्बन्ध में है। मुख्य मंत्री की इस पर क्या राय है यह जानने के बाद ही वह इस स्थिति में आऐंगे कि अविश्बास के प्रस्ताव का जवाब दे सकें या न दे सकें। लेकिन नेता सदन नीतियों के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह परम्परा मत खराब कीजिये। आप पहले नेता सदन को बुलाएं। उसके बाद नेता विरोधी दल को बुलाऐंगे।

श्री अध्यक्ष---

यह चीज हो चुकी है। मैं आपको बताऊं। नियम में आपको सुना दूंगा। एक तो यह है कि हमेशा आखिर में मुख्य मंत्री ने जवाब दिया है क्योंकि यह जो नान आफिशियल प्रस्ताव आता है यह दूसरी बेंचों की तरफ से आता है। यह अविश्वास का प्रस्ताव भी बैसा ही है। १९६७ में नेता विरोधी दल के भाषण के उपरान्त मुख्य मंत्री ने अपना भाषण दिया। केवल १९६५ को छोड़कर हमेशा यह प्रथा रही है। तो आज यह नहीं हो सकता है कि पहले उनकी तरफ से हो जाय। नियमों के हिसाब से मैं आपको बतलाता हूं कि नियम २९२ में यह लिखा है कि :—" .... यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का सम्बन्ध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा।" तो अगर बीच में वह मंत्री न बोला हो तो वह अन्त में उत्तर देगा। तो सवाल यह है कि मैंने यह सोचा था अगर वह बीच में इन्टरवीन कर लेते तो आपको सब नीति के सम्बन्ध में बतलाते तो यह कोई बुरी बात न थी। मैंने यह सब सोच कर समय के अनुसार निश्चित कर दिया था कि यह ४ बजे समाप्त हो जायगा। आखीर में वह बोल लेंगे। नेता विरोधीदल के प्रस्ताव पर और लोगों ने भी नीति सम्बन्धी चर्चा की है तो मुख्य मंत्री को भी अधिकार है कि वह डिबेट का जवाब दें और वह खंडन करना चाहें किसी बात का तो वह कर सकते हैं और वह अपनी नीति बतला सकते हैं लेकिन अगर वह बीच में इन्टरवीन करते तो भी यह उनको अधिकार है कि अन्त में वह बोल सकते हैं। "कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिये किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः भाषण कर सकेंगे।" इसका मतलब यह है कि नेता विरोधीदल जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है वह भाषण कर सकते हैं। यदि असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तो उस मंत्री को जिसके विभाग की चर्चा की गयी हो, अन्त में दोबारा भी भाषण कर सकते हैं। यह प्रस्ताव भी असरकारी प्रस्ताव के रूप में है। अगर मुख्य मंत्री बीच में इन्टरवीन करके अगर वह बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह अपनी पालिसी बतला सकते हैं लेकिन इसके बाद भी यानी नेता विरोधीदल के उत्तर भाषण के बाद भी वह बोल सकते हैं। यह प्रथा हमेशा रही है सिवाय १९६५ के। पहले नेता विरोधीदल अपना उत्तर दे देते हैं क्यों कि उनका प्रस्ताव होता है। १९६२ से १९६७ तक यही प्रथा रही है। अगर मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये राजी हो जांय कि वह पहले बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो पुरानी प्रथा रही है वह यही कि पहले विरोधीदल के नेता अपना उत्तर देते हैं फिर उसके बाद नेता सदन आखीर में अपना भाषण देते हैं। इस तरह से समय बचाने की बात है। मैं समझता हूं इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर मुख्य मंत्री जी चाहें तो १५ मिनट का समय ले लें लेकिन फिर अन्त में भी उनको बाकी समय मिलेगा क्योंकि नेता सदन का वह अधिकार आखीर में बोलने का रहता है।

मैं समझता हूं यदि बीच में मुख्य मंत्री जी बोलना नहीं चाहते हैं तो नेता विरोधीदल बोल लें और उसके बाद नेता सदन बोलेंगे यही प्रथा पहले से चली आई है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दे दी । आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

चौधरी गिरधारीलाल---

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सुबह कहा था मैं अपनी तरफ से सब बातें रख चुका हूं और उन पर काफी टीका दोनों तरफ से हो चुकी है । अब उससे ज्यादा मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर कहने की स्थिति में नहीं हूं । यह अच्छा होता कि मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह देते । उसके बाद अगर जरूरत होती तो मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता तो कह देता ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मेरे उधर बैठने वाले मित्रों ने.....

चौधरी गिरधारीलाल---

मैं एक बात कहना चाहता था । क्या आखिर में मुझे बोलने का मौका होगा ?

श्री अध्यक्ष---

अधिकार तो नहीं है लेकिन ५ मिनट में दो-तीन बातें आप कहना चाहें तो उनका उल्लेख कर सकते हैं ।

श्री चरणसिंह---

५ मिनट ही क्यों १५ मिनट भी नेता, विरोधी दल बोल सकते हैं लेकिन आपकी रूलिंग हो चुकी है कि मेरे बोलने के बाद अब केवल वोटिंग ही होगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

आपने अभी कहा कि नेता सदन के बोलने के बाद अगर नेता, विरोधी दल बोलना चाहें तो बोल सकते हैं .....

श्री अध्यक्ष---

लेकिन नेता सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया । नेता, विरोधी दल को अब बोलना है तो १५ मिनट अभी बोल लें ।

चौधरी गिरधारीलाल---

आपकी रूलिंग यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा लेकिन मेरी जो भावना है उसे मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दी ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, अब से पूर्व उपाध्यक्ष महोदय के सामने इस सवाल को रखा गया था । अभी यह व्यवस्था आपने दी कि मुख्य मंत्री जी दो दफा बोल सकते हैं । पहले मुख्य मंत्री जी बोल लें । बाद में नेता, विरोधी दल बोलेंगे और फिर कोई बात हो तो दुबारा मुख्य मंत्री जी बोल लें लेकिन आपने उसे बदल दिया कि पहले नेता, विरोधी दल बोलेंगे और बाद में मुख्य मंत्री बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

मेरी व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं है । वह बीच में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---

वह इसे स्वीकार कर चुके हैं । आप कार्यवाही निकलवा कर देख सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यदि नेता सदन चाहें तो बोल लें। उसके बाद नेता, विरोधी दल बोलेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो नेता सदन फिर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह इसे नहीं चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—

मैं आखिर में ही बोलना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जिद से न चलाइये। आपने व्यवस्था दी लेकिन यह परम्परा का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था के सामने सर झुकाता हूं लेकिन ६५ में यह हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

एक ही बार.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एक ही बार सही। लेकिन वह भी परम्परा थी। आपने जब व्यवस्था दे दी तो मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि वे अन्त में ही बोलेंगे न्यायसंगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह इंटरवीन नहीं करना चाहते।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

लेकिन आप पहले व्यवस्था दे चुके हैं कि नेता, विरोधी दल बाद में चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, बात यह थी कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे। उन्होंने शुरू कर दिया था। उनकी बात सुनने के बाद नेता, विरोधी दल बोलने वाले थे। अब वह कहते हैं कि मैं बाद में बोलूंगा। तो श्रीमन्, उनकी जिद रहेगी। जिद से कोई काम चलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये। माननीय नेता, विरोधी दल यदि बोलना चाहें तो बोलें।

*चौधरी गिरधारीलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय ज्यादा कहने का मौका इसलिये नहीं है कि मैंने सरकार के संबंध में जो अपने प्वाइन्ट्स रखे थे उसके सिलसिले में उनके क्या विचार हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या टिप्पणी हैं, वह नहीं आये। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कह सकूंगा। लेकिन फिर भी यहां कई बातें कही गईं। मेरी वजह से चूंकि मैं एक विशेष वर्ग से संबंध रखता हूं, बहुत-सी बातें कही गईं जिनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि मैं पर्सनेलिटी कल्ट में विश्वास नहीं करता हूं। हमारे देश में राष्ट्रीय आन्दोलन चला और देश के आजाद होने के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। मैं कांग्रेस का एक सिपाही था और हरिजनों में भी कार्य करता था। और शुरू से लेकर १९६४ तक मैं मंत्रिमंडल में रहा। जो कार्य ६७ तक रहा, वहां कांग्रेसी मंडल ने काम किया है और मैं उसका एक यूनिट था, एक जुज था जैसा कि इस समय हमारे मुख्य मंत्री और नेता सदन, हमारे दोस्त, हमारे भाई, चौधरी साहब भी उसके एक सदस्य थे और जितना भी कार्य हुआ है उस सबकी जिम्मेदारी मेरी और मंत्रिमंडल के सदस्यों की थी, जो कांग्रेस दल के सदस्य थे। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता है।

मेरी समझ में एक बात नहीं आई। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही गई। इस बात को नेता सदन जानते हैं कि १९६७ के जनवरी या दिसम्बर से यह फाइल चल रही थी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बड़े जोरों के साथ मैं कार्य कर रहा था। सिर्फ मुख्य मंत्री के दस्तखत होने बाकी थे कि आम चुनाव आ गया। इसके बाद जो किस्से हुये वह सबके सामने हैं और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत-सी चीजें कीं और हेड आफ दि डिपार्टमेंट को हटा दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन में स्थान रिक्त था उसके लिये उन्होंने प्रपोजल को मान लिया। बहुत सी चीजें चल रही थीं मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूं (जो सदस्य बने हैं उनकी योग्यता का कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। मैंने उनसे पूछा और वे राजी हो गये और विचार विनिमय के बाद वह नाम रखा गया और पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की संविद सरकार में नियुक्ति हुई।

इसके अलावा और जो बातें हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इस समय ज्यादा नहीं कह सकूंगा। मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि इसका व्यक्तिगत श्रेय मुझको है। लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम लोगों का बराबर सहयोग या विरोध न हुआ हो। कांग्रेस एक दल था जो छुआछूत के खिलाफ था जिसकी रहनुमाई में हमारा संविधान बना था। उस समय को देखते हुए जितने भी साधन और तरीके इस्तेमाल हो सकते थे उनको इस्तेमाल किया गया। ऐसे वर्ग का केवल एक व्यक्ति भला इस काम को किस प्रकार से कर सकता था? यह हरिजनों का ही सवाल नहीं था, यह तो गैर हरिजनों की मनोवृत्तियों को बदलने का सवाल था और उसको महात्मा गांधी ने बदला। उसमें मैंने क्या-क्या किया, इसको सभी माननीय सदस्य भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन यह भी सभी लोग जानते हैं कि हमारे मित्र जातीयता से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं।

सीलिंग के विषय में भी कहा गया। उस वक्त मैं मंत्रिमंडल में था और शायद माननीय नेता सदन भी कदाचित् उस समय मंत्रिमंडल में थे। अगर नहीं थे तो कम से कम वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग्स में इसको डिसकस करती थी, उसमें उन्होंने अपने विचार रखे थे। उन्होंने ए० आई० सी० सी० में अपने जो विचार रखे थे, वे सीलिंग के खिलाफ थे लेकिन उनको याद होगा मैं विपरीत विचार रखता था।

एडेड स्कलों के अध्यापकों के बारे में भी बहुत-सी बातें कहीं गयीं। कुछ साथियों ने कहा कि उसके लिये साधनों की आवश्यकता होगी। लेकिन साधनों की इसमें इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि उसमें साहस की आवश्यकता है। हम उनको आर्थिक सहायता देते हैं। इसके अलावा लड़कों से फीस ली जाती है, उसको सरकारी खजाने में जमा किया जा सकता है। उन दोनों को मिलाकर अध्यापकों का वेतन दिया जा सकता है, वहां के कर्मचारियों को दे सकते हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, वह नैतिक पतन से रुक जायेंगे। उनको मजबूरी हालत में झूठ बोलना पड़ता है।

[चौधरी गिरधारीलाल]—

उस सरकार ने जिसका मैं भी एक सदस्य था, हिन्दी को बहुत दूर तक पहुंचा दिया था। यह मैंने नहीं कहा कि नेता सदन हिन्दी के विरोधी हैं। लेकिन संस्कार हैं, हम भी उससे बरी नहीं हो सकते। बहुत से अंग्रेजी के शब्द हमारे दिमाग में होते हैं जिनके हिन्दी शब्द जल्दी दिमाग में नहीं आ पाते। लेकिन इस विषय में आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। जिस बुनियाद पर यह सरकार का गठन हुआ है, वह विश्वास का अभाव ही प्रकट करता है। १३ फरवरी के नेशनल हैरल्ड में लिखा है—

"Mr. Charan Singh, who had agreed to form a government with the support of the Congress (O), the Jan Sangh and SSP after Mr. C. B. Gupta, resigned on February 10, had to rethink the development that followed during the past two days."

यह चीज जाहिर करती है कि आप कहां तक पहुंचे हैं। जहां तक मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था वह यह चीज जाहिर करती है कि जो मैंने उस दिन कहा था, तो यह मौलिक वजह थी अविश्वास प्रकट करने की। मैं इस समय और समय न लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां पर दो एक और बातें कही गई हैं लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। हमारी कांग्रेस का खुशकिस्मती या बदकिस्मती से एक बड़े अर्से तक देश में शासन रहा है और हमारे प्रदेश के कुछ लोगों ने आपसी ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूषित वातावरण बनाया करेक्टर असेसिनेशन की भावना को लेकर और उसके कारण यहां कुछ बातें कही गईं। मैं उन पर इस समय कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उन बातों को भी साफ कर दूंगा। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कुछ समझी नहीं हूं। मैं विरोधी दल के भाइयों से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जो सीलिंग की बाबत कहा है, तो वह और कितनी सीलिंग चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन पूछ लेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं।)

श्री कृष्णानन्द राय—

कितने उम्मीदवार हैं?

*श्री चरण सिंह—

३५ इधर बैठकर उधर चले गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को एक और मौका दिया गवर्नर के अभिभाषण के बाद इस गवर्नमेंट की नीतियों पर प्रकाश डालने का। लेकिन जहां तक मैं उनका इसके लिये कृतज्ञ हूं, मुझे एक शिकायत भी है, और वह शिकायत यह है कि माननीय गिरधारी लाल जी ने जिस ढंग से अब तकरीर की है और जिस ढंग से पहले तकरीर की थी, उसके कारण मुझे अपनी तकरीर में वह आनन्द नहीं आयेगा, क्योंकि जैसी मुखालफत होती है वैसे ही जवाब दिये जाते हैं। युद्ध करने का हमारा पुराना नियम है कि स्त्री पर, रोगी पर, भागते हुये पर और निर्बल पर हाथ न उठाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी शिकायत यह है कि अगर आप असेम्बली के रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं उनको पढ़कर देखेंगे तो आधे से ज्यादा समय दोस्तों ने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाने में लिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह पुरानी सच्चाई है कि व्यक्तिगत आक्षेप पर आदमी तभी उतारू होता है जब कि उसके पास तर्क न हों। मै उन व्यक्तिगत आक्षेपों का जवाब उसी तरह से दे सकता हूं लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ का जवाब मैं दे पाऊंगा क्योंकि जो छोटी-मोटी बातें कही गई हैं सबका जवाब दूंगा तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन जो मोटी-मोटी बातें मित्रों ने कही हैं और दुहराई हैं, उनका जबाब दूंगा। मैं किसानों का हामी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९३७ में एम० एल० ए० हुआ और उस वक्त के अखबारों की कटिंग्स मेरे पास रक्खी हुई हैं। उस समय नेशनल काल अखबार, नेशनल हेराल्ड अखबार और गालिबन हिन्दुस्तान टाइम्स में भी मरे आर्टिकिल्स निकलते थे कि हमारे देश के अन्दर छोटी जोत होनी चाहिये क्योंकि छोटी जोत में फी एकड़ फी इकाई पैदावार ज्यादा होती है। मेरे बहुत से कांग्रेस के दोस्तों को इससे मुखालफत थी। इसका भी सबूत आपको मिल जायगा कि किस तरह से वह मुखालिफत करते थे? सन् १९४७-४८ में मैंने जो आर्टिकिल्स लिखे थे उन्हीं की बुनियाद पर मैंने एबोलीशन आफ जमींदारी पुस्तक लिखी है और उसमें आंकड़े दिये हैं कि दुनियां भर में अगर उत्पादन के साधन एक मात्रा में मुहय्या कर दिये जायं तो जो छोटा किसान है और जिसके लिये हमारी समस्यायें हैं वह और बढ़ जायेंगी। दुनिया में दो ही प्रकार के देश हैं एक तो वे जहां आदमी कम और जमीन ज्यादा है और दूसरे वे जहां आदमी अधिक और जमीन कम। हमारे यहां दूसरे ही प्रकार की स्थिति है। इसीलिये हमारे यहां एक ही लक्ष्य है कि फी एकड़ पैदावार बढ़े। मैं इन चीजों की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। हमारी इस पुस्तक में चैप्टर पर चैप्टर और टेबुल पर टेबुल दिये हैं कि हमारे देश की स्थिति के अनुसार किस प्रकार की व्यवस्था लाभदायक हो सकती है। हमारे देश में छोटा किसान ही हो सकता है, उसके भली प्रकार खेती करने पर ही हमारी डेमोक्रेसी बढ़ेगी, बेरोजगार मिटेगा। तो यह हमारा खयाल हमेशा से ही रहा है। अब इसकी पुष्टि में मैं यही कह सकता हूं कि यह कैसे समझ लिया गया कि मैं बड़े किसान का किस हद तक हामी हूं। मैं आपको बतला दूं कि केवल उत्तर प्रदेश ही सारे देश के सूबों में ऐसा प्रदेश है जहां सही मानों में जमींदारी खतम की गई। जहां जमींदारों को राइट्स आफ रिजम्शन नहीं दिया गया। प्लानिंग कमीशन ने पहले,दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जमींदारों को यह अख्तियार दिया जिनकी जमींदारी खतम हो रही थी। ३० से ६० एकड़ तक किसी सूबे में काश्तकारों से बेदखल करवा सकता है। मैंने इसको नहीं माना। उस जमाने में मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था और उसके पहले मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था। स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त का मेरे प्रति इतना स्नेह था कि जमींदारी एबोलीशन के सिलसिले में जो चीजें उठती थीं उनका निराकरण मैं करता था और वह हमारा विश्वास करते थे। उस समय ठाकुर हुकुम सिंह जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब १५ अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जमींदारों के पक्ष में सारे कानून बन गये तो क्या उसमें आपका कोई हाथ नहीं था?

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह---

मेरी राय थी कि राइट आफ रिडम्पशन जमींदारों को न दिये जायं। जमींदारी तीन ही किस्म की हैं। एक तो वह हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है लेकिन रेंटल से अपना गुजारा करते हैं। १.०२ परसेंट ऐसे बड़े जमींदार थे। जमीन की खुद काश्त नहीं करते थे और उनको कम्पेनसेशन बहुत मिलेगा। एक वह जिनके पास इतनी कम जमीन है कि खेती खुद नहीं करते हैं और इनकी संख्या ५, ७ परसेंट से ज्यादा नहीं थी। ऐसे लोग लखनऊ ऐसे बड़े

[श्री चरणसिंह]---

शहरों में रह कर लेनदेन का काम करते हैं या इन्हीं तरीकों से अपना काम चलाते हैं। एक वह जिनके पास खुदकाश्त के लिये जमीन है और दूसरों को जमीन दे रखी है। ८८, १/२ परसेंट जमींदार इस प्रकार के हैं। राइट आफ रिडम्पशन चाहे जमींदार १ एकड़ का हो, आधा बिस्वा का हो या एक हजार एकड़ का हो हम राइट आफ रिडम्पशन नहीं देंगे।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि राइट आफ रिडम्पशन का अधिकार सब जगह लिया गया सिवाय उत्तर प्रदेश के। वह राइट आफ रिडम्पशन का असर किस पर पड़नेवाला था? छोटे गरीब किसानों पर। कांग्रेस में बिहार वाले थे, बंगाल वाले थे और केरल वाले भी थे और सब ने राइट आफ रिडम्पशन मंजूर किया लेकिन उत्तर प्रदेश में उनमें यह फर्क था कि यहां पर केवल एक रेवेन्यू मिनिस्टर की पर्सनलिटी थी। (व्यवधान) मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पार्टी तो सारे हिन्दुस्तान में थी। मैं आपको यह भी बतला दूं कि पंडित जी ने इससे एग्री नहीं किया तो उसके बाद मुझे दलील पर दलील देनी पड़ी, नोट पर नोट लिखने पड़े और इस्तीफा देने तक की नौबत आ गयी और तब जाकर वह चीज मंजूर हुई। (व्यवधान) यही नहीं कि हमने राइट आफ रिडम्पशन नहीं दिया बल्कि सब टिनेंट को परमानेंट राइट दे दिया और मैं चैलेंज करता हूं कि और किसी भी सूबे में शिकमी को अधिकार दिया गया हो।

(व्यवधान)

उस वक्त की जो कांग्रेस पार्टी थी वह गरीब आदमियों को रेप्रेजेंट करती थी। इस समय आप जैसे लोग आये हैं, आप जैसों का उस वक्त काम नहीं था। यही नहीं कि हमने सब टेनेंट को परमानेंट राइट दिया बल्कि जो ट्रेसपासर थे, गासिबाना जिनका कब्जा था उनको भी हमने अधिकार दे दिया। ऐसे सब टेनेंट ट्रेसपासर ३० लाख आदमी थे जिनके पास औसत जमीन ४ बिस्वा थी। सिवा उत्तर प्रदेश के और कहीं इस तरह के काश्तकारों को अधिकार नहीं दिया गया है। (व्यवधान) मैं चैलेंज करता हूं कि किसी सूबे में यह नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यू० पी० के अन्दर ही यह हुआ है कि कोई आदमी इतनी सीमा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेगा। यानी अब यू० पी० में कोई भी आगे से साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेगा। सारे हिन्दुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में ही यह है। इस पर आपका यह कहना कि मैं बड़े किसानों का हामी हूं। (व्यवधान) क्योंकि आपने गवर्नमेंट के सिलसिले में तो कोई बात कही नहीं, केवल व्यक्तिगत बात कही, उनका जवाब भी मैं आपके सामने देना चाहता हूं।

अभी-अभी हमारे एक माननीय मित्र ने कहा कि आप सीलिंग के खिलाफ थे, बेशक मैं सीलिंग के खिलाफ था और इसलिये खिलाफ था कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में विशेषकर बड़े किसानों की तादाद एक हजार में एक है जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है। उन सबकी जमीन चाहे किसी के पास २० एकड़ हो, किसी के पास ३० एकड़ हो, चाहे किसी के पास ४० एकड़ हो, उन सबको सीलिंग में रख कर हम सरप्लस जमीन ले लेते तो उससे कोई समस्या हल नहीं होती। हमारे यहां ६ एकड़ जमीन को अगर एकोनामिक होल्डिंग मान लें तो वह ८५ प्रतिशत है और अगर ३ एकड़ जमीन को एकोनामिक होल्डिंग मान लें तो वह ५० प्रतिशत है और इस तरह से दो, तीन या चार लाख एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिलने वाली थी। तो मेरी यह दलील थी कि छोटी होल्डिंग्स पैदावार ज्यादा करती हैं बेशक, वह देश के इन्ट्रेस्ट में है, लेकिन सीलिंग लाकर हमको कोई ज्यादा जमीन मोहय्या होने वाली नहीं है जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकानोमिक प्राब्लम हल हो जाये। यह हो सकता है मध्य प्रदेश में। मैंने नागपुर की अपनी स्पीच में यह कहा था।

(व्यवधान)

मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें।

श्री बांकेलाल—

मैं चौधरी चरण सिंह से पूछना चाहता हूं कि हदबन्दी को लागू न करके आप उत्तर प्रदेश का निरादर कर रहे हैं। आप सीलिंग नहीं चाहते हैं और न लगान माफ करना ही चाहते हैं। क्या यह इंसाफ है ?

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय नेता, विरोधी दल ने यह कहा कि नागपुर में मैंने सीलिंग का विरोध किया था। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा किया था और साथ ही मैंने यह भी कहा—

(श्री कृष्णानन्द राय कुछ बोलने के उपक्रम में।)

आप बेकरार क्यों हैं। मुझे बोलने दीजिए। आपको भी उनकी कैटेगरी में रखा जायेगा।

श्री बांकेलाल—

अध्यक्ष महोदय—

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी तकरीर में यह कहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं श्री अनन्त राम जायसवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे श्री बांकेलाल जी को रोकें। वे बार-बार खड़े होकर बोलते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर हम प्रसंग के आधार पर कोई प्वाइंट इस्टेब्लिश करने के लिए यहां पर किसी कथन का बखान करते हैं या फैक्ट्स का वर्णन करते हैं तब तो मुख्य मंत्री जी उसे पर्सनल मान लेते हैं। जब हम किसी प्वाइंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसके विषय में जो फैक्ट्स का नेरेशन होता है उसे तो ये व्यक्तिगत मान लेते हैं, और अध्यक्ष महोदय, ये अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। यह आप देखें। मैं उनको रोक लूंगा, मान्यवर, लेकिन मुख्य मंत्री जी से कहिए कि वे भी ठीक से बोलें।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने उसी नागपुर अधिवेशन में यह भी कहा था कि अगर मैं मध्य प्रदेश में रेवेन्यू मिनिस्टर होता तो मैं सीलिंग ऐक्ट लागू कर देता, क्योंकि वहां बहुत जमीन मोह्या होती थी, जो कि गरीब किसानों को मिल जाती। हमने लार्ज लैण्ड होल्डिंग्स टैक्स लगा दिया था। उसका पर्पज यह था और उसका नतीजा यह निकला होता— अगर ३–४ साल तक उसका कठोरता से पालन हुआ होता, कि बड़े किसान आज खुद अपनी जमीन जितनी कि वे काश्त नहीं करते थे, बेच देते और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहता। इसके विपरीत सीलिंग में गवर्नमेंट को मुआवजा देना पड़ता था क्योंकि कोई भी व्यक्ति १२ १/२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता था, तो अब खुद वह तक्सीम हो जाती। प्लानिंग कमीशन ने इस सिलसिले में मुझे बुलाया था और मेरी सारी बातें प्लानिंग कमीशन में हुईं।

[श्री चरण सिंह]

अक्तूबर, १९५८ में उन्होंने यहां रेवेन्यू सेक्रेटरी को खत लिखा कि हमारी आपके यहां के मिनिस्टरों से बातचीत हुयी है और जो दलीलें उन्होंने दी हैं, अपनी रिजर्निग्स दी हैं और जो लार्ज लैण्ड होल्डिग्स टैक्स हैं, उसको देखते हुए हम ऐसा नहीं मानते हैं कि यू० पी० में सीलिंग लगाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह होता है कि सीलिंग की बाबत आपने यह कहा और अब सीलिंग आप क्यों लगा रहे हैं? मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि वे सीलिंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।

कई सदस्य—

चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—

आप तो सीलिंग चाहते हैं, मगर मैं तो सीलिंग की बाबत घोषणा ही कर चुका हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या यह पूछने का अधिकार है? मैं तो सौ फीसदी चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—

मैं तो एलान ही कर चुका हूं।

(मेजें पीटी गयीं)

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या एलान किया है, वही बतला दें।

श्री चरण सिंह—

आप परेशान क्यों हैं? वह भी बतलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का वक्तव्य हो रहा था तो बहुत थोड़े अर्से यहां बैठ पाया। शायद किसी वजह से मुझे जाना पड़ा। लेकिन नेशनल हेराल्ड में उनकी तकरीर पढ़ी। नेशनल हेराल्ड में १७ तारीख को जिस तरह रिपोर्टिंग हुई है वह यह है :—

Madhav Prasad Tripathi, Leader of the Jan Sangh, who opened the onslaught on the Government today said that the new Government had disappointed every section of the people in such a short time. The small farmer was angry as land revenue was not being abolished up to 6.25 acres. the big farmer was upset because of the sword of celing hovering over his head.

हो सकता है कि बी० के० डी० के साथ इलेक्शन लड़ चुके होंगे तो जीत कर आ गये। फिर यह जो डिस्कवरी हुई जनसंघ वालों की तो यह सन् ६७ के बाद हुई है। छोटे किसान तो त्रिपाठी जी के कहने के अनुसार इसलिए नाराज हैं कि ३ एकड़ तक माफ किया और छः एकड़ तक नहीं किया। बड़े किसान यों नाराज हैं कि सीलिंग की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। एक बात और मैं कहूंगा, सारी बात नहीं कहूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सीलिंग के सम्बन्ध में जो भी बात हुई आप कह सकते हैं। मेरी समझ में कोई ऐसी बात मैंने नहीं कही जो कि यहां कहने वाली न हो।

श्री चरण सिंह—

मैं अपनी ही बात कहूंगा। मैंने उनसे सिर्फ एक अल्फाज में यह कहा कि—

Tripathiji, you cannot run with the hare and hunt with the hound at the same time.

यानी खरगोश के साथ भागोगे और शिकारी कुत्ते के साथ शिकार खेलोगे तो यह मुमकिन नहीं है। सीलिंग की बाबत जिसे घोषणा कहते हैं वह हम कर चुके। जो नीति थी उस पर डिबेट हो चुकी। बाद में नीति में परिवर्तन का सवाल नहीं था। केवल डिटेल्स की बाबत जरूर मेरे साथी जो उधर बैठे हैं राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए सफाई की जरूरत पड़ी। मैंने केवल यह बतलाया कि गवर्नमेंट का इस तरह का विचार है। गवर्नमेंट का इस तरह का इरादा है गवर्नमेंट कानून बनाती नहीं है, हमारी नीति इस प्रकार की है। लेकिन जो प्रोसेस है लेजिस्लेशन बनाने का यह वह है कि पार्टी में आयेगा, उसके बाद हाउस में आयेगा, सब के मशविरा और डिस्कशन के बाद जैसी शक्ल निकलेगी तब जाकर सीलिंग के कानून की वह शक्ल होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सिलसिले में नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ ६ जनवरी, १९५७ को (व्यवधान) उसके बाद, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, मेरा इस्तीफा होगा। और फिर जो कानून बना सीलिंग का वह नाफिज हुआ १६ अगस्त से। क्यों हुआ और क्या उसका नतीजा निकला, वह सब पर जाहिर है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह हिस्ट्री फिर रिपीट हो जायगी क्योंकि आपने एलान कर दिया और कानून नहीं बनाया।

श्री चरण सिंह—

यह नहीं होता। तो उस कानून के अन्दर जो गलतियां रह गयीं और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंशा थी या जो सारे आर्गनाइजेशन की मंशा थी तो उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिये एक दूसरे कानून को लाने की जरूरत है। यह है हमारा जवाब माननीय भानु प्रताप सिंह जी को और दूसरे दोस्तों को जो मेरे ऊपर यह चार्ज लगाते हैं कि आपकी पहले यह राय थी, उसे क्यों बदल दिया? पहली बात तो यह है कि इस तरह की जो राय होती है वह सर्कमस्टान्सेज के साथ होती है, उसमें कोई अन्तःकरण की बात नहीं होती। लेकिन दूसरा कारण यह है कि मेरी राय थी कि सीलिंग लगाने की जरूरत नहीं है अगर लार्जलैंड होल्डिंग्स कानून को अच्छी तरह लागू किया जाता, लेकिन जब आपने सीलिंग का कानून लागू किया इसलिये जरूरत है उसकी मंशा को पूरा करने के लिये कि दूसरा कानून लाया जाय। मैं जानता हूं कि हमारे कुछ दोस्तों को इससे परेशानी है, मुझे भी होती अगर मैं उस स्थिति में होता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैंने उन माननीय मित्रों से कहा और प्राईवेटली कहा और अब भी कहना चाहता हूं कि समय का तकाजा है कि हम लोग समय के साथ बदलें वरना जमाना आगे निकल जायगा और हम लोग पीछे रह जायेंगें। अगर आज बंगाल और बिहार में, केरल और आन्ध्र के रूरल एरियाज में असन्तोष है तो उसका कारण यह है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो चाहती थी उसकी मंशा के अनुकूल जमींदारी नहीं खत्म की गयी वरना आज देश की हालत यह न होती और मैं समझता हूं कि हम में से हर एक इस बात से सहमत होगा। फिर मैं दोहराता हूं कि जहां तक नीति की बात है, कांग्रेस आर्गेनाइजेशन की भी वही नीति है जो कि बी० के० डी० की है, इसमें दो रायें नहीं हैं। तफसील के मुताल्लिक मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब भी अर्ज करना चाहता हूं कि वह सब दोस्तों के मशविरे से और खास तौर से उनके मशविरे के बाद कोई आखिरी फैसला लिया जायगा जो ज्यादा डायरेक्टली इस से अफेक्टेड होते हैं और उसके बाद ही हम एक बिल जुलाई में या उसके बाद के सेशन में यहां लायेंगे।

एक बात यह कही जाती है कि हम ने प्रोफेशन टैक्स क्यों माफ नहीं किया? ठीक है वह हम ने नहीं माफ किया और वह इसलिये माफ नहीं किया क्योंकि यह कर उन लोगों को देना पड़ता है जिन की औसत आय हमारे यहां की एक व्यक्ति की औसत आय से अधिक होती है। वह ३०० रुपया माहवारी आय वालों पर है, हमारे यहां फीकस आय २५० रुपया है तो

[श्री चरण सिंह]

एक परिवार में ५ सदस्य हुये तो आय हुई १२०० रुपया और इस तरह से एक माह में आय हुई १०० रुपय। लेकिन अगर हम ३०० रुपया जिस परिवार की आय है उससे न लें तो किस से लें, वह नहीं दगा तो कौन देगा?

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

वह लोग इनकम टैक्स भी देते हैं, दोहरा टैक्सेशन हो जाता है, फिक्स इनकम ग्रुप के कर्मचारी और अध्यापक वर्ग वाले जो हैं उन को बहुत कष्ट है, इस को आप कृपा कर के रिव्यू करें।

श्री चरण सिंह—

अगर हैसियत के हिसाब से गरीब अमीर सब कर नहीं देंगे तो देश का काम कैसे चलेगा? जिन को कि कहा जाता है कि बड़े लोग हैं उन की तादाद इतनी कम है कि आप उन पर चाहें जितना कर लगा दें उससे कोई विकास नहीं होने वाला है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, असल में वह प्रोफेशन टैक्स की माफी पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं यह जनसंघ के हमारे भाई इस के पीछे जो राज है वह किसी से छिपा नहीं है।

(श्री बांके लाल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, बार बार आप इस तरह से न बोलें। (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि बड़े लोगों पर चाहे जितना कर लगायें उनकी तादाद इतनी कम है कि उससे पूरा नहीं पड़ सकता। तो मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो देश की आय का एक तिहाई मार ले जाते हैं। (व्यवधान)।

(श्री बांके लाल के फिर खड़े होकर कुछ कहते रहने पर)

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, अगर इसी तरह से वह मना करने पर भी बार बार खड़े होते रहेंगे तो यह कैसे चलेगा ..... (व्यवधान)

एक आवाज—

इन को इंगित क्यों नहीं करते।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

आपके कहने के बावजूद वह ५० बार खड़े हो चुके हैं, इनको आप बिठायें और नहीं मानते तो इंगित किया जाय। (व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

मैं आप से, अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करूंगा, इस बात का इंतजाम तो आपको ही करना है, वह (श्री बांके लाल) कदम कदम पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा यह अधिकार है लेकिन जिस तरह से अपने उस अधिकार को वह बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह से अगर उसे सब यहां इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहां बहस नहीं हो सकती (व्यवधान)

(श्री बांकेलाल के बार बार खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, इस तरह से बार बार न खड़े हों।

श्री चरण सिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारी पालिसी गलत रही लेकिन हमें उस पालिसी को प्रतिपादित करने का अधिकार है और आप शांति से सुनें। यह प्रोफेशन टैक्स की माफी हमारी त्रिपाठी जी की पार्टी चाहती है और यह बात भी समझ में आती है कि वह ऐसा क्यों है। यह कोई छिपी हुई बात भी नहीं है।

जहां तक सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी की माफी की बात है उस दिन त्रिपाठी जी ने बताया था, मध्यावधि चुनाव में एलेक्शन मेनीफैस्टो तैयार हुआ गुप्ता जी का उसमें माल-गुजारी की माफी को शामिल करने का विरोध था और वह उसमें शामिल नहीं की गई। और ३१ दिसम्बर तक जब मेरे माननीय मित्रों की हुकूमत थी एक दफा भी जिक्र नहीं किया गया कि मालगुजारी माफ होनी चाहिये। पहली जनवरी को आर्डिनेन्स निकला कि सवा छः एकड़ तक की जोतों की मालगुजारी माफ की जाय। अगर्चे मालगुजारी की वसूली मई में होती है और एसेम्बली ११ फरवरी को बैठने वाली थी तो आर्डिनेन्स जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल लाकर लगान को माफ किया जा सकता था क्योंकि ४ महीने पड़े थे, उसकी वसूलयाबी के और यह भी बात किसी से छिपी हुयी नहीं है कि एक तारीख लगी थी, उसके हफ्ता पूर्व आर्डिनेन्स जारी करने की क्या जरूरत पड़ गयी थी? तब से माननीय गिरधारी लाल, माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय आचार्य जो उसके एडवोकेट हो गये हैं कि मालगुजारी माफ की जाय। इससे पहले वे कभी किसी चीज के वकील नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अब मैं सवा छः एकड़ की जोत की मालगुजारी की माफी के बारे में कि क्यों नहीं होना चाहिये, थोड़ा-सा अर्ज करना चाहता हूं। इस बारे में ज्यादा तो उस दफा भी नहीं कह पाया था। यह अनएकोनामिक होल्डिंग सवा ६ एकड़ ही क्यों, १२ एकड़ या एकड़ भी हो सकती है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं मालगुजारी को माफ करने का न पहले कोई औचित्य समझता था और न अब लेकिन जब बी०के०डी० के अलावा सभी पार्टीज की ओर से यह प्रश्न उठा तो हमें सोचना पड़ा। यह सेंटिमेंटल और पौलिटिकल प्रश्न ज्यादा है। इसलिये मैंने राजी होकर ३ १।८ एकड़ तक माफ कर दिया।

जहां तक इर्रीगेशन टैक्सेज का प्रश्न है, यहां पर कहा गया कि सरकार ने इन टैक्सेज को माफ नहीं किया। वह सवाल तो बाद में आता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने इर्रीगेशन टैक्स बढ़ाया, आपको क्या हक है? माननीय त्रिपाठी जी और जायसवाल जी तो कह सकते हैं। आपका क्या मुंह है यह कहने का कि टैक्स माफ करने चाहिए? अगर मैं किसी बात में सीलिंग की किन्हीं मजबूरियों के लिए पुराने कानून की खामियों के कारण कहता हूं तो मैं बहुत खराब हूं। ये लोग जो इर्रीगेशन टैक्स लगाकर बैठे हैं और आज कहते हैं कि माफ होना चाहिये तो मैं माननीय त्रिपाठी जी के ऊपर ही छोड़ देता हूं वे फैसला कर लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

माननवर, यहां पर "त्रिपाठी" नाम के २ सदस्य हैं। मुझ पर फैसला छोड़ा गया है या इन पर? (हंसी)

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, मोटी सी बात है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए यहां पर बैठे हैं। उनसे जो हमारे मुखालिफ हैं, उनसे मेरा मतलब है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

त्रिपाठी जी ने और माननीय गिरधारी लाल जी ने टैक्स बढ़ाया । यह सही है कि बराबर वकालत भी करते रहे हैं कि इर्रीगेशन रेट कम हो जाना चाहिये तो आप अपनी राय जो हो, उसे भी बता दें ?

श्री चरण सिंह--

मैं उसका जवाब दें सकता हूं, मगर मेरे पास समय नहीं है । एक सवाल यह उठाया गया जिस पर कि बड़ा जोर दिया गया वह था हरिजनों का कि उनके लिए हमने क्या किया ? माननीय गिरधारी लाल जी की जितनी तकरीर मैंने सुनी तो वह यह है कि बी० के० डी० ने और चरणसिंह ने हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया । उसका मेरे कुछ माननीय मित्रों ने जवाब दे दिया और उनसे पूछा कि जनाब ने उनके लिए क्या किया तो कहा गया कि मैं तो संस्था में बंधा हुआ था ।

चौधरी गिरधारी लाल--

मैंने यह कहा कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा भारी काम हरिजनों के लिए हुआ है, मैं उसका व्यक्तिगत श्रेय लेने के को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं उस संस्था का एक सिपाही हूं ।

श्री चरण सिंह--

उसी तरह मैं भी तो किसी संस्था का एक सिपाही हूं, फिर मेरे ऊपर क्यों व्यक्तिगत हमला किया गया ? मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला हो सकता है, इन पर नहीं हो सकता ? आपसे जवाब भी तलब नहीं हो सकता ? आप व्यक्तिगत हमला कर सकते हैं ? आप संस्था में बंधे हुये हैं, संस्था में बंधे हुये रह कर भी आप गरीब आदमी की पैरवी कर सकते थे जिस प्रकार कि और हमारे लोगों ने की है। आपने वह भी नहीं की । (व्यवधान)

चौधरी गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, .....

श्री चरणसिंह--

मैं बैठने को तैयार नहीं हूं (शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह, श्रीमन्, सदन का बड़ा अवमान है .....

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान) श्रीमन्, माननीय नेता सदन द्वारा यह सारे सदन का अवमान है । जब माननीय नेता, विरोधी दल खड़े हुये तो यह कहने लगे कि मैं बैठूंगा नहीं । आप माननीय नेता सदन से कह दीजिये कि हमे इनकी धमकियों को बरदाश्त नहीं कर सकते । (व्यवधान) अध्यक्ष जी, जब हिटलर बोलता था तो लोग उसके पीछे क्लैपिंग करते थे, वही हाल इनका भी है । इनको शिष्टता सीखनी चाहिये । जब नेता, विरोधी दल खड़े हुये तो इनको बैठ जाना चाहिये था (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसमें, श्रीमन्, परम्परा और शिष्टता का सवाल है, नियमों, आदि का सवाल नहीं है। यह परम्परा है कि जब माननीय नेता सदन खड़े हों या माननीय नेता, विरोधी दल खड़े हों तो बैठ जाना चाहिये (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब माननीय नेता सदन बोल रहे थे तो यदि माननीय नेता, विरोधी दल को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ी तो उनको मौका देना चाहिये था। जब माननीय नेता, विरोधी दल के पद का आदमी खड़ा हो और कोई स्पष्टीकरण करना चाहे तो उसकी बात सुनकर उसका जवाब दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जो ५० दफा खड़े होते हैं उनको आप कब रोकते हैं ? (व्यवधान)

चौधरी गिरधारी लाल—

मैं तो एक ही बार खड़ा हुआ था, ५० बार नहीं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह तो एक ही बार खड़े हुये थे ।

चौधरी गिरधारी लाल—

मान्यवर, मैं इसलिये खड़ा हुआ था कि मैं पर्सनल कल्ट में विश्वास नहीं करता। मैंने गरीबों के लिए क्या किया, मैं कोई उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता । मैं तो कांग्रेस का एक सिपाही था और जितना हो सका उतना किया ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री कृष्णानन्द राय व लक्ष्मीरमण जी भी बड़े नाराज हुए कि जब नेता, विरोधी दल खड़े हो गये आप नहीं बैठे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे फील हुआ था ।

श्री चरणसिंह—

वह खड़े हुए तो मैं बैठ गया था ।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप नहीं बैठे। खड़े रहे बराबर, और यह कहते रहे कि मैं नहीं बैठूंगा।

श्री चरण सिंह—

मैंने अर्ज किया कि पहली बार जब वह खड़े हुये तो मैं बैठ गया उसके बाद उन्होंने खड़े होकर कोई बात कही। मैं बात यह कह रहा था कि वह फिर खड़े हो गये। लेकिन यह लाजिमी नहीं है कि दुबारा भी मैं बैठ जाऊं। मेरा दुबारा बैठना कहां तक जायज था या नाजायज, वह इस बात से जाहिर है कि मेरे माननीय मित्र ने वही बात पुनः कही जो पहले कही थी, उसी को दोहराया है। (व्यवधान) एक मिनट पहले जो बात कही वही फिर दोहराई। अब यह

[श्री चरण सिंह]

बात कही जाती है कि हमने हरिजनों के लिये कुछ नही किया। चौधरी गिरधारी लाल पर्सनल कल्ट में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनालिटी पर अटैक करने में तो विश्वास करते हैं। क्योंकि आपका कोई रिकार्ड नहीं है, इसलिये आप पर्सनल कल्ट में विश्वास नहीं करते।

हरिजनों की समस्या का एक मात्र और प्रमुख कारण छुआछूत और जाति पाति की भावना है। हरिजन समस्या जन्मजात जाति पाति और छुआछूत पर बेस है। जो आज हिन्दुओं के अंदर बुरी तरह व्याप्त है। जब तक यह जन्मजात जाति पाति नहीं मिटने वाली है, तब तक यह हरिजनों की और कास्ट समस्या मिटने वाली नही है। मैं आपके जरिये हाउस को बताना चाहता हूं कि जितने एलेक्शन मेनिफैस्टो मैंने देखे, जिनके जिनके देखे, उनमें मैंने पाया कि किसी में भी कास्ट सिस्टम को एबालिश करने की बात नहीं कही गई है, सिवाय भारतीय क्रान्ति दल के।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मंत्री ने यह चैलेज दिया है, उसके बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं मैं उनको चुनौती देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री चरण सिंह—

मैंने यह कहा कि जिनके मैंने देखे हैं उनमें नहीं हैं। अंग्रेजों के जमाने में हम इस बात को अपथ उठाकर कहते थे कि हम कास्ट लेस और क्लास लेस सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कारण जो भी रहा हो, हमारा एम्फेसेस उस पर उतना नहीं रहा जितना उस पर रहना चाहियेथा। और एलेक्शन मैनीफेस्टो में वह अपना उचित स्थान नहीं पा सका। अध्यक्ष जी, माननीय त्रिपाठी जी यदि चाहते हैं और मंजूर करते हैं तो उनकी पार्टी का रूल बताने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। वह मुझ से न खुलवाया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप कहिये, जरूर कहिये, आप न कह कर मेरे ऊपर ऐहसान मत करें। दिल में न रखिये, कहिये। यदि आप कहेंगे तो हम भी कहेंगे। इसमे कौन सी बड़ी बात है?

श्री चरण सिंह—

इस नाराजगी से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

सारा प्रदेश आपको थूक रहा है, मुझे क्या कहियेगा। (व्यवधान)

(जन संघ के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय त्रिपाठी जी, अपने सदस्यों को रोकिये ।

(शोर)

आप कृपा करके शान्त रहें। आप कृपा करके बैठें ।

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने....

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

नेता सदन को बोलने दीजिये ।

श्री चरणसिंह---

मैंने एक बात कही, तो उस पर हमारे जनसंघ क दोस्त नाराज हो गये। नाराज होने की कोई बात नहीं थी।

(व्यवधान)

कृपा करके इन्हें रोकिए, कंट्रोल कीजिये। मैं आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि विधान सभा में या किसी भी सभा में हर आदमी को, अगर अनपार्लियामेंटरी बात न कहें तो, अपनी बात कहने का हक है। दूसरे दोस्तों पर अगर उनकी दृष्टि में गलत बात भी वह कह रहा हो तो भी सुनने की जिम्मेदारी है। अगर मेरी बात गलत लगे, कड़वी लगे तो भी सुनना चाहिए। अगर आप इस तरह से करेंगे और दूसरे भी करने लगें तो यह विधान सभा चलने वाली नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मिसस्टेटमेंट न हो।

श्री चरणसिंह---

२५ आदमी खड़े होकर हाउस न चलने दें, मैं पूछता हूं त्रिपाठी जी से, क्या यह मुनासिब है? आपने कहा कि बेशक हम नहीं बख्शेंगे। कब बख्शा है? कोई कमी छोड़ी है ऐसी गलत बात कहने में? और मैं सही बात अभी कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जन्म से जातिपांति, हिन्दू सोसाइटी में खासतौर से और सब हिन्दुस्तानियों की सोसाइटी में आम तौर पर, यह खराबी हमारे मुसलमान भाइयों में भी है और इसाई भाइयों में भी है। दक्षिण में गिरजे तक अलग हैं। जो हरिजनों से ईसाई हुए हैं उनके गिरजे अलग हैं और जो ब्राह्मण से ईसाई हुये हैं उनके गिरजे अलग हैं। हरिजन इसाई ब्राह्मणों के गिरजे में नहीं जा सकते। यह ह्यूमन वीकनेस है। कमजोर आदमी पर अन्याय होता है मजहब और बिरादरी के नाम पर। हिन्दुस्तान में मजहब के नाम पर उतना अन्याय नहीं हुआ जितना बिरादरी के नाम पर। जो हमारी सोशल वीकनेस है, इसी वजह से देश गुलाम हुआ। इसी वजह से हमारी इकोनामिक बैकवर्डनेस है। इसने हमारे यहां यह हवा पैदा कर दी है कि हाथ से काम करने वाला छोटा है और हाथ से काम न करने वाला बड़ा, नीचा स्थान असाइन कर देती है जो हाथ से काम करते हैं। तो जब तक जन्मजात बेसिस पर सोसाइटी का डिवीजन है तब तक यह छुआछूत खत्म नहीं होगी। हमारी सोसाइटी में स्वतन्त्रता के बाद यह चीज और ऊपर आई है। जो खुद ही बिरादरी के रोग से सराबोर हैं वह दूसरों पर इसका इलजाम लगाते हैं यह मुनासिब नहीं है। वह खुद भी इस कमजोरी में फंस जाते हैं। इसका एक ही इलाज था और वह मेरी व्यक्तिगत राय में है इन्टरकास्ट

[श्री चरण सिंह]

मैरिज यानी अन्तर्जातीय विवाह और अगर यह इन्टरकास्ट विवाह नहीं होते हैं तो यह रोग मिटने वाला नहीं है। जिस समय यहां पर संविद की सरकार थी तो उस समय एक नान-आफिशियल प्रस्ताव आया कि गवर्नमेन्ट सर्विस में उन यंगमैन को तरजीह दी जाय, जो अन्तर्जातीय विवाह में विश्वास रखते हों। मैं नहीं समझता हूं कि मुझको कहां तक इस बात को कहने का हक है लेकिन यह बात बतलाता हूं पुरानी हो गई है इस वजह से कि जब वह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आया और उस पर वोट हुआ तो हमारे जनसंघ के लोगों ने उसके विरुद्ध वोट दिया। जो सोसाइटी में इस तरह से नेशनल डिस इन्टेग्रेशन की बात पार्टी सोचती हो वह कहां तक हक बजानिब है, यह सोचने की बात है? आज तक हिन्दुस्तान की सोसाइटी में यह सबसे बड़ी कमजोरी रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मन्त्रि-मंडल के अन्दर क्या हुआ और क्या निर्णय लिया गया यह बात गोपनीय रखी जाती है। क्या कोई इसको मन्त्रिमंडल के बाहर बतला सकता है कि फलां मन्त्री की क्या राय थी?

श्री अध्यक्ष—

सभी ने इस तरह की बातें कही हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जब तक सारी बातें सामने न आ जायं यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी बात सही थी और कौन गलत थी। कुछ परिस्थिति रही होगी, कुछ बात रही होगी जिसके कारण ऐसा हुआ। इस तरह से दलील देना कमजोरी की बात है। उनको यह इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

श्री चरणसिंह—

मैंने कहीं यह नहीं पढ़ा कि जनसंघ ने कोई इस तरह का प्रस्ताव पास किया कि इन्टरकास्ट मैरिज को इनकरेज किया जाय। इसका सबसे पहला इलाज यही है कि जो बच्चे स्कूल, कालेज में पढ़ते हैं उनके दिमाग में यह जहर बिरादरी के नाम पर नहीं आना चाहिये। यह तभी हो सकता है कि कम से कम स्कूल और कालेज जो बिरादरी के नाम पर चल रहे हैं, उनके बिरादरी के नाम हटा दिये जायं। मुझे इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली लेकिन ६ अप्रैल, १९६७ को सबसे पहले यू० पी० के अन्दर शायद हिन्दुस्तान के अन्दर जब संविद सरकार आई तो उसने यह प्रस्ताव पास किया कि ३० जून तक जो स्कूल, कालेज अपने यहां से बिरादरी के नाम पर जो हैं, वह नहीं हटा देंगे तो उनकी एड बन्द कर दी जायगी।

(व्यवधान)

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैंने हरिजनों के मुताल्लिक क्या किया? मैं उस सिलसिले में ज्यादा नहीं बतलाता हूं क्योंकि मेरे दोस्त उस विषय में बतला चुके हैं। सन् १९३२ में जब वह जमाना था तब मेरे घर में एक हरिजन नौजवान काम करता था। रिश्तेदारों ने आना-जाना छोड़ दिया और वकालत में फर्क पड़ गया। बहैसियत गवर्नमेन्ट में रहने के मैंने उस रोज भी कहा था कि इंफीरियर सर्विसेज में मैंने आर्डर दे दिया था कि शतप्रतिशत सर्विसेज हरिजनों के लिये हों लेकिन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का लेटर आया और एग्रिकल्चर के मिनिस्टर ने बयान दिया कि यह संविधान के खिलाफ है और उसको उन्होंने ४५ परसेंट कर के भेजा। गिरधारी लाल जी तो ४५ परसेंट की बात करते हैं हम तो सेंट-परसेंट की बात मान रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सन् १९५३ की बात है जब पटवारियों को निकाला गया और लेखपालों को रखा गया तो आर्डर मैंने यह दिया था कि ३६ परसेंट रिजर्वेशन हरिजनों

के लिये हो ताकि उनकी तादाद आगे आने वाले लेखपालों में पूरी हो जाय। उससे पहले एक पटवारी शायद हरिजन नहीं होगा और लेखपालों का रेक्रूटमेंट किया गया तो ५ परसेंट हरिजन लेखपाल १९५३ में ही भर्ती किये गये।

[ × × × × ]

श्री चरणसिंह--

मोतीलाल जी ने जो बात कही हमने यह बात कभी नहीं कही। मैं तो अमल की बातें बतला रहा हूं। एक बात बिरादरीवाद के सिलसिले में जायसवाल जी ने कही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वे खामोश रहें और मेरी बात को सुनें। कहा गया कि छपरोली में एक हरिजन का मर्डर हुआ। अब मैं उन्हीं पर छोड़े देता हूं सौजन्य और शिष्टाचार के नाते अगर उनको किसी मामले के सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम है, जैसा कि मेरे नौजवान साथी आशाराम इन्दु ने कहा जो मुखालिफों ने कह दिया उसी के आधार पर वह यहां सदन में आकर इल्जाम लगाने लगे कि हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जरा शान्त रहिये। आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री चरणसिंह---

मेरठ जिले में जो वोट का परसेंटेज है औसतन्, वह सारी स्टेट का जो परसेंटेज है उससे हायर है और मेरी कांस्टीटुयेंसी का जो परसेंटेज है वह मेरठ जिले की दूसरी कांस्टीटुयेंसीज से हायर है।

श्री चेतराम गंगवार---

हरिजनों को जो वोट नहीं डालने दिये गये और आपकी बिरादरी ने सारे वोट आप के बैलट में डाल दिये, इसलिये वह परसेंटेज हायर हो गया ?

श्री चरणसिंह--

मैं फैक्ट्स एंण्ड फीगर्स दे रहा हूं और उन्होंने जो बात कही वह उनको सबस्टेंशियेट नहीं करती। अगर मेरी बिरादरी जितनी है उसके सारे वोट भी पड़ जायं तो जो परसेंटेज आफ वोट मुझ को मिला है उससे आधा भी नहीं होगा। इसलिये यह सिद्ध होता है कि जो वोट्स पड़े वह दूसरी बिरादरियों के अधिक पड़े ....

(व्यवधान)

नहीं है तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिये।

मैं अर्ज कर रहा था कि हाइयेस्ट परसेंटेज हैं। मेरी कांस्टीटुयेन्सी का जो जिला है उसमें परसेंटेज और कम हैं और वोटिंग सब दे ज्यादा हैं। मैं माननीय मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि बिरादरी के अलावा उनको और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो कह दिया कि वे बिरादरी की वजह से जीत रहे हैं। मेरी बिरादरी बहुत छोटी है। लखनऊ में कौन सी मेरी बिरादरी थी, बरेली में, झांसी में, कानपुर में, अमरोहे में, इटावे वगैरा में कौन मेरी बिरादरी थी ? किसी में एक परसेंट, किसी में ८ परसेंट, किसी में १२ परसेंट और मथुरा में तो १९ परसेंट था। वहां दो ब्राह्मण और दो जाट खड़े किये गये थे। लेकिन ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आये और जाट हार गये। माननीय चन्द्रपाल जी आजाद को जब वक्त मिलेगा तो बतलायेंगे।

---

[××××] अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

[श्री चरण सिंह]

मैं जानना चाहता हूं कि

(व्यवधान)

कहने के लिये आप मुझे न बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रार्थना करूंगा कि शान्ति रखिये।

श्री चरणसिंह-

जवाब बाकायदा भाषण देकर दिया जाता है। इस तरह से बीच में नहीं। मैंने चुनाव के बारे में यह कहा था कि मैं गोरखपुर डिवीजन में खड़े होकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं जहां मेरी बिरादरी का एक शख्स नहीं है। बिरादरी बिरादरी का जहर बराबर उगला जाता रहा है और मैं खामोशी के साथ सुनता रहा हूं।

श्री रामकरन--

अध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्य मन्त्री की चुनौती स्वीकार है।

एक सदस्य--

मेरी कांस्टीटुयेन्सी से माननीय जायसवाल जी चुनाव लड़ लें।

श्री चरणसिंह--

कभी ईस्ट और वेस्ट की बात कही जाती है।

(व्यवधान)

श्री रामकरन (गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय चौधरी साहब ने कह दिया कि गोरखपुर डिवीजन में उनकी बिरादरी का कोई नहीं है और वहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोरखपुर में इस समय पार्लियामेंट की सीट खाली है। मैं दावत देता हूं कि उस सीट से वे मेरे साथ चुनाव लड़ें।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रार्थना करूंगा कि चुनाव की बात को बंद कर दिया जाय।

श्री चरणसिंह--

मैं अर्ज कर रहा था कि कल माननीय हरिहर प्रसाद साही ने पूरब पश्चिम के सिवाय और कोई बात नहीं कही। मैंने कौन-सा ऐसा काम किया है या इन दिनों में बी० के० डी० ने किया है जिससे पूरब के खिलाफ डिसक्रिमिनेशन हो और पश्चिम के साथ फेवर हो?

(व्यवधान)

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को, मेरठ ले जा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या काम करेंगे?

(व्यवधान)

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि जवाब नहीं दिया जा सकता।

(इस समय ३ बजकर ४६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं यह कह रहा था कि गरीबी सारे सूबे में है, लेकिन वह अपेक्षतया भी होती है। यह ठीक है कि पूर्व के लोग अपेक्षतया गरीब हैं लेकिन उसकी केवल मेरी जिम्मेदारी किस प्रकार से है? मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी मेरी अल्हदा कैसे जिम्मेदारी है? २० साल से जो गवर्नमेंट रही है, उसमें मेरी अलग जिम्मेदारी नहीं है।

एक सदस्य---

जब जमींदारी अबोलिशन की बात आयी तब तो आपने कह दिया मैंने किया और अब कहते हैं कि मेरे अकेले की कैसे जिम्मेदारी है?

श्री चरणसिंह---

जहां तक मेरे महकमे का ताल्लुक है, उसमें मैंने कभी भी पूर्व पश्चिम का इम्तियाज नहीं किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पूर्व के जिलों के बहुत मसले आते थे, उन को हल करने में दिक्कत होती थी लेकिन कभी भी इम्तियाज वाली बात नहीं हुई। ऐसी गलत बात कहना कि पश्चिम को मैंने मालदार कर दिया, उससे केवल जहर फैलता है, अलगाव की भावना पैदा होती है, जो सोसाइटी और स्टेट के लिये हानिकारक है।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जहां तक गवर्नमेंट की नीतियों का सवाल है इस थोड़े से समय में इस गवर्नमेंट ने जो डिसीजन्स लिये हैं, क्या इसमें दो रायें हो सकती हैं कि ऐसे प्रगतिशील, गरीबों का हित करने वाले किसी भी गवर्नमेन्ट ने किसी भी स्टेट में वैसे कदम नहीं उठाये, इतनी जल्दी और इस कदर फैसले नहीं दिये? फिर यह नो कान्फीडेंस मोशन क्यों आया? १२ तारीख को तो मेरे दोस्त चैलेन्ज न कर पाये लेकिन १३ को यह अविश्वास का प्रस्ताव ले आये क्योंकि १३ तारीख को उनको किसी चीज की गंध आयी। त्रिपाठी जी ने मुझसे सवाल भी किया था कि क्या जमाना बदलने वाला है और उस पर मैंने यह उत्तर दिया था कि गंजे को परमात्मा हमेशा नाखून नहीं देता। १३ तारीख को तरह तरह की खबरें उड़ाई गयीं और माननीय दोस्त ये रिज्योल्यूशन ले आये। लेकिन मेरे मुखालिफ जो दोस्त बैठे हुए हैं. उनसे मुझे विश्वास है कि अगर अल्हदा बैठ कर वे विचार करेंगे तो इस गवर्नमेंट को दाद दिये बिना वह रह नहीं सकते।

अब इस गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है, उसको मैं दुहराये देता हूं। नेशनेलाइजेशन आफ शुगर मिल्स। हमने कहा कि हम उनका राष्ट्रीकरण करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसमें देर लग रही है, तो यह एक दिन में तो हो नहीं जाता। किसी मुखालिफ की अच्छी बात को, सही बात को, कोई मान ले तो यह हार की निशानी नहीं है लेकिन माननीय उग्रसेन जी समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट की किसी एक भी सही बात को मान लिया तो उनकी हार हो जायगी। दूसरी बात हमने ला कमीशन की की है। उसको सिम्पिलीफाई किया जा रहा है ताकि रिश्वत कम हो, झूठ बोलने की नौबत कम आये, खर्चा कम हो और देर कम लगे।

साथ ही पुलिस कमीशन जो पुलिस की एफ० आई० आर० की बाबत शिकायतें आती हैं उनके लिये बिठाया। आर० टी० एज० को री-कान्सटीच्यूट किया और उसके मुताल्लिक जिनको ज्ञान है वह सहमत होंगे कि जो री-कांस्टीट्यूशन हुआ है उससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और स्वच्छता आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जोत बही की कीमत कम की है और फर्टिलाइजर्स से सेल्स टैक्स हटाया है। ३ एकड़ तक की होल्डिंग्स का लगान माफ किया है। आबकारी की जो पालिसी नशाबन्दी के बारे में है उसमें भी कुछ कदम उठाये हैं।

टीचर्स के बारे में मेरे मित्र पूछना चाहते हैं तो मैं बतलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में हमारे राजस्व मंत्री ने तफसील से बतला दिया है कि हमारी पालिसी यह है कि जो टीचर्स हैं उनकी जो तनख्वाह मैनेजमेन्ट ने तय की है वह दी जाय। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह हमारी नीयत है लेकिन टीचर्स यह चाहते हैं कि उनको सरकारी खजाने से तनख्वाह मिले। यह उनकी

[श्री चरण सिंह]

डिमान्ड है। इसको मंजूर करने में गवर्नमेंट को कठिनाई है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि सरकार स्कूलों को अपने हाथ मे ले ले और सारी शिक्षा का नेशनलाइजेशन कर दे। इससे जो समस्यायें पैदा होंगी वह अलग एक चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं कि टीचर्स को तनख्वाह मिले लेकिन खजाने से तनख्वाह देने में कठिनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो मेरे दोस्त नो-कान्फीडेन्स लाये हैं उसके लिये वह स्वयं जानते हैं कि उसमें कोई बल नहीं है। गवर्नमेंट की कोई ऐसी बात वह नहीं बतला सकते हैं कि जिससे उनको उम्मीद हो कि उनको बहुमत मिल जावेगा। उनका जो खयाल था वह ख्याल खामखाह था और नो-कान्फीडेन्स लाने के लिये कोई आधार नहीं था। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जाति मिटानी चाहिये और जाति मिटाने की बात की, तो क्या वह ऐसी कोई योजना बनायेंगे जिसके जरिये वह जाति मिटाना चाहते हैं और वह भी बतला दें कि ....

श्री अध्यक्ष--

एक-एक बात पूछिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी इसका खंडन कर रहे हैं, तो क्या यह सही नहीं है कि वहां पर इन्दिरा जी, चाह्वाण साहब और जगजीवन राम जी की मीटिंग नहीं होने दी और क्या मुख्य मंत्रीजी इसके लिये एक आयोग बिठलायेंगे जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज से कम न हो जो कि इसका पता लगाये कि वहां पर एक जाति विशेष के लोगों ने जबरदस्ती दूसरों के वोटों को डाला है और उनको वोट नहीं डालने दिये हैं? यह चीज एक पोलिंग आफिसर की डायरी में मौजूद है, तो क्या इस आयोग को कन्सीड करने के लिये वह तैयार हैं ?

श्री चरणसिंह--

यह प्रश्न नहीं हुआ यह तो व्याख्यान हुआ। मेरी जो राय है जाति मिटाने के लिये वह मैंने बतलाई। जाति का बेसिस है मैरिज। हमारी रोजाना की जिन्दगी में कास्ट रिलीवेन्ट होती है एट-द-टाइम आफ मैरिज। लेकिन जब बच्चों की शादी का मौका आता है तब हम कास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, इसमें चाहें लड़का हो या लड़की तब उसको कास्ट के हिसाब से ढूंढ़ते हैं। उसका इलाज यह है हमारे यहां इन्टरकास्ट मैरेजज हों। सदन इस बात से सहमत होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारी तरफ से कोई ऐसा काम हुआ है जिससे जात-बिरादरी पर जोर हुआ है ? मेरा तो यह विचार है कि इस पर बल होता है, नाम से, ऐक्शन से, स्कूल के नाम से और इन्ही चीजों से कास्ट की चीजें टपकती हैं। आज इस तरह का विश्वास करने वाले लोग ही एलेक्शन, जाब्स तथा कम्पटीशन्स में तथा गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स में भी इस तरह के विषय को डाल रहे हैं जो घातक हैं। मैं इसका सख्त विरोधी हूं।

क्या मेरे मित्र को मालूम है कि जब जगजीवन राम जी मेरे हल्के में गये या चह्वाण साहब गये तो वहां पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं हुआ ? उस समय जो वहां के डी० एम० थे वह आज यहां पर सेक्रेटरी हैं उनसे मैं यह कहलवा सकता हूं कि उस समय वहां पर कोई बात नहीं हुई।

इन्दिरा जी की मीटिंग नहीं हो सकी और यह कह गया कि वहां पर वायलेंस हुआ। वायलेंस कोई नहीं हुआ। जिस वक्त लोग खड़े हो गये तो एक आदमी ने जूता फेंका परन्तु वह वहां तक पहुंचा नहीं।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि आप यह किस आधार पर कहते हैं? मैं ९ जुलाई को इलाहाबाद गया और जूता मेरे स्टेज पर फेंका गया, लकड़ी फेंकी गई। मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरे मुखालिफ दलों के लोग थे उन्हीं ने इसको फिकवाया। उसमें हर पार्टी के लोग थे और उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहते हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बी० के० डी० की तरफ से यह किया गया?

जब देसाई साहब पीलीभीत गये थे तो क्या बी० के० डी० वालों.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में जब सन् १९६७ को इन्दिरा जी गईं तो उनको चोट आई, एक डिप्टी मिनिस्टर साहब झांसी गये तो उनको चोट आई।

(व्यवधान)

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से शराबबन्दी पर यह स्पष्टीकरण चाहता हूं...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से मैंने यह सुना और उन्होंने विधान सभा में घोषणा भी की थी कि हम भविष्य में शराब की एक भी दुकान नहीं खोलेंगे। मैं भी कहता हूं कि संविद सरकार के जमाने में सन् ६७ में २०० या ३०० दूकानें खोली गई थीं।

श्री अध्यक्ष—

पहाड़ी एरिया में?

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

नहीं, सारे प्रदेश में लगभग ३०० लाइसेंस दिये गये संविद सरकार के जमाने में। मैंने अभी पत्र में भी देखा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अल्मोड़ा देहात, टिहरी व पौड़ी गढ़वाल में शराबबन्दी चाहते हैं किन्तु अल्मोड़ा शहर व रानीखेत तथा नैनीताल सारा जिला शराबबन्दी से अलग छोड़ दिया गया है। यह गलत तरीका है, शराबबन्दी में सभी पर्वतीय जिलों को चाहे शहर हों, चाहे देहात हों, लिया जाना चाहिये। आशा है मुख्य मंत्री इस प्रकार का तुरन्त आदेश करेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि के हल्द्वानी में एक बड़ा आन्दोलन हुआ १३ अप्रैल, को और उसके बाद २७ अप्रैल को, शराब की दूकानों के नीलाम करने के सिलसिले में आन्दोलन होने वाला है, पहाड़ी प्रदेश के कुमायूं उत्तराखंड के सातों जिलों के लिये गुप्ता सरकार ने पिछले साल पूर्ण शराबबन्दी का ऐलान किया था तो शराबबन्दी के उस एलान के सिलसिले में भविष्य में आपकी सरकार की क्या पालिसी रहेगी?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं समझूं कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुमायूं और उत्तराखंड के लिये गुप्ता सरकार ने फैसला कर लिया था ? गुप्ता सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया था ।

श्री डूंगरसिंह विष्ट---

इस सम्बन्ध में आप की क्या नीति है ? गुप्ता सरकार के जमाने में उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबन्दी पूर्ण रूप से करने की बात हुई थी और उसके बाद ४ पर्वतीय जिलों में इस साल शराबबन्दी करने की बात तय थी ।

श्री चरण सिंह---

अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि नैनीताल जिले को छोड़ कर बाकी और जिलों को जो कुमायूं और उत्तराखंड के हैं, ड्राई एरिया डिक्लेयर कर दिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी माननीय मुख्य मंत्री जीने अपने भाषण में कहा कि कैबिनेट में बिरादरी और जाति पांति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था जिसका जनसंघ के लोगों ने विरोध किया । मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ हुई, ऐसे मैंने सूचना मंगायी है लेकिन मुझे मालम हुआ है कि यह बात बिलकुल निराधार है और गलत है । जहां तक विद्यालयों से जाति वाले नाम हटाने की बात कही गयी है चौधरी साहब की कैबिनेट में जो हमारे एजूकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने ही इसके लिये कहा था और मैं तो अब भी अपनी बात पर स्टिक करता हूं कि चौधरी साहब ने अपने भाषण में जो बात कही उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई । एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर किसी न कोई बात कही कैबिनेट क अन्दर बात कही और उसक नतीजे पर तीन आदमी ने एक बात कही या चार आदमी ने एक बात कही और आप के रिपोर्ट में भी वह बात आ गयी तो उसका लाभ इस तरह से नहीं उठाना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस ऊंचे स्तर के आदमी कम से कम भविष्य में ऐसा न करें । मेरी सूचना के अनुसार वह बात निराधार है ।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि यह बात गलत है कि मैंने प्रस्ताव पेश किया । रिपोर्ट में भी यह बात आयी होगी उन्होंने जो विद्यालयों से नाम हटाने वाली बात के लिये कहा कि उनके एजूकेशन मिनिस्टर ने इसके लिये प्रस्ताव किया, ऐसी बात नहीं है । ६ तारीख को मैंने यह रिजोल्यूशन दिया और ७ तारीख को डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ, ७तारीख के पहले कोई आदमी था ही नहीं एजूकेशन मिनिस्टर या पी०डब्लू०डी० मिनिस्टर । ६ तारीख को ओथ लिया गया इसलिये बिरादरी व जाति पांति हटाने वाले प्रस्ताव को लाने का श्रेय आपके मिनिस्टर को हासिल नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री जी जांच आयोग बिठाने को तैयार हैं ? इसका जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---

अब समय समाप्त हुआ।

श्री रामचन्द्र विकल---

मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आपके सामने यह तय हुआ था कि ४ बजे वोटिंग होगा। आप कृपा करके बैठ जाइये।

(कुछ रुककर)

प्रश्न यह है कि क्योंकि इस मंत्रि-परिषद् ने ६ १/४ एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से लगान खत्म करने की नीति को अस्वीकार किया है, वृत्ति-कर (प्रोफेशन टैक्स) को दोबारा प्रदेश पर लादा है, सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिये जाने की जिम्मेदारी लेने से इन्कार किया है, हरिजनों की सरकारी नौकरियों में उनके संरक्षण कोटे की पूर्ति के समय तक के लिये ४५ प्रतिशत भर्ती की नीति को ठुकरा दिया है, आबपाशी की दरों को नहीं घटाया है, सरकारी कामकाज व अदालतों में अंग्रेजी हटाकर हिन्दी को लागू करने तथा उर्दू के उचित विकास की नीति नहीं अपनाई है तथा दमन पर उतारू हैं, अतः यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करता है।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत से इरेंलेवेन्ट प्रश्नों के उत्तर दिलाये हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

डिवीजन की मांग है।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, मैं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा।

(शोरगुल में बोलते रहे, जो सुनाई नहीं दिया)

मैं वोट नहीं दूंगा? मैं सदन का त्याग करता हूं। इसकी सूचना मैं आपको देता हूं।

(श्री चेतराम गंगवार ने सदन का परित्याग नहीं किया।)

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपा करके इस तरफ यानी बायीं तरफ की लाबी में जायें और जो नहीं के पक्ष में हैं वे इधर यानी दूसरी लाबी में जायें। लाबीज खाली हैं।

(कुछ समय पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जिन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे अपनी-अपनी लाबी में जाकर हस्ताक्षर कर दें क्योंकि इसमें देर नहीं होनी चाहिये।

(मतदान के बीच)

श्री कृष्णानन्द राय—

हमारे एक माननीय सदस्य माहेश्वर सिंह जी दरवाजा बन्द होने के कारण नहीं आ सके हैं। उनका आज एक मुकदमा कन्सालिडेशन कोर्ट में ३ बजे लगा दिया गया। जबकि यह प्रस्ताव पहले से मालूम था कि ४ बजे आने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं अनुमति नहीं देता, दरवाजे नहीं खुल सकत। जब यह परिणाम मैं घोषित कर दूंगा तब दरवाजे खुलेंगे, तब वे आ सकेंगे, अन्य प्रश्नों पर वे वोटे कर सकेंगे :

सदन के निम्नरूप से विभाजित होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ—

**पक्ष में—१६९**

अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, (उर्फ बालराज), श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गया प्रसाद, श्री
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गोपालदत्त, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जयराम यादव, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
धर्मवीर, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेत राम सिंह, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बब्बन, श्री

बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
मनसाराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामहरख, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
बीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सबेदार प्रसाद, श्री

सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

## विपक्ष में--२३६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रतापसिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
काजी मसूद, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दलसिंगार, श्री
दीप नरायन बन, श्री
दीप नारायण मणि, श्री

दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, था
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद , श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह (उर्फ लल्लन जी), श्री
रघनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री

रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शांन्ति देवी, श्रीमती
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहां पुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेंन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्रीकृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द , श्री
सजीव लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)

---

श्री अध्यक्ष—

अब दरवाजे खुलवा देता हूं ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या यहां नारे लगाये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, कोई नारा नहीं लगाया जा सकता ।

# उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आगे का कार्य लेता हूं। सामुदायिक विकास मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय तथा उसमें उपस्थित किये गये निम्नलिखित संशोधन पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७०

जिला परिषदों के संघटन और कृत्यों के सम्बन्ध में पुनर्विचार होने तक उनके प्रशासन के लिये कतिपय अल्पकालिक व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में प्राविधान करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

जिला परिषदों के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध।

२—इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्षकी अवधि के लिये अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा २२ के अधीन उक्त जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे,

---

*१७ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य, जिला मैजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और जिला मैजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समिति समझा जायगा,

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये, जिला मैजिस्ट्रेट पिछले अंतिम खंड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में—

(१) इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है, या

(२) ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट रीति से संघटित की जाय,

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये मैं संशोधन लेता जाता हूं । संशोधन का तरीका यह रहेगा कि जो संशोधन उपस्थित करने वाले हैं वह कृपा करके खड़े हो जायं, तो मैं संशोधन पढ़ दूंगा । एक मौका सरकार को दूंगा कि वह स्वीकार करते हैं या नहीं । अगर वह स्वीकार करते हैं तो मैं उसके लिये वोट ले लूंगा और नहीं स्वीकार करते हैं तो उसके लिये मैं वोट ले लूंगा ।

पहला संशोधन माधव प्रसाद जी त्रिपाठी का है । खंड २ की द्वितीय पंक्ति में से "दो वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" कर दिया जाय ।

आप इसको स्वीकार करते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की द्वितीय पंक्ति में से "दो वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ की द्वितीय पंक्ति में "वर्ष" के स्थान पर "माह" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (क) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न-

लिखित रख दिया जाय:—

"उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, जिला परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने अपने पद पर न रह जायंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री दीपनारायण मणि—

अध्यक्ष महोदय मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "सदस्य" के बाद और "अपने" के पूर्व निम्न जोड़ दिया जाय:—

"जो विधान सभा, विधान परिषद् और संसद के सदस्य नहीं हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (ख) को निकाल कर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय:—

"जिला परिषद, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य जिला मैजिस्ट्रेट और शेष सदस्यों (विधान सभा, विधान परिषद्, संसद के सदस्यों) में निहित हो जायंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (ख) को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नांकित लिख दिया जाय:—

"जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य जिला मैजिस्ट्रेट और उस समिति, जिसमें वे सभी लोग पदेन सदस्य होंगे जो सम्बन्धित जिला के क्षेत्र में विधान मंडल तथा संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, में निहित हो जायंगे और जिला मैजिस्ट्रेट तथा उपरोक्त समिति द्वारा ही उनका, प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और जिला मैजिस्ट्रेट जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो विधि की दृष्टि में जिला परिषद् का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समझा जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (ख) से 'तथा समिति समझा जायगा' निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष--

(श्री कृष्णचन्द्र से) आप इसे वापस लेते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)--

जी, मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २(ग) के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में "व्यक्ति या" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड(ग) के भाग (१) की अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द "या" को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) । भाग (१) सम्पूर्ण निकाल दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

निर्भय नारायण सिंह, आप इसे वापस लेते हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, इसको मैं स्वीकार करना चाहता हूं, परन्तु संशोधित रूप में, इस रूप में नहीं । संशोधन जो आप के पास है उस रूप में स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २(ग) के उपखंड (२) में पहली पंक्ति में शब्द "उसके" के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द रख दिया जाय, के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"१--उपखंड (१) में से अंतिम शब्द "या" निकाल दिया जाय और उसकी संख्या "(१)" हटा दी जाय और उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

२--खंड २(ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (घ) रख दिया जाय ।

"(घ) जिला मैजिस्ट्रेट खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित की जाय ।"

३--वर्तमान उप खंड "(घ)" की संख्या "(ङ)" कर दी जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) के भाग (२) को निकाल कर निम्न जोड़ दिया जावे :—

"ऐसे निकाय या समिति से जिसमें जिले के वर्तमान विधान सभा, विधान परिषद् और संसद के सदस्य सम्मिलित होंगे अवश्य परामर्श करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) (२) में "संघटित की जाय" के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाय:—

"इस समिति या निकाय में केवल लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के ही सदस्य होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २(ग) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ का सम्पूर्ण खंड (ग) भाग (१) और (२) सहित निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

माता प्रसाद जी, आप इसे वापस लेते हैं ?

श्री माता प्रसाद—

जी मैं, इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २, खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शिव राज सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इसका विरोध करता हूं । मुझे एक मिनट इसके लिए दिया जाय । मुझे इस स्टेज पर यह अधिकार है कि मैं कुछ विरोध में कह सकूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कल तय हो चुका है सर्वसम्मति से कि आप केवल विरोध प्रकट कर सकते हैं लेकिन कह कुछ नहीं सकेंगें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न पर निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब राजमंगल पांडेय द्वारा श्री शिवदास के विरुद्ध उठाये गये सदन के अवमान के प्रश्न पर विचार होगा । ये प्रश्न आज ही समाप्त किये जायेंगे और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक इनके ऊपर सदन निश्चय नहीं कर लेता है ।

श्री शिवदास १० बजे मेरे कमरे में आये थे और उनके साथ जायसवाल जी भी आये थे । उन्होंने खेद प्रकट किया और मैंने उनसे यह कहा कि मैं यह चीज सदन को बतला दूंगा । उन्होंने कोई वक्तव्य देने की इच्छा प्रकट नहीं की ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय से भी शिवदास जी खेद प्रकाश कर चुके हैं । उपाध्यक्ष महोदय उनको क्षमादान कर चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जब सब तरफ से खेद प्रकाश हो चुका है तो मैं एक चीज कह दूं । यह सदन समझता है कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है और इस सदन का घोर अवमान हुआ है। इस विषय पर किसी को कुछ कहना है तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि आप क्षमादान करें । तो पहले मैं सुना दूं ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

श्री शिवदास तिवारी भी इस सदन के समक्ष आ कर कुछ कहते ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मेरे कमरे में खेद प्रकट कर दिया है।

अब यह इस प्रकार है "यह सदन निश्चय करता है कि श्री शिवदास सदस्य विधान सभा इस सदन के प्रत्यक्ष अवमान के दोषी हैं ।" यह स्वीकार हो चुका है।

अब दंड के बारे में यह भाग विचारार्थ है कि "सदन की सदस्यता से निष्कासित किया जाय या नहीं", इसलिये इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अवमान के प्रश्न का नियम साधारण यह है, चाहे अदालत का हो या यहां का कि एक दफा जब अनक्वालीफाइड एपोलाजी हो जाये और माफी मांग ले तो उसको बिलकुल माफ कर दिया जाता है । इसलिये माननीय त्रिपाठी जी पहले बोल लें तो अच्छा होगा ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह प्रस्ताव मेरा है । इसलिये मेरी बात आप सुन लें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---

आप संक्षेप में अपनी बात कह लीजिये । जैसा कि उन्होंने कहा है कि नियम है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर ज्यादा भाषण नहीं होता । यह स्वीकार कर लिया गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई । अब सिर्फ सवाल यह है कि इनको दंड क्या दिया जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके कमरे में जाकर यदि कांटेम्पटर माफी मांग ले तो यह नहीं होगा कि सदन से माफी मांग ली गई । आप भले उसे माफ कर दें लेकिन जब तक सदन अपने को संतुष्ट न कर ले उनको माफ नहीं किया जा सकता । उनकी हरकत और कारनामे ऐसे थे जो विशेष परिस्थितियों में कानून उनको एक्जोनरेट करता हो तो माफी की बात हो सकती है। उनकी नीयत का पता चल सकता है कि जब यह कांड हुआ और उसके बाद उनको नोटिस दिया गया । आपके विशेष प्रयत्न के बावजूद ३/४ दिन तक वे उपस्थित नहीं हुए । इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया तब कहीं जाकर उनकी उपस्थिति हो सकी । यह इस बात का सबूत है कि उन्होंने जानबूझ कर सदन का अवमान किया और दंड से बचने की कोशिश की और जहां तक हो सके उन्होंने सदन में उपस्थित न होकर अवमानना की। मैं कहना चाहूंगा कि अनकंडीशनल माफी की बात उस समय हो सकती थी जब उसी दिन वे कहते कि मैंने यह गलती कर दी और इसके लिये मैं सदन से क्षमा चाहता हूं । किसी विशेष परिस्थिति में यह बात हो गई । लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्होंने स्पष्टीकरण देने के बजाय और माफी मांगने के बजाय आपके कमरे में जाकर माफी मांगी तो मैं समझता हूं कि सदन की माफी नहीं हो सकती है । इस तरह से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलनी मुश्किल होगी । मैं निवेदन करूंगा कि उनकी इस हरकत पर उनको दंड दिया जाय । यह सदन की मर्यादा है और हम उसके अधीन ही कार्य करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप लम्बा भाषण न करें ।

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, सदन की राय ले ली जाय । जब तक सदन माफ न करे तब तक व्यक्तिगत माफी पर कोई विचार न किया जाय और यहां की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि उनको दंड अवश्य मिलना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, पहले और माननीय सदस्य कह लें उसके बाद मैं कहूंगा । हम माननीय त्रिपाठी जी से प्रार्थना करेंगे कि पहले वे अपने विचार रखें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं तो इन लोगों की बात सुन कर ही कुछ कहूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैंने इसलिये प्रार्थना की थी कि उनके कहने से वातावरण अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष---

आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपके द्वारा मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री राज मंगल पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, जब तक कंटेम्पटर सदन में उपस्थित न हो तब तक इस पर बहस नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि माननीय कमलापति जी पहले बोल लेते तो अच्छा होता, उनको सुनने के बाद ही हम लोग बोलते, मेरी भी यही इच्छा थी । लेकिन वे इस समय नहीं बोल रहे हैं इसलिये मैं ही अपने विचार प्रकट करता हूं । इसमें कोई शक नहीं है कि जो घटना उस दिन यहां हुई वह अत्यन्त लज्जाजनक घटना थी । हम सबको उसके लिये दुख है। मैं जब यह कहता हूं तो मैं खासतौर से विरोधी-दल की बात कहता हूं । कभी कभी आवेश में बड़े बड़े कांड हो जाया करते हैं । मान्यवर, म आज अत्यन्त उद्दात्त भावनाओं को जाग्रत करने के लिए यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बड़े बड़े कांड होते हुए इस जीवन में देखे हैं । हम लोगों को जिनको फौजदारी की वकालत करने का मौका मिलता है, हम लोगों ने ३२५ और ३०७ के बड़े-बड़े मुकदमे देखें हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनायें होती हैं । लेकिन मन साफ हो जाने के बाद, क्षमा याचना हो जाने के बाद, मैंने राजीनामे भी होते देखे हैं, और क्षमा होते भी देखा है । मैं आज इस सदनसे दो बातें निवेदन करने की चेष्टा करूंगा ।

श्री राजमंगल पांडेय---

वे इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, इसलिये यह इस समय पास नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं दो बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दुर्भाग्यवश सदन का वातावरण २-३ वर्षों से खराब चल रहा है । उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं इस सवाल में पड़ना नहीं चाहता । अगर किसी की जिम्मेदारी है तो हम सभी की जिम्मेदारी है । ऐसे वातावरण में भावना से संबंधित यदि कोई कार्य हो जाय, किसी को अत्यन्त क्रोध आ जाय, ऐसा समय भी आया है और उन अवसरों पर हमने जिस प्रकार से क्षमा याचना करने पर उनको क्षमा किया है, उसी प्रकार से उनको इस बार भी क्षमा कर दिया जाय । जैसी यह दुर्घटना हुई इससे भी अधिक भीषण दुर्घटनायें पहले हो चुकी हैं । पिछली बार मुझको भी अनिच्छापूर्वक यह अवसर मिला था कि उनके क्षमा मांगने पर क्षमा किया जाय । हमने उनकी सजा को वापस ले लिया था ।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं । मान्यवर, श्री उपाध्यक्ष भी यहां मौजूद हैं । वह जिस दल से संबंध रखते हैं, श्री शिवदास का भी उसी दल से संबंध है । एक ही दल से संबंधित होने के कारण कभी कभी आवेश अधिक आ जाया करता है। अगर हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाय तो उसमें यह भी लिखा था कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष भी आवेश में आ गये थ और दस मिनट तक निरन्तर खड़े रहे । इन बातों को सामने रखते हुए एक विशेष स्थिति में उनसे यह कार्य हो गया, माननीय सदस्य को छमा कर दिया जाय ।

एक सदस्य--

मैं एक जानकारी चाहता हूं । जिन मःननीया सदस्य के खिलाफ यह चल रहा है और जब कि आज एजेंडे में भी यह था और इसका कई दिन एलान भी किया गया था तो उनको आज सदन में उपस्थित रह कर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

आपको जो कुछ करना है, वह उनकी अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं । जो कुछ भी हो, उनकी गैरहाजिरी में भी बात की जा सकती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है । विरोधी दल के हमारे साथी जायसवालजी और त्रिपाठी जी और लक्ष्मी रमण आचार्य मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं । मान्यवर, मैं ऐसे मामलों में बड़े संकट में पड़ जाता हूं । स्वभावतः मेरा ऐसा स्वभाव है कि चाहे कोई कितनी ही गाली दे दे लेकिन मेरे मन में उसके प्रति दुराव नहीं आता है । उस रोज जो घटना हुई उसके लिए यदि शिवदास जी मौजूद होते और सदन के सामने क्षमा याचना कर लेते तो एक दूसरा वातावरण हो जाता और मैं समझता हूं कि नेता सदन से भी अगर ऐसी क्षमा याचना की गई होती तो उदारता से काम लेते । श्री शिव दास जी हैं या नहीं हैं, यह मैं नहीं जानता हूं और आपने भी इस संबंध में उत्तर नहीं दिया है । उस रोज भी यह कहा गया था कि किस प्रकार का अभियोग है उसको सुनना चाहिये । अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उनको बुलाकर सदन से क्षमा याचना करा ली जाय । ऐसी सूरत में मैं भी सदन से अपील करता कि क्षमा याचना कर रहे हैं माफ किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आपका डेसिजन है कि उनको फिर यहां बुलाया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आपने कहा कि उन्होंने क्षमा याचना आपके कमरे में की और जायसवाल जी ने भी यही सूचना दी । लेकिन चूंकि अवमान सदन का हुआ है तो सदन को ही क्षमा करने का अधिकार होगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो आज फैसला न करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप करें लेकिन आज वह उपस्थित नहीं हैं । अच्छा हो कि उनको बुला लिया जाय ।

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गांधी जी और लोहिया जी से सबक लेने की कोशिश की है जिन्दगी में और मैं माफी लेने और खेद प्रकाश की औपचारिकता में कतई विश्वास नहीं करता हूं और न सजा देने में ही विश्वास करता हूं । सजा देने के उपबन्ध के जरिये से सुधारा जाय यह मुझे अच्छा नहीं लगता है । मुझे याद है कि हम लोग जेलों में थे और उस समय की सरकार ने जाने में या बेजाने माफी मांगने की कोशिश की तो हम लोगों ने इसके विरोध में बहुत तीव्र आलोचनायें की थीं । अब प्रश्न यह है कि किसी माननीय सदस्य ने किसी भावना या आक्रोश में आकर किसी अपनी कमजोरी के तहत कोई कार्य किया, वह

[श्री वासुदेव]

सही है या नहीं है लेकिन आज लोकतंत्र की पद्धति में हमें दूसरा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। मैं कतई किसी को सजा देने के हक में नहीं हूं और न किसी को माफी मंगवाना चाहता हूं। यह काम सदन का अवश्य है। अगर सदन यह बात मान ले, जैसा कि माननीय कमलापति जी त्रिपाठी ने कहा तो मैं उससे भी एक कदम और आगे जाऊंगा कि आप इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इस सदन में जो घटना हुई है मैं समझता हूं कि कोई भी दल इस सदन का हो उस घटना को एप्रूव नहीं करेगा और सब उस घटना की निन्दा करते हैं। प्रश्न यह है जब हम सजा का सवाल लाते हैं तो हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि अभियोगी भी यही है और सजा देने वाला भी यही है। इस सिद्धान्त को लेकर जब अदालतों के अन्दर कन्टेम्पट आफ कोर्ट की सजा होती है तो अदालत भी इस मामले में पूर्ण रूप से जागरूक होती है। हम ही शिकायती हैं और हम ही सजा देने वाले हैं। यह खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने आपके सम्मुख क्षमा याचना की है। मैं समझता हूं कि हम उस क्षमा को मंजूर कर लें तो सम्भव है कि आगे चल कर ऐसी घटनायें कभी न हों।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है, श्रीमन्, कि जहां तक कि सदन का अवमान हुआ उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न है कि हम जो दंड देने जा रहे हैं वह क्या होना चाहिये? शिकायत भी सदन की है और सदन ही दंड देने जा रहा है, ऐसी सूरत में रहम के साथ काम होना चाहिये। माननीय सदस्य ने आपके सम्मुख क्षमा याचना की है और वह स्वीकृत होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब और अधिक बोलने की कोई बात नहीं है।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

यह प्रश्न काफी दिनों से इस सदन के विचाराधीन है और आज आपके कमरे में जाकर सभी लोगों ने इस सवाल पर गौर किया था। आपने और माननीय उपाध्यक्ष जी ने उनको क्षमा कर दिया है। यह सदन भी व्यक्तियों से ही निर्मित है। माननीय त्रिपाठी जी, नेता सदन दोनों से ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जब अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय दोनों ही उनको क्षमा कर चुके हैं तो आप और उधर के बैठने वाले लोग भी उनको क्षमा कर देंगे, यदि ऐसा हुआ तो अच्छा होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो घटना हुई है वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परन्तु उस प्रसंग में मुझे एक बात कहनी है। यह मानते हुये कि इस सदन की प्रतिष्ठा रखना हमारा परम कर्तव्य है परन्तु ऐसी स्थिति में हम सबका उसमें सहयोग होना भी कर्तव्य है। यह घटना जो कदाचित हुई, हमारे उपाध्यक्ष महोदय के साथ घटित हुई, इस घटना की सीरियसनेस इसलिये भी कम हो जाती है कि उन्होंने क्षमा याचना कर ली, अध्यक्ष महोदय से भी और उपाध्यक्ष महोदय से भी। हर एक आदमी के सजा देने का कोई एक स्तर है और जब उन्होंने जाकर क्षमा मांगी उपाध्यक्ष महोदय के सामने और आपके सम्मुख तो आपने सारी परिस्थितियों पर विचार किया होगा और तभी उनको क्षमा प्रदान की। माननीय त्रिपाठी जी ने आपके सामने भी अपने विचार रखे। मैं आपसे फिर यही अनुग्रह करूंगा कि अब इस चैप्टर को बन्द हो जाना चाहिये जब कि उन्होंने क्षमा याचना कर ली है। अतः फिर आपसे प्रार्थना है कि इस प्रसंग को बन्द कर दिया जाय।

*श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)---

अध्यक्ष जी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिन माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप है वे आपकी इत्तिला के बावजूद भी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक दिन वह था जिस दिन घटना घटी और दूसरा दिन आज है कि आपके नोटिस देने के बाद भी सदन में उपस्थित नहीं हुये और इस तरह से यह भी सदन का अवमान है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं और दूसरी बात मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस विषय में अगर मगर करने से, यह न होता तो यह होता या यह होता तो यह न होता, इस तरह की बातें करने से अपराध बढ़ते हैं और जो सदन सहानुभूतिपूर्वक और उदारतापूर्वक विचार करना भी चाहता है तो उसके सोचने के तरीके में बाधक होता है। अगर वाकई में यह इच्छा है कि सदन उदारतापूर्वक विचार करे तो अगर मगर छोड़ कर बिना शर्त अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिये सदन के सामने आ करके और प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि भविष्य में इस तरह की कभी भी कोई घटना न होने पावे। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बात के लिये कोई व्यक्तिगत रियायत का सवाल नहीं है बल्कि यह सवाल सदन के अवमान का है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि किसी की मार्फत माफी मांगने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं सदन में बराबर देखता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य आपकी आज्ञा के विपरीत बोलता है और उनक नेता भी उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो वे अपने नेता को धक्का दे देते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं तो बोलूंगा ही। इसलिये दूसरे की माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। एक तो वे सदन में मौजूद नहीं हैं और फिर कुछ नेताओं द्वारा उनकी तरफ से यहां वकालत की जाती है तो यह सदन की प्रतिष्ठा के लिये, या सदन का कार्य संचालन के लिये कोई मुनासिब चीज नहीं है। मेरा निवेदन है और मैं इस पर जोर देता हूं कि माननीय सदस्य को यहां मौजूद रहना चाहिये। यह दूसरा जुर्म है कि वे यहां नहीं आये। इस पर भी आप विचार कर लें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जो घटना हुई उसकी जितनी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। उस पर सारे नेताओं ने अफसोस का इजहार किया है। इन सब बातों के साथ, माननीय सदस्य जो खुद आपके सामने नहीं आये,शायद उनको इतनी नदामत है इस काम के ऊपर (व्यवधान) चूंकि माननीय सदस्य पहली बार एलेक्ट होकर आये हैं और शायद गुस्से में आकर उन्होंने यह लज्जाजनक कार्यवाही कर दी। मेरी यह राय है कि माननीय त्रिपाठी जी इस पर विचार करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। उसके बाद मै माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उनको क्षमा कर दिया जाय तो वह ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं, ऐसी अवस्था में मेरी यह राय है, क्योंकि एक दफा मैं कह चुका था क्षमा की बात जब कि वहां से जूता फका गया था। मुक्त कंठ से कहा गया था कि हम क्षमा चाहते हैं। उस दिन नेताओं ने कहा और मैंने भी कहा कि यह चीज आगे नहीं होनी चाहिये। तभी मैंने तो उस रोज कहा था कि आगे इस प्रकार की घटना होने पर कुछ न कुछ दंड देना पड़ेगा। दंड जरूर देना होगा अगर कोई इस तरह की हरकत करे। उसके बाद भी यह हरकत हुई। जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी कहते हैं, इस पर विचार करें। दंड ऐसा होना चाहिये जो सक्रिय हो और आगे के लिये रास्ता भी निकल जाये। मेरा कहना तो यही है कि जो प्रस्ताव है कि इनको हटा दिया जाये हमेशा के लिये वह तो सब से सख्त सजा है। निलम्बित हों, चाहे जितने दिन के लिये, तो यह भी एक रास्ता निकल सकता है। तो इसको हम नेता सदन पर छोड़ दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ सदस्य---

माननीय त्रिपाठी जी पर।

श्री अध्यक्ष---

तो मैं समझता हूं कि ऐसा हो जायेगा तो दंड भी अच्छा हो जायेगा और किसी वक्त आपको दंड वापस लेने का मौका भी होगा। यह हो सकता है। नहीं तो, कोई मौका दंड कम करने का नहीं आयेगा यदि निष्कासन होता है।

(व्यवधान)

मैंने आपको सुझाव दिया। आपको स्वीकृत हो या न हो, मैं सदन पर छोड़ता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर मेरा कुछ निवेदन है।

श्री अध्यक्ष---

नेता सदन भी कुछ बोलें।

श्री महीलाल---

मैं तो नेता सदन का एक सिपाही हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, आपने मुख्य मन्त्री जी पर छोड़ा। मैं तो खाली एक शेर कहना चाहता हूं :---

जब हम ही न होंगे तो क्या रंगे महफिल
किसे देख कर आप शरमाइएगा।

श्रीमन्, जो गलती हुयी है, उसको माफ करें।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

किसी व्यक्ति को दोष से सजा न देने का अधिकार नहीं है, बल्कि कर्तव्य है। किसी दोषी व्यक्ति को किसी भी माने में कम सजा देना अपने अधिकार बर्तने की बात नहीं है, बल्कि अपने कर्त्तव्यों के कार्यान्वियन में कमी करने की बात है। श्रीमन्, जो घटना इस सदन में हुयी, आपने भी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इस सदन को अवमान से भारी ठेस पहुंची है। यह अफसोस की बात है। हम इस सदन के प्रति कर्त्तव्यों के कार्यान्वियन में कितनी ईमानदारी से काम लेते हैं? जब हमारे ऊपर जुर्म आता है तो हम पक्षपात करते हैं या सदन के प्रति वफादारी दिखलाते हैं। मान्यवर, इतिहासकार इस बात को अवश्य लिखेंगे कि जब इस सदन के प्रति कर्त्तव्य की बात आयी तो दोषी सदस्य को पूरे आयतन में सजा देने में कहां तक समर्थ रहे हैं। इस प्रश्न के विषय पर विचार करते समय, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को सजा देने का अधिकार नहीं है बल्कि कर्त्तव्य है। जो व्यक्ति जिस मात्रा में सजा का अधिकारी है उसको उसी मात्रा में सजा मिलनी चाहिये।

श्री महीलाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि यह सदन के अधिकार का प्रश्न नहीं है, बल्कि कर्तव्य का प्रश्न है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

एक बार आप ही ने चप्पल फेंकी थी।

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

इससे भी अधिक एक चीज है जिसकी वजह से इस सदन का कर्तव्य और बढ़ जाता है। एक बार पहले भी घटना हो चुकी है और उस घटना के विषय में आपने अपने विचार प्रकट किये थे। यह पहली घटना नहीं है इस सदन के समक्ष, बल्कि यह दूसरी घटना है। पहली घटना में कुछ लोगों को दंडित किया गया। मैं दोषी था या नहीं, दंड भोगने वालों में मैं भी था। तो मान्यवर, आपके सुझाव के मुताबिक मैं माननीय राजमंगल जी पांडेय के प्रस्ताव में यह संशोधन सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं कि "निष्कासित" के स्थान पर "६ महीने के लिये निलम्बित" कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं भी एक संशोधन पेश करना चाहता था। यह सही है कि, जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने सुझाव दिया था, यदि सदस्य यहां होते तो अच्छा होता। लेकिन वह नहीं हैं। तो मैं अपनी ओर से सदन के सामने यह निवेदन भी करूंगा, सुझाव भी दूंगा और यदि माननीय नेता सदन इसे स्वीकार कर लें तो यह जो ७३ में दंड विधि है इसमें (१) और (२) में भर्त्सना और शास्ति भी है। भर्त्सना और शास्ति में जिस व्यक्ति की भर्त्सना या शास्ति की जाती है उस व्यक्ति को सदन में उपस्थित होना पड़ता है। तो यदि इसको उपयुक्त समझा जाय। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार यह सब कुछ हुआ, जो हुआ वह हो गया, तो मैं यह निवेदन भी करूंगा, सुझाव भी दूंगा और संशोधन भी रखूंगा कि माननीय सदस्य की भर्त्सना कर दी जाय इस सदन के समक्ष।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को बड़ी कठिनाई में पाता हूं कि क्या कहूं। माननीय त्रिपाठी जी ने, जहां तक मैं समझा हूं, यह फरमाया था कि वह सज्जन अगर आज यहां होते और लामशरूत माफी मांग लेते तो शायद सदन को फैसला करने में आसानी होती। लेकिन वह तो आज मौजूद नहीं हैं। अभी माननीय रियासत हुसैन साहब ने उनकी गैरहाजिरी का यह अर्थ लगाया कि वह बहुत नादिम हो गये हैं, नदामत महसूस करते हैं इसलिये वह नहीं आये। ठीक है, हर चीज के बहुत से मायने लगाये जा सकते हैं, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि उनकी गैर-हाजिरी भी एक तरह से इस सदन की उपेक्षा करना है। माननीय उपाध्यक्ष ने और बहुत से दोस्तों ने माननीय गोविन्द सिंह जी नेगी ने, जिनकी राय की मैं बहुत कद्र करता हूं और कुछ चन्द दोस्तों ने यह कहा है कि उस बात को भूल जाना चाहिये और शायद इस हद तक उनका मतलब है कि वह यहां नहीं आये और चूंकि आपसे आपके कमरे में माफी मांग ली है, उपाध्यक्ष महोदय से माफी मांग ली है इसलिये वह सजा काफी समझनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस चीज के दो पहलू हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरे सार्वजनिक। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बाबा विनोबा से एक दफा जिस वक्त मुख्य मंत्री हमारे मित्र चन्द्रभानु जी थे और मैं उनका होम मिनिस्टर था तो वह मुझे अपने साथ ले गये थे दिलावर नगर या दिलदारनगर। वहां बाबा भी मौजूद थे। उन्होंने उन डाकुओं की माफी की बात कही जो हमारे यहां डाका वगैरह डाल रहे थे और डेप्रेशन्स कर रहे थे और हृदय परिवर्तन की बात कही। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी राय क्या है। तो मैंने उनसे यह कहा, बाबा विनोबा से कि मुझको ऐसा लगता है कि शायद मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर मेरी कोई व्यक्तिगत बात हो कि मेरे यहां डाका पड़ जाय मो तो मुझे माफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

होगी। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदार होम मिनिस्टर होने के नाते मैं जो एक एवरेज आदमी के जजबात हैं उनकी नुमायन्दी करता हूं। वह अपने इन्टरेस्ट को देखता है, सेफ्टी को देखता है, ओनर को देखता है। मैंने उनसे कहा कि सब ऊंचे साधु तो हैं नहीं। आप जैसे साधुओं की जरूरत है जिससे कि सोसाइटी अनवायलेन्टली और पीसफुल्ली चल सके। लेकिन जहां आप जैसे साधुओं के, धार्मिक पुस्तकों के उपदेश फेल हो जाते हैं वहां गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। मैंने विनोवा भावे से कहा कि आप जैसे लोगों के उपदेश न हों तो सोसाइटी नर्क हो जाय। लेकिन अगर गवर्नमेंट न हो तो भी सोसाइटी नहीं चल सकती। आप तो शायद पहचान सकते हैं कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया और आप उसको माफ कर दें लेकिन हमारे मजिस्ट्रेट और सब इंस्पेक्टर कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए गवर्नमेंट का नियम चलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, मैं अपने को बड़ी कठिनाई में पाता हूं इस कारण कि बहुत से मित्रों ने उदारता की बात कही। वह भी एक पहलू है। लेकिन प्रश्न यह है कि हाउस को चलने दें या न चलने दें। प्रश्न हाउस के अपमान का है।

उपाध्यक्ष महोदय ने जो बात कही अच्छी बात कही। अध्यक्ष महोदय आप भी शायद माफ करने को तैयार होंगे और शायद इससे भी भारी जुर्म को माफ कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके भी दो रूप हैं। एक तो व्यक्तिगत और दूसरा आप इस हाउस के कस्डोडियन हैं। मैं इस दृष्टि से कहता हूं। सवाल न उपाध्यक्ष का है न शिवदास जी तिवारी का। सवाल है हाउस कैसे चले। इस इंसीडेंट के बाद एक पढ़े-लिखे आदमी थे उन्होंने कहा कि क्या ऐसा प्रबन्ध हो सकता कि इस तरह की घटनायें अखबारों में प्रकाशित न हुआ करें। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है। उनका कहना था कि बाहर के लोगों पर, जो पंचायत चलाते हैं या जो स्टुडेंट्स हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय जायसवाल जी ने एक शेर पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको शर्म कैसे आयेगी। अगर इस तरह के सौजन्य वाले आदमी और इस तरह के मासूम इन्सान न होंगे तो हमारी उद्दंडता, हमारी नाकाबलियत, हमारा सौजन्य रहित बर्ताव कैसे चमकेगा। रोजाना हम यह देख रहे हैं कि हमारा हाउस नहीं चल पा रहा है। माननीय जायसवाल जी और मेरे मित्र मुझे माफ करेंगे क्योंकि हो सकता है वह मुझसे सहमत न हों। ३९, ४७, ५७ में भी जो डिबेट होती थीं तो तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता था। बेंटर और जैस्टर भी होता था। कभी शख्त अल्फाज भी हो जाते थे। लेकिन आज वह हवा नहीं है आज यहां किसी चीज पर बहस नहीं हो पाती है, हो सकता है कि उधर के दोस्तों का दोष न हो इधर वालों का ही हो और उनमें भी मैं ही सब से ज्यादा दोषी होऊं क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी की जगह पर हूं और मैं यहां रहते हुये इधर के और उधर के अपने साथियों पर असर न डाल सकता होऊं लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस तरह से सदन नहीं चल पाता है। इस तरह से हम एक मजाक की वस्तु लोगों के सामने और सारे भारत के सामने रखते हैं। ऐसी हालत में मुझ कोई सुझाव देन में बड़ी कठिनाई होती है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

संशोधन जो आया है उसको आप स्वीकार करते हैं ?

श्री चरण सिंह--

जो संशोधन उनका आया है वह गालिबन यह है कि ६ मास के निलम्बन के बजाय केवल उनकी भर्त्सना की जाय लेकिन मैं तो केवल इस हदतक नर्मी करने के लिये तैयार हूं कि बजाय ६ मास के निलम्बन के निलम्बन केवल ३० जून तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं श्री राज मंगल जी से पूछूंगा कि क्या उन्हें यह संशोधन स्वीकार है।

श्री राज मंगल पांडेय--

चूंकि अभी हमारे माननीय नेता सदन ने ३० जून तक के निलम्बन का प्रस्ताव संशोधित रूप में रखा है इसलिये अब कोई कारण नहीं है कि मैं उनके संशोधन को न मानूं। मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब प्रश्न यह है कि श्री शिवदास को ३० जून तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सदन के आगामी कार्यक्रम के बारे में सूचना

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार गालिबन १२ तारीख को आपकी आज्ञा से सदन को इस बात की सूचना दी थी कि १३ को सदन के उठने के बाद फिर २० अप्रैल से बैठने का इरादा है लेकिन उसके बाद यहां ऐसा क्रम चला कि २१ तारीख तक आज हमें बैठना पड़ा। तो जितना इन्टरवेल मैं चाहता था बजट के लिये और जिन २-४ बिलों के लाने का मैंने वादा कर लिया था रेन्ट कंट्रोल बिल वगैरा का उस सब के लिये २० अप्रैल तक हमें उतना आवश्यक समय नहीं मिलेगा। इसके अलावा २६ अप्रैल को लोकल बाडीज, स्थानीय संस्थाओं के जो एम० एल० एसी० नुमाइन्दे होंगे उनका चुनाव होगा। इसलिये अगर २० अप्रैल से हम बैठते हैं तो एलेक्शन के उस काम में भी हममें से बहुत से लोग लगे होंगे। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि हम लोग २० अप्रैल के बजाय २८ अप्रैल को फिर बैठें तो मुनासिब होगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सूचना के अनुसार मई जून भर वह अगला सेशन चलेगा। मेरा पहाड़ के रहने वाले लोगों की तरफ से निवेदन है कि गर्मी का यह छोटा-सा सत्र बुलाया जाय और उसके बाद जुलाई से जब चाहे बड़ा सत्र बुला लें।

## विभिन्न दलों की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

तो ठीक है अब मेरे दफ्तर में जो सूचना है दलों की संख्या के बारे में मैं वह इस प्रकार है--कांग्रेस शासन १३६, कांग्रेस संगठन ९६, बीं० के० डी० ९४, जनसंघ ४४, एस० एस० पी० ३२, कम्युनिस्ट ४, कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) १, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ३, हिन्दू महासभा १, किसान मजदूर पार्टी १, रिपब्लिकन १, स्वतन्त्र पार्टी ४, मुसलिम मशावरात २, निर्दलीय ४ और असम्बद्ध हैं उपाध्यक्ष और मैं और रिक्त १।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष जी, हमारे बारे में यह सूचना गलत है, हम १२५ हैं और उधर पंडित जी १० हैं.....

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २८ अप्रैल को फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर मंगलवार, २८ अप्रैल, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मित्थल,

लखनऊ :
२१ मार्च, १९७० ।

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

## आरोपों की सूची

१—अध्यक्ष द्वारा टेलीफोन का दरुपयोग ।

२—अध्यक्ष ने परिषद् द्वारा १९६५ में हसारी के मवेशीखाने का क्रय ६,००० रु० मूल्य पर श्री नरायन सिंह के एक सम्बन्धी से क्रय कराया । यह सन् १९३३–३४ से परिषद् की सम्पत्ति रही है ।

३—नकद के रूप में प्राप्त अर्नेस्ट मनी को परिषद् के लेखाओं में जमा नहीं कराया गया ।

४—डी० डी० इन्टर कालेज के समीप एक पुलिया की मरम्मत के अनुमान की धनराशि ४,००० रु० से बढ़ा २५,००० रु० की गई और इसका ठेका श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, एम० एल०ए० के एक सम्बन्धी श्री सीता राम मृगेन्द्र को दिया गया ।

५—रतौना–बुखारा रोड पर स्थित २५,००० रु० के मूल्य के शीशम के पेड़ों का फर्जी नीलाम कुछ व्यक्तियों के नाम ७,००० रु० में किया गया और इस धन का गबन कर लिया गया ।

६—एजूकेशन फंड से २०,१८५ रु० ३० पै० की लागत पर बनाई गई एक इमारत को नाम-मात्र किराये पर चौबे रामस्वरूप हायर सेकेण्डरी स्कूल, बरूम सागर को दी गई । यह कार्यवाही डा० रिछारिया और उनके सगे भाई, श्री प्रभू दयाल रिछारिया, जो क्रमश: स्कूल के संस्थापक तथा मैनेजर रहे हैं, को oblige करने के लिये की गई थी ।

७—तालबेहट पर स्थित जिला परिषद् के स्कूलों की दो इमारतें एक रुपये प्रतिमास के नाममात्र किराये पर मरदान सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, तालबेहट को पट्टे पर श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, एम० एल० ए०, जो स्कूल के मैनेजर रहें हैं का oblige करने के लिये दी गई और इन इमारतों पर मरम्मत पर परिषद् का धन व्यय किया गया ।

८—चौबे राम स्वरूप तथा नरायन सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूलों की उपभोग्य (consumable तथा अनुपभोग्य (non-consumble) वस्तुओं का कोई पता नहीं है और सम्भवत: इनका दुरुपयोग किया गया है ।

९—झांसी–उन्नाव सड़क पर स्थिति एक छोटी पुलिया के निर्माण के अनुमान की धनराशि ५,००० से बढ़ाकर २९,००० रु० की गई और इसका ठेका परिषद् के एक सदस्य के सम्बन्धी को दिया गया ।

१०—बबीना के मवेशी खाने के विक्रय संबंधी नीलाम के डीड (deed) की रजिस्ट्री कराने का व्यय २,५०० रु० अनियमित रूप से परिषद् के कोष से वहन किया गया ।

११—यद्यपि वेतन-निर्धारण संबंधी श्री माधव प्रसाद, पाउंड कीपर, की अपील आयुक्त द्वारा स्वीकार कर ली गई थी किन्तु डा० रिछारिया ने उसके अवशिष्ट वेतन ५,००० रु०, के भुगतान को रोक दिया । उन्होंने भुगतान संबंधी चेक को छिपा दिया और बाद में सिविल सूट दायर कर दिया ।

१२—डा० रिछारिया ने लखनऊ, दिल्ली तथा अन्य स्थानों को की गई अशासकीय यात्राओं का भी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त किया ।

१३—अध्यापकों से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये धन लेने के निमित्त कोई रसीदें जारी नहीं की गईं ।

१४—अनर्ह अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं । इनमें से कुछ अध्यापक अध्यक्ष के सम्बन्धी थे ।

१५—स्टोर परचेज के मामलों में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण मौजूद हैं ।

१६—आडिट आपत्ति संख्या १७ में परिषद् को आर्थिक क्षति पहुंचाने से सम्बन्धित बहुत सी वित्तीय अनियमिताओं का उल्लेख किया गया है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९ एल० ए०—१९७०—८४५ ।